Friday, 06 September, 1963

लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २०, १९६३/१८८५ (शक)

[२७ अगस्त से ६ सितम्बर १९६३/६ श्रावण से १८ भाद्र, १८८५ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumigated 18/10/73

Preservation Unit 21-8-92 Fumigated On 8.12.83 Parliament Library

पांचवां सत्र, १९६३/१८८५ (शक)

(खण्ड २० में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

लोक-सभा

शुक्रवार, ६ सितम्बर, १९६३

१५ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केरल में नारियल-जटा उद्योग

+

†*५३०. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की तीसरी योजना अवधि के दौरान केरल में नारियल-जटा उद्योग के निर्माण खंड का विकास करने तथा उसका आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी राशि आवंटित तथा खर्च की गई ?

†अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार ने एक-तिहाई नारियल-जटा चटाई उद्योग को यंत्रीकृत करने का निश्चय किया है। उद्योग के अन्य किसी क्षेत्र की अपेक्षा इस क्षेत्र के यंत्रीकरण की अधिक आवश्यकता है । नारियल-जटा बोर्ड का विचार १० लाख रु० की प्राक्कलित लागत से नारियल-जटा-चटाई उत्पादन के लिए एक आधुनिक यंत्रीकृत कारखाना बनाने का है । इस राशि में से ५, ६ लाख रु० की विदेशी मुद्रा की मशीन आयात करने के लिए आवश्यकता होगी । सर्वप्रथम पांच विद्युत् चालित

†मूल अंग्रेजी में

1229 (ai) LSD.—1.

करघों वाला एक कारखाना बनाने की प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है। आशा है कि कार्य एक वर्ष में पूरा हो जायेगा।

†**श्री वासुदेवन नायर** : मंत्री महोदय को विदित है कि इस उद्योग में हजारों मजदूर पहिले से ही बेकार हैं। क्या सरकार इसके लिए उचित कार्यवाही कर रही है कि इस आधुनिकीकरण के फलस्वरूप और अधिक मजदूर बेकार न हों ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न के प्रथम भाग में माननीय सदस्य ने कुछ पूर्वानुमान लगाया है जो पूर्णतया सत्य नहीं है। पिछले वर्ष नारियल-जटा वस्तुओं का रिकार्ड उत्पादन और रिकार्ड निर्यात लगभग १३ करोड़ रु० का था जबकि यह सामान्यतया ८ से ९ करोड़ रु० तक का होता था। दूसरे, आधुनिकीकरण करते समय हम ने सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से परामर्श लिया है और इस योजना से १,५०० से अधिक व्यक्ति प्रभावित न होंगे। उन्हीं स्थानों पर हम ने दस से अधिक कपड़ा मिलों के लाइसेन्स दिये हैं जिन में वे सब काम पर लग जायेंगे।

†**श्री वासुदेवन नायर** : सरकार को इन नये कपड़ा मिलों में कब तक इन मजदूरों को काम मिलने की आशा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस में प्रायः एक वर्ष लगेगा। कपड़ा मिलों के लाइसेन्स पिछले वर्ष दिये गये थे। एक ही मिल में ६,००० से ७,००० तक व्यक्तियों को काम मिल सकता है। अतः कोई दिक्कत नहीं है। ये १,५०० व्यक्ति काम पर लगने की बात तो छोटी बात है।

†**श्री वासुदेवन नायर** : मैं मंत्री जी से एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक मिल का शिलान्यास करते हुए मंत्री जी ने कहा था कि उस में अधिकाधिक ५०० व्यक्ति काम पर लग सकते हैं। अब वह कहते हैं कि ६,००० व्यक्तियों को काम मिल सकता है।

†**श्री मनुभाई शाह** : किसी ने निश्चय ही गलत जानकारी दी है। जब मिल में २५,००० तकुओं से पूरा उत्पादन आरम्भ होगा तो उस में ३,००० या ४,००० से अधिक व्यक्ति काम करेंगे और बुनाई विभाग सहित ६,००० से अधिक व्यक्ति काम करेंगे। आप निश्चिन्त रहें कि इन सभी १,५०० व्यक्तियों को काम मिल जायेगा।

श्री विभूति मिश्र : इस मौरडरनाइजेशन सिस्टम से किस हद तक हमारा निर्यात बढ़ेगा और वर्ल्ड के माकट में हमारा सामान कितना सस्ता होगा ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य ने ठीक ही सवाल किया है। अभी तक मौरडरनाइजेशन सिस्टम न करने से हम वर्ल्ड मार्केट में पीछे रहे हैं लेकिन अब हम मोरडरनाइजेशन कर रहे हैं और इस तरह से हमारा इरादा है कि मौरडरनाइजेशन करके ज्यादा पैसा लो और ज्यादा पैसा दो।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : यह व्यापार करने वालों को हम कितनी सुरक्षा प्रदान करेंगे क्या वे लोग इस मिल में लग जायेंगे या उन्हें कुछ और सुरक्षा दी जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं कह चुका हूं कि वैकल्पिक रोजगार दिया जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह आधुनिकीकरण व्यवस्था मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में भी लागू की जायेगी ? यदि हां, तो इस बारे में नारियल-जटा बोर्ड की क्या कार्यवाही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** ६० प्रतिशत यह उद्योग केरल में है और हम केवल थोड़े से उद्योग को ले रहे हैं, अर्थात् नारियल जटा चटाई ले रहे हैं नारियल-जटा सूत या नारियल-जटा कताई नहीं ले रहे। वहां एक बार कुछ करने और अनुभव होने पर हम अवश्य इसका विस्तार कर सकते हैं . . .

श्री काशी राम गुप्त : यह कोआपरेटिव सैक्टर में होगी या सरकारी क्षेत्र में होगी ? यदि सरकारी क्षेत्र में होगी तो इस में जो श्रमिकों को मज़दूरी मिलेगी क्या वह साधारण मज़दूरों से ज्यादा मिलेगी, यदि हां, तो कितनी ज्यादा मिलेगी ?

श्री मनुभाई शाह : यह सरकारी क्षेत्र में होगी, सरकार खुद इसे लगा रही है ?

श्री काशी राम गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि उन को मज़दूरी कितनी मिलेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मज़दूरी क्या दी जाय इसका तो बाद में फैसला होगा।

श्री काशी राम गुप्त : इस में और दूसरी मिलों की मज़दूरी में फर्क होना चाहिए।

श्री मनुभाई शाह : अब इस सरकारी मिल के मज़दूरों की मज़दूरी साधारण मिलों के मज़दूरों की मज़दूरी से कितनी अधिक होगी, यह हिसाब अभी से कैसे लगाया जा सकता है लेकिन यह तो जाहिर बात है कि उनकी मज़दूरी अपेक्षाकृत अधिक होगी ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह बात सरकार के इल्म में है कि इस फैक्टरी में ऐंटी नेशनल एलिमेंट बढ़ता जा रहा है, यदि हां, तो उस को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसी कोई बात नहीं है। वे बहुत नेशनलिस्ट्स और पैट्रयाटिक हैं और कोई ऐंटीनेशनल नहीं हो रहे हैं ।

अलवायें में जस्ता पिघलाने का कारखाना

†*५३१. { **श्री प० कुन्हन** : +
श्री इम्बोचिबावा : }

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या कलकत्ता की एक फर्म को कनाडा की सहायता से अलवाये, केरल में जस्ता पिघलाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिये कोई लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो जिस फर्म को लाइसेंस दिया गया है उसका क्या नाम है;

(ग) इस कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा उसमें कितने व्यक्तियों को काम मिल सकेगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में कनाडा की प्रस्तावित सहायता किस प्रकार की और कितनी होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :**(क) से (घ). मेसर्स कामिनको बिनानी जिंक लि० को अलवाये (केरल) में जस्ता पिघलाने का एक कारखाना स्थापित करने का लाइसेंस दिया गया है। इसकी जस्ता की वार्षिक क्षमता १२,००० मीट्रिक टन होगी जो बाद में बढ़ाकर २०,०००

---

†मूल अंग्रेजी में

मीट्रिक टन हो जायेगी एवं गन्धक का तेजाब और कडमियम नामक उप-उत्पादों का आनुपातिक मात्रा में उत्पादन होगा ।

सम्भव है कि इस परियोजना से लगभग ३०० व्यक्तियों को काम मिलेगा ।

एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन आफ कनाडा भारतीय फर्म को संयंत्र व मशीनों का आयात करने के लिए ७० लाख रु० का ऋण देगी । कन्सोलिडेटिंग माइनिंग एण्ड स्मेल्टिंग कम्पनी आफ कनाडा तकनीकी जानकारी, तकनीकी सहायता, इंजीनियरी सेवायें, डिजाइन और लगभग ३९.५ लाख रु० के व्यय पर भारतीय कम्पनी के कमचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी । वे भारतीय कम्पनी की पूंजी में भी ८४ लाख रु० लगायेंगे ।

†**श्री प० कुन्हन :** कारखाने में उत्पादन कब आरम्भ होगा और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

†**श्री कानूनगो :** संयत्र तथा सामग्री की कुल कीमत १०४ लाख रु० है जिस में ३९.५ लाख रु० की विदेशी मुद्रा है । संभव है कि संयंत्र में लगभग दो वर्ष में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

श्री काशी राम गुप्त : यह फैक्टरी मिनरल ओर्स से कितनी दूर होगी और क्या दूसरी जगह से मिनरल ओर्स लाना होगा ?

श्री **कानूनगो :** हमारे यहां जितना हमें चाहिए उतना मिनरल ओर्स नहीं होता है । उसे हमें इम्पोर्ट करना होता है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** संयंत्र में पूर्ण उत्पादन होने पर इस कारखाने से हमारी मांग कितने प्रतिशत पूरी होगी ?

†**श्री कानूनगो :** बहुत कम ।

त्रिवेन्द्रम में टाइटेनियम कारखाना

+

†*५३२. { **श्री वासुदेवनयर**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वारियर :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार का त्रिवेन्द्रम स्थित टाइटेनियम कारखाना टाटा कम्पनी को सौंपा जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) त्रावन्कुर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लि०, त्रिवेन्द्रम कारखाना केरल सरकार का नहीं है । उपक्रम में उनके अंशों की बहु-संख्या है । राज्य सरकार ने टाटा को यह उपक्रम देने का निश्चय नहीं किया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वासुदेवन नायर:** क्या केरल सरकार ने या इस विशिष्ट फर्म के प्रबन्ध ने इसके विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ?

†**श्री कानूनगो :** विस्तार के लिए लाइसेन्स दिये काफ़ी समय हो गया । दुर्भाग्यवश कम्पनी अपेक्षित तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ है ।

†**श्री वासुदेवन नायर :** क्या उस राज्य के उद्योग मन्त्री ने हाल में यह तकनीकी जानकारी विदेशी सहयोग, आदि प्राप्त करने में केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी है ?

†**श्री कानूनगो :** हां । इसके लिए वे हम से लगातार मांगकर रहे हैं । परन्तु कम्पनी ने पहिले गड़बड़ी की है और सहायता करना बहुत कठिन है

घड़ियों का निर्माण

†*५३३. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जापानी फर्म के सहयोग में घड़ियों का निर्माण करने के लिये हाल ही में किसी भारतीय फर्म को लाइसेंस जारी किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है ;

(ग) फर्म के साथ सहयोग की मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(घ) यह कारखाना किस स्थान पर खोला जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) सरकार ने जापानी फर्म के सहयोग से घड़ियां बनाने की कोई योजना हाल में स्वीकार नहीं की है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** विदेशों से घड़ियों के आयात पर कितना धन व्यय हुआ है ।

†**श्री कानूनगो :** आजकल इसकी मात्रा बहुत कम है क्योंकि हम आयात नहीं कर सकते । सामान्यतया, २९ लाख रु० का आयात होता था । अब हम केवल १८०,००० रु० की घड़ियां मंगाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी में घड़ियों का निर्माण

+

†*५३५. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० के० देव :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री २६ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी द्वारा बनाई गई घड़ियों की अच्छी किस्म के कारण बाजारों में उनकी जो भारी मांग हो गई है उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इन घड़ियों के निर्माण के लिये कोई उत्पादन योजना अथवा क्रमिक लक्ष्य बनाया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : जी हां। टोकियों की मैसर्स सिटीजन वाच कम्पनी के साथ टैक्निकल सहयोग करार में सम्मिलित उत्पादन प्रोग्राम निम्न हैं :—

वर्ष	घड़ी संख्या	देसी अन्तर्वस्तु
१९६३–६४	५५,५००	५४ प्रतिशत
१९६४-६५	१,९५,०००	६० प्रतिशत
१९६५-६६	२,४०,०००	७२ प्रतिशत
१९६६-६७	२,४०,०००	८४ प्रतिशत
१९६७–६८	२,४०,०००	८४ प्रतिशत
१ ६८-६९ और आगे . .	३,६०,०००	८४ प्रतिशत

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मूल्य का ध्यान रखा गया है और क्या घड़ियों का मूल्य कम होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : मैं नहीं समझता कि मूल्य कम होना चाहिये क्योंकि जिस मूल्य पर यह अब बिक रही है, वह भी सस्ती है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इस सहयोग से प्राप्त लाभ में विदेशी फर्म का कितने प्रतिशत भाग है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हम तकनीकी जानकारी के लिए इकट्ठी राशि देते हैं और उन्हें लाभांश नहीं देते।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : भारत को कितनी घड़ियों की आवश्यकता है और हम इसकी पूर्ति कब कर सकेंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मेरे पास आवश्यकता का अनुमान नहीं है।

†**श्री फतहसिंहराव गायकवाड़** : क्या मैं यह समझूं कि हम कभी भी शत प्रतिशत घड़ियां नहीं बना सकेंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : कुछ पुर्जे ऐसे हैं जिन्हें देश में बनाना उचित नहीं है अतः कुछ पुर्जों का आयात होता रहेगा; कदाचित् इस दशा में हम कुछ बाद में आयेंगे जब हम सभी पुर्जे बनायेंगे।

श्री कछवाय : क्या यह बात सही है कि इन घड़ियों की मांग ज्यादा हो रही है, इसलिए क्या सरकार ने कुछ दाम घटाने का विचार किया है ? क्या इन घड़ियों की मांग विदेशों से आ रही है; यदि हां, तो किन किन देशों से ?

श्री प्र० चं० सेठी : दाम घटाने के बारे में अभी मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि दाम घटाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पहले ही ये घड़ियां सस्ती कीमत पर बेची जा रही हैं। इन घड़ियों की

†मूल अंग्रेजी में

मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। विदेशों से इन घड़ियों की कोई मांग है या नहीं जानकारी नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मन्त्री को विदित है कि महिलाओं और पुरुषों की ये घड़ियां बाजार में उपलब्ध नहीं हैं और जब भी लोग बाजार में इनकी मांग करते हैं, तो दुकानदार अन्य आयातीत घड़ियां दिखा देते हैं? ये घड़ियां बाजार में कब उपलब्ध होंगी?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उद्योग मंत्री ने अभी बताया है कि आज कल बहुत थोड़ी घड़ियां आयात होती है। आंकड़ों के अनुसार १९६३–६४ में केवल ५५,००० घड़ियां बनीं। अतः वे कम उपलब्ध हैं।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या अधिकतर विदेशी अन्तर्वस्तुओं से बनी इस घड़ी का मूल्य बाजार में इस जैसी घड़ियों के मूल्य से बहुत अधिक है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं मूल्य की तुलना भारत में उपलब्ध इसी किस्म की घड़ियों से कर सकता हूं। उनकी तुलना में मूल्य बहुत कम है।

†**श्री अचलसिंह** : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन घड़ियों की क्या कीमत है और कितने बरस की गारण्टी है?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं समझता हूं कि दो वर्ष की गारण्टी दी जाती है।

†**श्री कपूर सिंह** : माननीय मन्त्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री ने कहा था कि वह भारत में बिकने वाली वैसी ही घड़ियों के मूल्य से तुलना कर सकते हैं।

†**श्री काशीराम गुप्त** : क्या पूर्ण उत्पादन होने पर किस्में बढ़ाई जायेंगी और क्या उस समय मूल्य भी कम हो जायेंगे?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : आजकल हम जो किस्म बना रहे हैं, वे काफी लोकप्रिय हैं। लोगों के वर्तमान किस्मों से उकता जाने पर हम किस्म बदल सकते हैं।

†**श्री काशी राम गुप्त** : पूर्ण उत्पादन होने पर मूल्यों का क्या होगा?

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसे दूसरी घड़ियों में तारीख बताने की व्यवस्था होती है, क्या उसी प्रकार इन घड़ियों में भी वह व्यवस्था करने की कोशिश की जायेगी?

अध्यक्ष महोदय : अभी इन को बिना तारीख के ही चलने दीजिए।

मैंगनीज का निर्यात

+

†*५३६. **श्री रवीन्द्र वर्मा** :
श्री मुरारका :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैंगनीज अयस्क का निर्यात पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हो गया है

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये और इसका निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत कम हो गया है और बहुत से हमारे प्राचीन ग्राहकों ने मैंगनीज की खानें अन्य देशों में खरीद ली हैं। हम वस्तु विनिमय सौदों से मैंगनीज अयस्क का निर्यात बढ़ाने की नीति का पालन कर रहे हैं। इसके अन्तर्गत चालू वर्ष, १९६३–६४ में लगभग १० लाख टन . मैंगनीज का निर्यात करने का विचार है। १९६०–६१, १९६१–६२, १९६२–६३ और १९६३–६४ में मैंगनीज अयस्क का निम्न निर्यात हुआ :—

	लाख टन
१९६०–६१	११.६७
१९६१–६२	९.६५
१९६२–६३	७.५१
१९६३–६४	१०.००

मैंगनीज अयस्क का निर्यात बनाये रखने के लिए की गई सरकारी कार्यवाही बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १६६६।६३]

†श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या विवरण में उल्लिखित समिति मैंगनीज अयस्क के निर्यात के अनेक पहलुओं की जांच करके सिफारिश करने के साथ देश में फेरो मैंगनीज के स्टाक जमा होने का और फेरो मैंगनीज के निर्यात की कठिनाइयों का ध्यान रख कर मैंगनीज का निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाओं का भी पता लगायेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : इस बारे में एक अलग प्रश्न है और जब मैं उस पर आऊंगा, तो इसकी व्याख्या करूंगा। यह समिति हमारे मुख्य स्पर्धाकारी १४ देशों की भी यात्रा करेगी और देखेगी कि वे दीर्घकालीन ठेके लेने के लिए क्या करते हैं। यह वहां खनन प्रक्रिया और यह भी देखेगी कि वहां उन्होंने मूल्य कैसे कम किये हैं।

†श्री रवीन्द्र वर्मा : विवरण में निर्यात-मूल्य गिरने का उल्लेख है। क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बारे में अधिक जानकारी देंगे और हमारे मूल्य बड़े बड़े स्पर्धाकारियों के मूल्यों से कम हैं या अधिक हैं ? उन्होंने खरीदी गई खानों का भी उल्लेख किया था। क्या वह अपने उत्तर में इसकी और व्याख्या करेंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : उत्तम किस्म के मामले में हमारा मूल्य ४.५० डालर प्रति टन और नीचे की किस्म के मामले में हमारा मूल्य लगभग ६.०० डालर प्रति टन अधिक है। मुख्य कारण यह है कि हमारी खानें अधिकतर भीतरी प्रदेशों में हैं जबकि अन्य देशों में, जहां भी वे हैं, वे बन्दरगाहों के पास हैं। यही कारण है कि परिवहन-व्यय भी एक तत्व है। फिर खनन यंत्र आदि भी अच्छी किस्म का नहीं है। अतः तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे भाग के बारे में, "खरीदी खानों" का अर्थ है कि एक इस्पात मिल, उदाहरण के लिए, अमरीका में, कांगो या गबन या अल्जीरिया या अन्य देशों में कोई खान खरीदता है ताकि मालिक का लाभ व हानि वही है और यह बदल भी सकता है । अतः वे इसे सस्ते दामों पर ले सकते हैं ।

†डा० कोलाको : गोआ से मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात की क्या स्थिति है ?

†श्री मनुभाई शाह : गोआ ? हम उसे प्रथम प्राथमिकता दे रहे हैं ।

†डा० गायतोण्डे : मंत्री जी ने कहा था कि सभी खानें भीतरी प्रदेशों में हैं । उन खानों की क्या स्थिति है जो भीतरी प्रदेशों में नहीं हैं, जैसे गोआ में, जहां व्यापार ही ठप्प हो गया है । इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री मनुभाई शाह : वास्तव में, गोआ में मुख्य वस्तु लोह-अयस्क है । वहां का मैंगनीज़ अयस्क काफी निकृष्ट किस्म का है । वास्तव में सर्वोत्तम अयस्क की खानें मैसूर तथा मध्य प्रदेश में हैं, जैसे सन्दूर तथा अन्य खानें जो सभी भीतरी प्रदेशों में हैं ।

†श्री दे० जो० नायक: निर्यात कम होने से कितनी खानें आंशिक रूप में तथा पूर्णतया बन्द हो गई हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : भारत में खानों में कभी भी निरन्तर रूप से ३६५ दिन काम नहीं होता । वे मांगानुसार चलती हैं और इसलिए निरन्तर काम करने के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

†श्री राम सहाय पाण्डेय : मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात में कौन कौन देश हम से स्पर्धा करते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यदि माननीय सदस्य विवरण देखें, तो वहां मैंने ११ देशों की सूची दी है ।

†श्री बासप्पा : क्या खनन मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए मशीनों का आयात करने में खान मालिकों, आयातकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को कठिनाई हो रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह ठीक है । हाल में हम ने आधुनिक मशीनों के आयात के लिए निर्यात-आय का १० प्रतिशत प्रयोग करने की अनुमति दी है ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्योंकि सरकार उत्पादन लागत कम करना चाहती है और निर्यातकर्ताओं को अपनी निर्यात-आय के १० प्रतिशत मूल्य की मशीनें आयात करने की अनुमति देने का निश्चय किया है, इससे कितने प्रतिशत लागत कम होगी ?

†श्री मनुभाई शाह : हमारा अनुभव है कि आधुनिकीकरण से मूल्य कम होगा ।

†श्री त्यागी : क्या सरकार मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात लागत से कम मूल्य पर कर रही है और खान मालिकों को उन पण्य वस्तुओं के आयात करने के लाइसेंस देकर, जिन्हें वे बाजार में अधिक मूल्य पर बेच सकते हैं, उनकी हानि पूरी कर रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य ने यह बात राज्य व्यापार निगम की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के समय उठाया था और मैं ने इसका उत्तर दिया था । हम इस्पात के वस्तु विनिमय की अनुमति देते हैं । इस में व्यापार से लाभ की गुंजाइश नहीं है और वस्तु विनिमय से उनकी हानि आंशिक रूप में पूरी हो जाती है । दूसरे भाग के बारे में, उन वस्तुओं की आन्तरिक बिक्री के लिए पांच से दस प्रतिशत प्रीमियम देते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वासुदेवन नायर : क्या देश में कुछ लोगों के इन सुझावों से सरकार सहमत है कि मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी होने का मुख्य कारण यह है कि राज्य व्यापार निगम व्यापार ठीक से नहीं चलाता ?

†श्री मनुभाई शाह : अनुसूचित व्यक्तियों में बहुत बार यह मत प्रकट किया गया है । वास्तव में, राज्यव्यापार निगम यह व्यापार न करता तो आज मैंगनीज का व्यापार ही समाप्त हो गया होता । वर्तमान स्थिति यह है कि यह बढ़ रहा है और लगभग १० लाख टन है ।

†श्री कपूर सिंह : देश में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए इस बहुमूल्य कच्ची पण्य वस्तु का देश में उपभोग बढ़ाने के लिए सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो क्या की है ?

†श्री मनुभाई शाह : सभी इस्पात संयंत्र इस का प्रयोग करते हैं, परन्तु नई तरकीबें मालूम हो रही हैं जिन से मैंगनीज का विकास होगा और मांग कम हो सकती है ।

†श्री काशी राम गुप्त : वस्तु विनिमय से कितने प्रातशत मैंगनीज बिकता है और अन्यथा कितने प्रतिशत बिकता है ?

†श्री मनुभाई शाह : सभा को विदित है कि हम ने मैंगनीज अयस्क के पूर्ण निर्यात से नियंत्रण हटा लिया है । क्योंकि दुनिया के बाजारों में हमारे मूल्य अधिक हैं, इसलिए सारा मैंगनीज अयस्क वस्तु विनिमय से बिकता है ।

गोआ में लौह अयस्क

+

†*५३७. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री अ० व० राघवन :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ के गैर-सरकारी व्यापारियों के पास बड़ी मात्रा में जो लौह अयंस्क जमा हो गया है उसका उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): गोआ से लौह अयस्क का निर्यात व्यापार गैर-सरकारी व्यापारियों के हाथ में रहा है । गोआ प्रशासन बराबर निगरानी रखे हुए है और निर्यात व्यापार बनाये रखने और उसे बढ़ाने में मदद दे रहा है । उन के पास लौह अयस्क का कोई असाधारण स्टाक जमा नहीं हुआ है गोकि दूसरे देशों में लौह-अयस्क के खनन के विकास से उत्पन्न गहरी प्रतियोगिता के कारण लौहअयस्क निर्यात व्यापार कुछ कम हो गया है ।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या ऐसा कोई अभ्यावेदन या शिकायत प्राप्त हुई है कि जिस निर्यात मूल्य के लिए अनुमति दी गयी है वह उत्पादन लागत से कम है और इस कारण व्यापारियों के लिए कठिनाई पैदा हो गई है ?

†श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं वह कुछ हद तक सही है क्योंकि हमारी लागत बढ़ती जा रही है और दुनिया के बाजारों में कीमतें घटती जा रही हैं, लेकिन लौह अयस्क के मामल में हमारी कीमतें बराबर हैं ।

---

†मूल अंग्रजी में

†श्री भागवत झा आजाद : क्या गोआ के व्यापारियों से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि अभी हाल में स्टाक जमा हो जाने के कारण उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि वे निर्यात करने में असमर्थ हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : गोआ के लगभग १५० छोटे खान मालिकों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि चूंकि वे निर्यात करने में असमर्थ हैं इसालए राज्य व्यापार निगम को निर्यात करने की अनुमति दी जानी चाहिये । हम ने उन्हें मदद करने के लिए निगम से कहा था और हम भी अब उन्हें मदद दे रहे हैं ।

†डा० गायतोण्डे: क्या मूल्य राज्य व्यापार निगम द्वारा निश्चित किया जाता है और निगम न उन्हें उस मूल्य से नीचे बेचने की अनुमति देता है और न स्वयं ही खरीदता है ?

†श्री मनुभाई शाह : इस विषय पर कई बार बहस हो चुकी है । हम खान मालिकों को उचित मूल्य देने का प्रयत्न करते हैं; दुनिया के बाजारों में मूल्य गिरने के बावजूद हम उसे कायम रखने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं लौह अयस्क उद्योग को फिर चेतावनी देता हूं कि उसे अपनी कार्यक्षमता बढ़ानी होगी और लागत कम करनी होगी ।

श्री रघुनाथ सिंह : जो गोआ से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है इस में से कितना हिस्सा भारतीय जहाज़ों से जाता है ? शिपिंग कम्पनियों ने जो फ्रेट चार्जिज़ हाई किये हैं, उसका असर हमारी एक्सपोर्ट पर क्या होगा ?

श्री मनुभाई शाह : बहुत ही बड़ा पेचीदा असर हुआ है । हमें अफसोस है कि अभी तक हिन्दुस्तान के जहाज़ दस परसेंट से भी कम इस्तेमाल होते हैं । हमारे जो नये कांट्रैक्ट हैं, उन को हम एफ० ओ० बी० के बजाय सी० आई० एफ० करना चाहते हैं । हमारी दिक्कत यह है कि हम ने आयरन ओर के बल्क कैरीयर्ज़ खरीदे हैं सोलह के करीब । लेकिन हमारे पोर्ट्स के अन्दर इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम बार्जिंग कर सकें । दो तीन साल में शायद इम्प्रूवमेंट हो जायेगी और हम हिन्दुस्तान के जहाज़ इस्तेमाल करने लग जायेंगे ।

†श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : लोहा निकालने और निर्यात के लिए निर्धारित लौह-अयस्क में कम से कम कितना प्रतिशत लोहा होता है ?

†श्री मनुभाई शाह : वह खरीददार और बेचने वाले पर निर्भर होता है । वह ४५ से ६५ प्रतिशत तक होता है ।

श्री तुलसीदास जाधव : आयरन ओर गोआ में जो एक्युमलेट हुआ है, उसका क्या कारण है ? क्या उसकी कोई मांग नहीं है या अपने देश में यूज़ नहीं होता है ?

श्री मनुभाई शाह : लोहे का दुनिया का जो बाज़ार है वह बहुत गहरा है और सरप्लस प्राडकशन होने की वजह से रिसैशन आया है । इसलिए डिमांड कम हो गई है और दूसरों के साथ कम्पीटीशन भी बढ़ गया है ।

†डा० पं० शा० देशमुख : क्या यह सच है कि गोआ के कुछ लोहा खान मालिकों और जापानी लोगों के बीच एक दीर्घकालीन करार हुआ था और राज्य व्यापार निगम के हस्तक्षेप के कारण वह तोड़ दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाईशाह : जी नहीं; हम ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है । जिन छोटे खान मालिकों के पास कोई ठेके नहीं थे उन्हें बड़ी कठिनाई हुई है और उन्होंने राज्य व्यापार निगम को गोआ आने के लिए कहा और इसलिए उनकी मदद की जा रही है ।

अमरीका के साथ वस्तु विनिमय करार

\+

*५३९. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैंगनीज के निर्यात तथा कपास के आयात के लिये भारत और अमेरीका के बीच एक वस्तु विनिमय करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो भारत से अमरीका को कितना मैंगनीज निर्यात किया जायेगा ; और

(ग) जसके बदले में अमरीका से भारत को कितनी कपास मिलेगी ?

†अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). अमरीकी खती की चीजों के साथ भारतीय वस्तुओं और लौह मिश्र धातुओं के विनिमय के लिए भारत और अमरीकी सरकारों के बीच एक विनिमय करार पर २७ जून, १९६३ को हस्ताक्षर किये गये थे ।

इस करार के अधीन भारत १८ महीने के अन्दर निम्नलिखित वस्तुएं भेजेगा :—

(१)	फेरो मैंगनीज	१,२८,००० टन
(२)	मैंगनीज अयस्क	३,००,००० टन
(३)	बरिल अयस्क	६,००० टन
(४)	अभ्रक	१ करोड़ रुपये का

उपर्युक्त वस्तुओं का कुल मूल्य २१ करोड़ रुपये होगा ? उसके बदले में भारत उतने ही मूल्य की कपास लगभग ३ लाख गांठें अगर बाद में तय की जाने वाली १० प्रतिशत कृषि सम्बन्धी वस्तुएं आयात करेगा ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : जो काटन आएगी वह मोटे रेशे की आएगी या पतले रेशे की आएगी और उस काटन से क्या हमारी जरूरतें पूरी हो जायेंगी ?

श्री मनुभाई शाह : पूरी नहीं होंगी । वह मोटे रेशे की होगी । लेकिन थोड़ी बहुत जरूरतें तो उससे पूरी होंगी ही ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : काटन के अलावा और भी कोई चीज क्या आएगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, चावल ले लें या कुछ और ले लें, यह अभी तक तय नहीं किया है। दस परसेंट को अलग रखा है।

†श्री भागवत झा आजाद : इस व्यवस्था के अधीन अपने मैंगनीज अयस्क के लिए जो कीमत हमें मिलेगी वह उन देशों की कीमतों के मुकाबले में, जिनको कि इस समय हम निर्यात कर रहे हैं, कम होगी या ज्यादा ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं वह बताना नहीं चाहता। कीमतें काफी ज्यादा हैं।

†श्री इकबाल सिंह : क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी कि यह कपास स्थानीय बाजार में ऐसे मौसम में मंगाया जाये कि उससे स्थानीय किसानों को नुकसान न पहुंचे ?

†श्री मनुभाई शाह : हमने माननीय सदस्य की राय मान ली है।

श्री कछवाय : जो बाहर से कपास आती है इसके दाम ऊंचे दिये जाते हैं और हमारे यहां काश्तकारों को दाम कम दिये जाते हैं, क्या यह सही है ?

श्री मनुभाई शाह : दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी काटन हिन्दुस्तान की पैदा की हुई काटन होती है।

†श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंगनीज किस कीमत पर निर्यात किया जायगा और वह हमारे इस्पात कारखानों को सप्लाई की कीमत के मुकाबले में कम या ज्यादा है ?

†श्री मनुभाई शाह : वह काफी ज्यादा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं कीमतें नहीं बताना चाहता।

कपड़े का उत्पादन

+

†*५४३. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वाजी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हरि विष्णु कामत : }

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३ के पहले सात महीनों में कपड़े का औसत मासिक उत्पादन क्या रहा

(ख) १९६२ के औसत मासिक उत्पादन की तुलना में यह कैसा रहा ; और

(ग) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं तथा इसको पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

†अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) १९६२ और १९६३ के पहले सात महीनों में कपड़ा और सूत का औसत मासिक उत्पादन इस प्रकार रहा :—

	१९६२ के पहले सात महीने जनवरी–जुलाई १९६२	१९६३ के पहले सात महीने जनवरी–जुलाई, १९६३	वृद्धि या कमी की प्रतिशतता
१. मिल का बना हुआ कपड़ा	.२२७२० लाख मी०	२१८८० लाख मीटर	—३.६२ प्रतिशत
२. हथकरघे और बिजली के करघे पर बना कपड़ा	.११९६० लाख मीटर	१२८०० लाख मीटर	+७.९ प्रतिशत
३. सूत . .	.४३००लाख कि०ग्राम	४६२० लाख कि० ग्रा०	+०.५ प्रतिशत

(ख) और (ग). १९६३ के पहले सात महीनों में मिल में बने कपड़े के उत्पादन में थोड़ी सी कमी विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में उत्पादन की कुल वृद्धि से प्रतिसन्तुलित हो गयी है। इस क्षेत्र में १९६२ की अपेक्षा १९६३ में पर्याप्त वृद्धि हुई है। १९६३ के उत्तरार्ध में उत्पादन की प्रवृत्तियों से १९६२ के उत्तरार्ध में उपर्युक्त तीनों मदों के उत्पादन के मुकाबले में कुछ वृद्धि होती दिखायी पड़ रही है जैसा कि जुलाई और अगस्त, १९६३ में उन तीनों मदों के उत्पादन से दिखायी पड़ता है।

१९६३ के पूर्वार्ध में, खास कर जनवरी-अप्रैल १९६३ के पहले चार महीनों में हमारी पूर्वी और उत्तरी सीमा पर आक्रमण और लड़ाई के कारण, हथकरघा और विद्युच्चालित क्षेत्रों में, कपड़ा मिलों में काफी कपड़ा जमा हो गया था क्योंकि खास कर भारत के पूर्वी राज्यों में, मिल का बना, हथकरघे पर बना और विद्युच्चालित करघे के कपड़े की निकासी काफी कम हो गयी थी। इससे सहज ही उत्पादन की गति धीमी पड़ गयी क्योंकि इन चार महीनों में मांग कम हो गयी थी।

पिछले तीन महीनों में व्यापार की परिस्थिति सामान्य हो गयी है, निकासी तेजी से हो रही है और कपड़ा मिलों में स्टाक कम हो गया है और इसी प्रकार हथकरघे और विद्युच्चालित करघे का कपड़ा भी कम हो गया है। इन सभी कारणों से तीनों ही क्षेत्रों में उत्पादन अब तेजी से बढ़ता जा रहा रहा है।

मिलों और विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में कपड़े का उत्पादन देश में उपभोग और निर्यात, दोनों के ही लिए पर्याप्त है।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि उत्पादन कम हो गया है। क्या इसका लाभ उठा कर मिल मालिकों ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि कीमत बढ़ाने की अनुमति के रूप में उन्हें और रियायतें दी जायें अगर यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या राय है ? क्या उन्हें कीमतें बढ़ाने की अनुमति दी जायगी ?

†श्री मनुभाई शाह : ये दो प्रश्न एक दूसरे से बिल्कुल सम्बन्धित नहीं हैं। चीनी युद्ध के कारण पहले चार महीनों में सभी मिलों में काफी स्टाक इकट्ठा हो जाने से उत्पादन थोड़ा कम हो गया था और कीमत बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कारण दिये हैं वे लागत के अंग, कपास की कीमत जो चालू मौसम से १२.५ रुपये प्रतिगांठ बढ़ा दी गयी है, मजूरी में वृद्धि, माल भाड़े की दरों में वृद्धि आदि हैं। इस मामले में छानबीन की जा रही है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जो मिलें बन्द पड़ गयी थीं वे भी काम करने लगें इसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और क्या उन्हें पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण के लिए ऋण दिये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न इसमें से उत्पन्न नहीं होता फिर भी मैं यह बता सकता हूं कि चालू वर्ष में बहुत कम संख्या में अर्थात् सिर्फ ६ मिलें बन्द पड़ीं जबकि पिछले पांच वर्षों में एक बार करीब ३५ मिलें बन्द पड़ गयी थीं। वे सभी अब काम कर रही हैं और उन छः मिलों के सम्बन्ध में भी पुनर्वास कार्यक्रम जारी है और उनमें से कुछ मिलें तो राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही हैं।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कपड़े की इतनी कमी में भी कपड़ा चोरी से पाकिस्तान को जाता रहा है ? यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैंने कहा, कपड़े की कोई कमी नहीं है, स्थिति बहुत सन्तोषजनक है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सभी चीजों की बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कपड़े की कीमत बढ़ाने की प्रार्थना पर विचार कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने यह नहीं कहा था। उन्होंने प्रार्थना की है। मैं लोगों को अभ्यावेदन करने से रोक नहीं सकता। हम उन बातों की छानबीन कर रहे हैं।

†**श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या यह सच है कि उत्पादन-शुल्क विवाद के कारण महाराष्ट्र में ८००० बिजली के करघे बन्द हो जाने से कपड़े का उत्पादन कम हो गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह बिल्कुल अलग विषय है।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : तटकर आयोग की इस सिफारिश के सम्बन्ध में कि कपड़े की वर्तमान कीमतों की जांच होनी चाहिये, सरकार का क्या निश्चय है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये सब बहुत पेचीदा सवाल है। हम तटकर आयोग की रिपोर्ट की छानबीन कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा उद्योग है और कोई निश्चय करने से पहले सभी बातों पर यथोचित और सन्तुलित विचार करने की आवश्यकता है।

श्री प० ला० बारूपाल : माननीय मन्त्री जी ने बताया कि कपड़े की कमी नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा थः कि पाकिस्तान को जो चोरी से कपड़ा जा रहा है उसको रोकने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : चोरी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेम्बर साहब को सन्तोष हो गया है।

श्री विश्राम प्रसाद : अभी मानीय मन्त्री जी ने बतलाया कि मिलें भी बन्द नहीं हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ा है, और हैंडलूम का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद मारकेट के अन्दर कपड़ा क्यों महंगा होता जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : हम नहीं मानते।

†**श्री इकबाल सिंह** : क्या माननीय मन्त्री को पंजाब सरकार की इस शिकायत के बारे में मालूम है कि पंजाब के व्यापारियों को मिलों द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर कपड़ा नहीं मिलता और उन्हें कहीं ऊंचे दाम पर कपड़ा मिलता है और क्या इस विषय पर विचार करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : जब कभी ऐसी शिकायतें आती हैं, हम तुरन्त उन पर विचार करते हैं।

†**श्री दिनेश भट्टाचार्य** : क्या सरकार जानती है कि हर साल दुर्गापूजा और दिवाली से कपड़े का दाम बढ़ जाता है और इस साल भी ऐसी आशंका है कि दाम बढ़ जाय और क्या सरकार इस पहलू पर विचार कर रही है और इस बात के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है कि गरीब लोगों को कम दाम पर कपड़ा मिले ?

†**श्री मनभाई शाह** : सरकार स्थिति पर पूरा पूरा ध्यान दे रही है।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : क्या मिल उत्पादन में कमी इस कारण है कि कई मिलें उत्पादन शुल्क बचाने के लिए वाणिज्यिक प्रथाओं को अपनाती हैं ?

†**श्री मनभाई शाह** : यह प्रश्न इसमें से उत्पन्न नहीं होता। मैंने सभी आंकड़े दे दिये हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : खादी क्षेत्र के विस्तार के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश को देखते हुए उसे और अधिक समर्थन देने के लिए क्या नये कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अम्बर चरखा कार्यक्रम और हमारे परम्परागत चरखा के लिए हम और अधिक ऋण और अतिरिक्त अनुदान मंजूर कर रहे हैं। इसके अलावा हम खादी के सम्बन्ध में निर्यात कार्यक्रम भी बढ़ा रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं हम अब लगभग २ करोड़ रुपये की खादी विदेशों को भेज रहे हैं।

मोटर गाड़ियों के पुर्जों का आयात

+

†*५८७. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :
डा० रानेन सेन :
डा० सारादीश राय :
श्री सरकार मुरमू :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कारों तथा ट्रकों के निर्माण के लिये आवश्यक पुर्जों का आयात करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने में मोटर बनाने के कारखानों को कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र०चं० सेठी)** : (क) और (ख). मोटर गाड़ी निर्माताओं को केवल वे पुर्जे ही मंगाने की अनुमति है जो कई दौर वाले निर्माण कार्यक्रम के अनुसार मोटर गाड़ियां बनाने के लिये अत्यावश्यक हैं। लेकिन यह विदेशी मुद्रा के मिलने पर निर्भर हैं। आजकल विदेशी मुद्रा की कमी के कारण दुसरे उद्योगों की तरह मोटर गाड़ी उद्योग को भी पिछले कुछ समय से पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं मिल रही है।

उन्हें आयात किये हुए पुर्जों पर कम निर्भर रहना पड़े इस के लिये मोटर गाड़ियों में देशी पुर्जों की संख्या बढ़ाने के लिये कदम उठाये गये हैं। इस प्रयोजन के लिये मुख्य निर्माताओं तथा सहायक उद्योगों को भी विदेशी मुद्रा दी गयी है और दी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या अप्रैल, १९६३ में पूर्वी प्रदेश एक मोटर कारखाने, हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड ने इंगलैंड से सीकेडी मैटीरियल आयात करने के लिये अभ्यावेदन किया था और सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया था ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम):** जी हां, और अधिक विदेशी मुद्रा दिये जाने के लिये समय समय पर अभ्यावेदन किये जा रहे हैं। जहां तक उपलब्ध है, हम हिन्दुस्तान मोटर्स को भी विदेशी मुद्रा दे रहे हैं।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या सरकार बता सकती है कि पुर्जे न मिलने के कारण कारों और ट्रकों का उत्पादन कितना कम हो गया है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** लारियों और ट्रकों का उत्पादन कम नहीं हुआ है, वह केवल कारों के संबंध में है ? जून, १९६३ तक ४५४१ हिन्दुस्तान एम्बैसडर गाड़ियां, १७०० फिएट और १६२९ स्टैण्डर्ड गाड़ियां तैयार की गई हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या सरकार इस ओर ध्यान देने के लिये कोई कदम उठा रही है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के मोटर गाड़ी उद्योग संपूर्ण गाड़ी तैयार करने और आयात कम करने का प्रयत्न करें। और वे इस समय कितना आयात कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस का कई बार यहां उत्तर दिया जा चुका है।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** ये पुर्जे विदेशों से आयात करने में कितना रुपया खर्च किया जा रहा है और सारे पुर्जे देश में ही तैयार हो सकें इस के लिये कितना समय लगेगा ?

†**श्री चि०सुब्रह्मण्यम :** अप्रैल से सितम्बर, १९६३ तक हम ने वाणिज्यिक गाड़ियों, कारों और जीपों के लिये लगभग १५.३ करोड़ रुपया कच्चा माल और पुर्जों के आयात के लिये दिया था। अब हम इस बात के लिये कदम उठा रहे हैं कि इस साल के आखिर तक हम ९० प्रतिशत देशी पुर्जे तैयार कर सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** १०० प्रतिशत तक पहुंचने के लिये कोई लक्ष्य है ? यही बार बार पूछा जा रहा है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** १०० प्रतिशत तक पहुंचना वास्तव में असंभव होगा ।

†**श्री काशी राम गुप्त :** पिछले साल के मुकाबले में पुर्जों का आयात कितना कम हो गया है?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मेरे पास तुलनात्मक आंकड़े नहीं हैं। मैं केवल वर्तमान आंकड़े ही बता सकता हूं ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** देश में विभिन्न मोटर गाड़ी निर्माताओं को कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये हैं ? क्या वह कभी अनुपात से विभाजित की गई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जी नहीं। विभिन्न निर्माताओं का देशी उत्पादन अलग अलग है। यह आशा की जाती है कि साल के आखिर तक ९० प्रतिशत देशी पुर्जों के निर्माण की स्थिति हम प्राप्त कर लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने बताया है कि हम बहुत शीघ्र ही ९० प्रतिशत तक आत्म निर्भर हो जायेंगे । और केवल १० प्रतिशत आयात के लिये छोड़ दिया जायेगा । इस ९० प्रतिशत का कुल मूल्य कितना होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : ९० प्रतिशत का अर्थ ९० प्रतिशत है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पुर्जों की संख्या है या मूल्य की ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : वह मूल्य की है ।

†**श्री पु० र०पटेल** : चूंकि फिएट गाड़ियों की बहुत मांग है, उन का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या देशी पुर्जों की प्रतिशतता के सम्बन्ध में आदेश का पालन न किये जाने के कारण उत्पादन में रुकावट पड़ रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कुछ पुर्जों का आयात करना ही होगा और वे पुर्जे उसी हद तक आयात किये जा सकेंगे जहां तक कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध है । चूंकि विदेशी मुद्रा की कमी है और मोटर गाड़ियों (कारों) को ट्रकों से अधिक ऊंची प्राथमिकता नहीं प्राप्त है इसलिये स्वाभाविक ही कारों के उत्पादन पर कटौती लागू की गयी है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : कौन कौन से हिस्से आयात किये जाने हैं ? क्या वे कारबुरेटर्स और गास्केट्स जैसी चीजें हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं समझता हूं कि गास्केट यहां तैयार किये जा रहे हैं लेकिन मेरे पास आयात किये जाने वाले मदों की सूची नहीं है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या यह जांचने की कोई प्रणाली है कि वे सभी पुर्जे जो आयात किये जाने हैं, वास्तव में निर्माण के ही काम में लादे जाते हैं और वे बाजार में बेचे नहीं जाते ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : वे केवल गाड़ियों के निर्माण के लिये ही काम में लाये जाते है । मैं समझता हूं कि उन के दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं है ।

†**श्री राम सहाय पांडेय** : रक्षा विषयक प्रयोजनों के लिये ट्रकों की भारी मांग को देखते हुए क्या आयात के मामले में ट्रकों के पुर्जे को अधिक ऊंची प्राथमिकता दी जाती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पहले बताया जा चुका है ।

†**श्री बूटा सिंह** : देश में मोटर कारों की कमी को देखते हुए इन गाड़ियों के निर्माताओं को क्या विशेष सुविधायें दी जा रही हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : प्रश्न काल के समय इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । हम उन्हें पुर्जे आयात करने के लिये सभी सहायता देते हैं ।

पोजनान का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

+

†*५४९. **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री वारियर :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९६३ में हुए पोंजनान के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारत ने भाग लिया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) पोलैंड के आयात तथा निर्यात व्यापार का नियंत्रण करने वाले विभिन्न सरकारी उपक्रमों ने भारत की इंजीनियरी की वस्तुओं के आयात में रुचि दिखाई और पहली बार सम्बन्धित समवायों के भारतीय प्रतिनिधियों ने, जो इस प्रयोजन के लिये पोजनान में उपस्थित थे, पीसने की मशीनों, काटने की मशीनों, आकृति देने वाली मशीनों, अनुलिपित्रों आदि के आयात के लिये क्रयादेश प्राप्त किये । मेले में जिन निर्यात ठेकों को अन्तिम रूप दिया गया उन की कुल राशि ४१ लाख है जिस में लगभग ४० लाख रुपये की लागत का चाय तथा काली मिर्च का निर्यात सम्मिलित है । इस के अतिरिक्त भारत से पोलैंड को २० लाख रुपये के निर्यात व्यापार पर बातचीत चल रही है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे प्रतिनिधियों ने पोलैंड के अलावा अन्य देशों के लोगों से सम्पर्क बढ़ाने के हेतु इस अवसर का लाभ उठाया था और क्या वे उन देशों के कुछ साथों के साथ कोई ठेके कर पाये थे ?

†**श्री मनभाई शाह** : सम्पर्क हुआ था । परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सदाचार के अधीन किसी बाह्य देश में कोई वैध ठेके नहीं करने दिये जाते या वे मान्य नहीं होते । फिर भी उन्हों ने अधिक सम्पर्क स्थापित करने के लिये इस अवसर से लाभ उठाया । मेले में जिन ५६ विदेशों ने भाग लिया उन के साथ हमारे ६० निर्यातकों तथा निर्माताओं ने सम्पर्क स्थापित किया था । निश्चय ही इस के परिणाम-स्वरूप उन देशों के साथ अधिक व्यापार होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : श्रीमान् क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अफसोस है कि मैं ने अगले प्रश्न को ले लिया है ।

वस्तुओं का किस्म नियंत्रण

†*५५०. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री बाल्मीकी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माताओं के लिये भारतीय मानक संस्था से निर्मित वस्तुओं की किस्म के लिये प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है; और

(ख) यदि नहीं, तो विभिन्न निर्माताओं द्वारा बनाई गई वस्तुओं का किस्म नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) निर्यात के लिये निर्धारित ऐल्यूमिनियम के बर्तनों तथा चाय के निर्यात के लिये अपेक्षित प्लाईवुड की पेटियों को छोड़ कर निर्माताओं के लिये भारतीय मानक संस्था से निर्मित वस्तुओं की किस्म के लिये प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य नहीं है ।

(ख) विभिन्न निर्मित वस्तुओं पर किस्म नियंत्रण कुछ विशेष केन्द्रीय / राज्य अधिनियमों, आदेशों तथा किस्म नियंत्रण योजनाओं के उपबन्धों के अधीन किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सुबोध हंसदा : स्तर से नीचे की वस्तुओं का निर्माण रोकने के लिए, जैसा कि देश में औषधियों के निर्माण में हुआ था, सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ? इस प्रकार के निर्माण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†श्री कानूनगो : भारतीय मानक संस्था की सारी पद्धति स्वैच्छिक है । जो निर्माता स्वयं को स्वैच्छिक योजना के अन्तर्गत लाते हैं उन का समय समय पर निरीक्षण होता है । उन की प्रक्रियाओं तथा कच्चे माल के संभरण का भी निरीक्षण होता है । स्वाभाविक है कि बहुत से मामलों में ग्राहकों की प्रवृति उन निर्माताओं को वरीयता देने की रही है जो भारतीय मानक संस्था के मानकों का पालन करते हैं ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या किन्हीं सार्थों को स्तर से नीचे की वस्तुओं का निर्माण करने पर कोई दण्ड दिया गया है अथवा उन में से किसी को काली सूचि में रखा गया था ?

†श्री कानूनगो : जैसा कि मैंने कहा है, सारी पद्धति स्वैच्छिक है और दण्ड का कोई प्रश्न नहीं है । यदि औषधियों अथवा किसी और चीज में धोखेबाजी की गई है जो विशिष्ट विधियों के अधीन आती है, तब गिरफ्तारियां की गई हैं तथा दंड दिये गये हैं ।

श्री तुलशीदास जाधव : क्या सरकार का यह अनुभव है कि इंडियन स्टैन्डर्डस इन्स्टिट्यूशन का सर्टिफिकेट पाने के बाद भी देश में इस कानून का उल्लंघन होता है और लोग गलत काम करते हैं ?

श्री कानूनगो : जितने मैनुफैक्चरर्स ने स्टैन्डर्ड लिया है वे स्टैन्डर्ड को मेनटेन करते ऐण्ड दे आर प्राउड आफ देअर स्टैन्डर्ड ।

†श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा है कि जहां तक ऐल्यमिनियम और प्लाईबुड उद्योगों का संबंध है किस्म नियंत्रण किया जाता है । क्या उन्हें इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि इन उद्योगों में किस्म नियंत्रण त्रुटिपूर्ण पाया गया है ?

†श्री कानूनगो : जी नहीं । मेरे उत्तर बिल्कुल इस से उलट था अर्थात यह स्वेच्छापूर्वक नियंत्रण नहीं है । जहां तक निर्यात के लिये निर्धारित ऐल्युमिनियम के बर्तनों तथा चाय के निर्यात के लिये अपेक्षित प्लाईबुड की पेटियों का संबंध है नियंत्रण संविहित है । वह स्वेच्छापूर्वक नहीं है ; शेष के मानक स्वेच्छापूर्वक हैं ।

†श्री स० चं० सामन्त : निर्यात की जाने वाली बस्तुओं का निरीक्षण किया जा रहा है यह देखने के लिये सरकार कौन से सक्रिय उपाय करने जा रही है ?

†श्री कानूनगो : हाल ही में मेरे माननीय सहयोगी ने सदन में एक विधेयक पुर: स्थापित किया था जो पारित हो गया है । उस में अनिवार्य किस्म नियंत्रण का उपबन्ध है ।

इस्पात उत्पादन की लागत

†*५५१. { श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात की उत्पादन लागत को कम करने की सरकार की कोई योजना है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) योजना के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र में इस्पात की उत्पादन लागत को कम करने के लिये अनेक उपाये किये गये हैं जैसे कि कोयला, लौह अयस्क आदि जैसे कच्चे माल के उपभोग के लिये पहले से ही भौतिक स्तरों को निर्धारित करना । वांछित उत्पादन के लिये भी स्तर निश्चित किये जाते हैं । कितना सुधार हुआ है यह देखने के लिये इन स्तरों की तुलना में किये गये काम का विश्लेषण किया जाता है । संयंत्र स्तर पर लागत में कमी संबंधी विशष अध्ययन किये जाते हैं । उस के बाद उन विशेष क्षेत्रों को चुना जाता है जहां लागत में कमी सुकर हो और कमी करने के लिये पद्धतियां तैयार की जाती हैं । लागत कम करने में जो प्रगति होती है उसे तीन तीन महीनो के बाद जनरल मैनेजरों की बैठको में पुनरीक्षित किया जाता है ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों की तुलना में भारतीय इस्पात के मूल्य कैसे हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: हमारे मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भावों से ज्यादा हैं ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या यह सच है कि कुछ विदेशी विशेषज्ञों की यह राय है कि इस देश में इस्पात के उत्पादन की लागत को केवल उत्पादन बढ़ा कर ही नहीं बल्कि अत्यधिक प्रबंधकीय तथा ऊपरी व्यय को कम करके घटाया जा सकता है ? क्या सरकार इस मत से सहमत है या नहीं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : साधारणतया हमारे यहां मजूरी सस्ती है परन्तु इस्पात के उत्पादन में श्रमिकों द्वारा जो अंशदान होता है वह तुलनात्मक ढंग से कम है । इसलिये केवल कच्चे माल के इस्तेमाल में दक्षता लाने से ही हम लागत को कम कर पायेंगे और अब हम ऐसा कर रहे हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : यह कहां तक सच है कि मजूरी के सस्ता होने के बावजूद परन्तु बड़े अफसरों को बहुत अधिक वेतन देने के कारण इस्पात की लागत अपेक्षाकृत ऊंची है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह ठीक नहीं है ।

†**श्री बासप्पा** : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में उत्पादन लागत अलग अलग क्यों है, क्या कारण है कि सरकारी क्षेत्र में उत्पादन की लागत कुछ है तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ और, तथा भद्रावती लोहा तथा इस्पात कारखाने में जो उत्पादन लागत है वह इन महानकाय इस्पात संयंत्रों की उत्पादन लागत की तुलना में कैसी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस के लिये लम्बा जवाब चाहिए ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : भद्रावती एक छोटे आकार का संयंत्र है और वहां की विधि भी कीमती है इसलिए वहां लागत बहुत ज्यादा है । जहां तक सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का संबंध है, हमने जुलाई, १९६३ के महीने में उत्पादन की लागत का निर्धारण किया है । रूरकेला में खुली भट्टी इस्पात की लागत २६०.७५ रुपये बैठती है ; एल० डी० इस्पात की २२८.९८ रुपये ; भिलाई में २१० रुपये है तथा दुर्गापुर में २१८ रुपये है ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन कारणों का कोई अध्ययन किया गया है जिन से गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में उत्पादन की लागत में अन्तर पड़ जाता है और यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये क्या किया जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र में उत्पादन की लागत उतनी कम हो जाए जितनी कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र में है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : तथ्य यह है कि इस समय मेरे विचार में सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में उत्पादन की लागत लगभग एक सी ही है परन्तु हमारा पूंजी विनियोजन अधिक है। इसलिये जब हम अवमूल्यन तथा पूंजी विनियोजन पर प्रतिफल की अनुमति देते हैं तो अधिक आंकड़े दिखाये जाते हैं।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास रूस, जर्मनी, तथा ब्रिटेन के इस्पात कारखानों में उत्पादन की लागतों के कोई तुलनात्मक आंकड़े हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मुझे खेद है कि आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदन में बहुत बातें हो रही हैं।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास रूस, जर्मनी और ब्रिटेन के कारखानों में उत्पादन की लागत के बारे में कोई तुलनात्मक आंकड़े हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हमारे पास अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय मूल्य हैं और मैं समझता हूं कि मेरे पास इन विभिन्न देशों की उत्पादन लागतें नहीं हैं।

श्री राम सेवक यादव : मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी उद्योगों में और निजी उद्योगों के खर्चे में बराबरी है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा तो क्या यह खर्चा बराबर सरकारी उद्योगों में इसलिये है कि बड़े सरकारी अफसरों और कर्मचारियों पर उनकी सुख सुविधा और वेतन आदि पर अधिक खर्च होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो जवाब उन्होंने दे दिया।

†**श्री रंगा** : यह तो विचित्र सी बात है जो माननीय मंत्री ने कहा कि अवमूल्यन लागत उत्पादन की लागत में नहीं गिनी जाती। क्या यह ठीक है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : किसकी लागत ?

†**श्री रंगा** : ये दुर्गापुर, भिलाई तथा रूरकेला इस्पात संयंत्र। उत्पादन की लागत का हिसाब लगाते समय क्या हम अवमूल्यन को उस में सम्मिलित नहीं करते ? हमें अवमूल्यन लागतों के लिये उपबन्ध करना है।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैंने तो केवल उत्पादन की वास्तविक लागत बताई है अन्य चीजों के लिये अलग से व्यवस्था की जाती है।

†**श्री रंगा** : इस में अवमूल्य भी निश्चय ही सम्मिलित हो सकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सामान्य सिद्धान्त यह है कि उत्पादन जितना ज्यादा होगा, उत्पादन की लागत उतनी ही कम होगी। इन संयंत्रों का उत्पादन क्योंकि बढ़ गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कारण हैं कि उत्पादन की लागत कम नहीं हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : उत्पादन की लागत काफी कम हो गई है। उदाहरणार्थ, १९६१–६२ में रूरकेला में लागत ३०८ रुपये थी जब कि अब २६० रुपये है, एल० डी० विधि में ३०८ रुपये के मुकाबले में लागत कम हो कर २२८ रुपये रह गई है, भिलाई में २२२ रुपये की बजाय २१० रुपये है, दुर्गापुर में लागत २३७ रुपये से घट कर २१८ रुपये हो गई है :

रूरकेला इस्पात कारखाना

*५५२. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बसुमतारी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला की चौथी धमन भट्टी का उद्घाटन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के विस्तार पर कितना धन व्यय किया जायेगा;

(ग) इस के परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हो जायेगी तथा उक्त काम कब तक खत्म हो जायेगा; और

(घ) इसमें कितने मज़दूर काम करेंगे।

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग). जी, हां। चौथी धमन भट्टी के सिविल इंजीनियरी के काम का उद्घाटन हो चुका है। १९६६ के प्रथम चतुर्थांश में भट्टी के तैयार हो जाने की संभावना है। भट्टी पर लगभग ५ करोड़ २० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसकी दैनिक क्षमता १५०० टन होगी।

(घ) भट्टी के प्रचालन के लिये लगभग २५० मजदूर रखे जायेंगे।

श्री ओंकार लाल बेरवा : यह जो रुपया लिया गया है यह क्या विदेशों से लिया गया है और अगर लिया गया है तो किस शर्त पर लिया गया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक यह रुपये का सम्बन्ध है यह जर्मनी से प्राप्त हुआ है और उसका जो एग्रीमेंट है वह हाउस के सामने पहले आ चुका है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : जो उसका विस्तार किया जा रहा है तो उस विस्तार से ही क्या हमारी जरूरतें पूरी हो जायेंगी या उस का और भी विस्तार किया जायेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह तो केवल रूरकेला का विस्तार है वैसे इसके अलावा कुछ और भी कारखानों का विस्तार होना बाकी है ?

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसे कि इसी आदरणीय सदन में माननीय मंत्री ने पिछली दफा फरमाया था कि हम आयरन प्लेट्स के मामले में रूरकेला में होने वाली उत्पादन की वजह से सैल्फ सफिशिएंट हो जायेंगे तो उस सैल्फ सफिशियेंसी में कितनी कमी है ?

श्री प्र० चं० सेठी : ऐसा तो नहीं बताया गया था बल्कि यह बताया गया था कि बुखारो प्लांट प्लेट्स प्रोडक्ट्स की कमी को पूरा करने की दिशा में काम करेगा।

†**श्री अ० प्र० शर्मा** : उपमंत्री महोदय ने कहा है कि लगभग २५० मजदूर रखे जायेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भर्ती के मामले में स्थानीय मजदूरों को वरीयता दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : उपर्युक्त अर्हता प्राप्त मजदूरों को रखा जाना है । यदि स्थानीय अर्हता प्राप्त मजदूर उपलब्ध होंगे तो उन्हें रखा जायेगा ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : उपमंत्री महोदय ने बताया है कि लगभग २५० मजदूर रखे जायेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस धमन भट्टी के उद्घाटन के बाद वहां किन्हीं जर्मन कर्मचारियों अर्थात् दक्ष कर्मचारियों को रखा जायेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : पहले ही हमने वहां कुछ जर्मन प्रविधिज्ञ रखे हुए हैं। मेरे विचार में धमन भट्टी को चलाने के लिये हम और जर्मन प्रविधिज्ञ नहीं रखेंगे ।

†**श्री बासप्पा** : क्या मैं इस्पात की उन विशेष मदों के बारे में जान सकता हूं कि जो इस विस्तृत परियोजना में तैयार की जाने वाली हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : ये सभी चपटे उत्पाद हैं परन्तु एक अतिरिक्त मद जो हम वहां बनायेंगे वह विद्युत् इस्पात है ।

निर्यातकर्ताओं का पंजीयन

†*५५३. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकर्ताओं के नामों का पंजीयन करने के प्रस्ताव के बारे में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख) जी हां । सभी निर्यात संवर्द्धन परिषदें, पण्य बोर्ड, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा कोचीन में निर्यात संवर्द्धन अधिकारी और वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़ों के महानिदेशक विभिन्न प्रयोजनों के लिये निर्यातकर्ताओं के नाम पंजीकृत करते हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : सबसे ज्यादा लोगों को एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस कहां दिया गया है, कलकत्ते में दिया गया है या बम्बई में दिया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : बहुत सी चीजों को तो हमने डिकंट्रोल कर दिया है । लाइसेंस का सिस्टम निकाल दिया है । थोड़से आइटम्स रह गये हैं जो कि डेढ़ सफ़े में दिये गये हैं जिनके कि ऊपर प्रतिबन्ध है । इसलिए लाइसेंस देने का अब उसमें कोई ख़ास सवाल नहीं रहता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : शिकायत की जाती है कि मिथ्या फर्मों को भी निर्यातकर्ताओं के रूप में पंजीकृत कर लिया जाता है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस आशय के लिये क्या प्रयास कर रही है कि केवल अच्छी और वास्तविक फर्मों को ही निर्यातकर्ताओं के रूप में पंजीकृत किया जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पूरे पूरे तथ्य मांगे जाते हैं और हर तीन महीनों के बाद फर्मों का तथा उनके निर्यात कार्य का निरीक्षण किया जाता है । यदि माननीय सदस्य उन नये फार्मों को देखेंगे जो हमने चलाये हैं और जिनमें समय समय पर विवरणी आदि मांगी जाती है, तो वह देखेंगे कि इस मामले में हमने पर्याप्त उपाये किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री तुलशीदास जाधव : जो लाइसेंस दिया जाता है वह जो माल तैयार करते हैं उनको दिया जाता है या दूसरे लोगों को भी दिया जाता है और दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : दोनों होते हैं। एक तो खुद बनाते हैं और बाहर भेजते हैं और दूसरे जो कि दूसरों से खरीदते हैं और बाहर भेजते हैं।

श्री तुलशीदास जाधव : जो लोग खुद माल तैयार करते हैं उन सब को क्या मिलता है ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां बनाने वालों को दिया जाता हे। वैसे बहुत सी चीज़ों को तो हमने डिकंट्रोल ही कर दिया है इसलिए लाइसेंस की ज्यादा ज़रूरत नहीं रह गयी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बेल्जियम के साथ व्यापार

†*५३७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने हाल के ब्रुसेल्स के दौरे में भारत के लिये बेल्जियम से ऋण प्राप्त करने और भारत तथा बेल्जियम के बीच व्यापार सम्बन्धों को सुधारने के लिये बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**अन्तर्राष्ट्रीया व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां, मैंने बेल्जियम के प्राधिकारियों से व्यापार सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा की थी। बातचीत के दौरान बेल्जियम से ऋणों के प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे चालू वर्ष के लिये एक करोड़ डालर का और ऋण देंगे। इस बात की घोषणा बेल्जियम की सरकार पहले ही भारत सहायता देशों के द्वारा कर चुकी है। मैंने बेल्जियम के प्राधिकारियों पर भारत-बेल्जियम व्यापार के विस्तार की तथा हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारणों के शीघ्र हटाये जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस पर उनकी प्रतिक्रिया तथा अग्रेतर कार्यवाही आशाजनक रही है। मैंने बेल्जियम के कारोबारी समुदाय के अनेक सदस्यों से उनके द्वारा भारत से अधिक क्रय करने की सम्भावना पर भी बातचीत की थी। यह बातचीत चाय, खनिज अयस्कों, तम्बाकू, चमड़े तथा खालों, इंजीनियरी की वस्तुओं, बने बनाये कपड़ों, हीरों तथा हमारे हित की अन्य मदों के बारे में हुई थी। बेल्जियम के व्यापारी तथा बैंकर बड़ी रुचि प्रकट कर रहे हैं। बेल्जियम सरकार द्वारा हमें दिये जा रहे ऋणों के प्रभावी उपयोग में सुधार लाने के लिये भी मैंने उपयोगी बातचीत की थी।

इस्पात कारखानों में कोयले का उपभोग

†*५३८. **श्री हिम्मतसिंहका** :
श्री बड़े :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने इस्पात के कारखानों में कोयले का उपभोग कम करने की सम्भावना का कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मशीन का आयात

†*५४०. **श्री हरिश्चन्द्र नाथुर** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे लघु उद्यमियों के आवेदन पत्र जिन्होंने अग्रिम धन जमाकर दिया है बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पास पड़े हैं परन्तु विदेशी मुद्रा की कमी के कारण मशीन का आयात नहीं किया जा रहा है ;

(ख) कितने आवेदन पत्र तथा कितनी अवधि से लम्बित हैं तथा इनके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). आज तक मशीन के आयात के लिये २५९ आवेदन पत्रों के साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को बयाना अग्रिम रूप से मिल चुका है । ये मामले ८ से १६ महीनों तक की अवधि से लम्बित पड़े हुये हैं । उन्हें १२६ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा चाहिये ।

(ग) निगम को १४४ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का तुरन्त आवंटन कर दिया गया है ताकि वह उपरोक्त आवेदन-पत्रों में उल्लिखित मशीनों के लिये क्रयादेश दे सकें । आशा है कि अमरीका, पश्चिम जर्मनी, जापान आदि की सहायता से अगले कुछ महीनों में अग्रेतर ऋण उपलब्ध हो जायेंगे ।

गोआ में कच्चे लोहे का कारखाना

†*५४१. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में; और

(ग) इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी, इस पर कितना खर्च आयेगा तथा इसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). सरकार गैर-सरकारी क्षेत्रों में मैसर्स डेम्पो एण्ड कम्पनी लिमिटेड, गोआ द्वारा गोआ में १००,०००टन क्षमता वाला कच्चे लोहे के एक कारखाने के खोले जाने से सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है । परियोजना की प्राक्कलित लागत लगभग ४ करोड़ रुपये है जिसमें २.५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन की बिक्री

†*५४२. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक करोड़ रुपये का पटसन राज्य व्यापार निगम के पास कलकत्ता में बिना बिका हुआ पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पटसन को शीघ्र बेचने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). २८ अगस्त, १९६३ को राज्य व्यापार निगम के पास १,३१,२९२ क्विंटल (३,५१,७६१ मन) पटसन का स्टाक था। भारतीय पटसन कारखाना संघ पटसन की इस मात्रा का विभिन्न पटसन कारखानों को कर रहा है और वे कारखाने शीघ्र ही पटसन उठाने लग जायेंगे ।

कच्ची फिल्म का कारखाना

†*५४४. **श्री धर्मलिंगम :**
श्री मुत्तुगौंडर :

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के उटकमण्ड में कच्ची फिल्म का कारखाना स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६६७/६३]**

ब्रिटेन को पटसन की वस्तुओं का निर्यात

†*५४५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार ने हाल में ही ब्रिटेन को भारतीय पटसन वस्तुओं के आयात के लिए अब तक चली आ रही पद्धति में परिवर्तन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किए गए हैं ;

(ग) क्या इससे ब्रिटेन को भारत की पटसन की अधिक वस्तुओं का निर्यात हो सकेगा ; और

(घ) इससे कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आय हो सकेगी ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६६८/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

चिट फंड कम्पनियां

†*५४६. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक कितनी चिट फण्ड कम्पनियां पंजीबद्ध की गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ कम्पनियां जनता को धोखा दे रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ३१ जुलाई, १९६३ तक समवाय अधिनियम के अन्तर्गत १९१ कम्पनियां पंजीबद्ध की गई हैं ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान अतारांकित प्रश्न संख्या १९४ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है जो माननीय गृह-कार्य उपमन्त्री द्वारा १४ अगस्त, १९६३ को दिया गया था ।

(ग) मद्रास चिट फण्ड्स एक्ट, १९६१, जो चिटों के अभिदाताओं के लिये कुछ परित्राणों की व्यवस्था करता है, संघ राज्य दिल्ली तक विस्तृत कर दिया गया है, देखिये भारत सरकार, गृह-कार्य मन्त्रालय अधिसूचना संख्या १३११ दिनांक २६ सितम्बर, १९६२ । दिल्ली प्रशासन ने एक अधिकारी को चिट फण्डों का रजिस्ट्रार नियुक्त किया है । ऐसा विचार है कि उपरोक्त अधिनियम के अधीन विनियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और अधिनियम के बहुत शीघ्र ही संचालित हो जाने की सम्भावना है । धोखेबाजी के विशेष मामलों की पुलिस द्वारा जांच हो सकती थी जैसा कि अब होता है ।

बंगलौर में मशीनी औजार का कारखाना

†*५४८. **श्री रामपुरे** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर में चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से एक मशीनी औजार का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितना धन व्यय होगा ;

(ग) इस कारखाने में कितने मूल्य की मशीनें बनने की सम्भावना है ; और

(घ) इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

राज्य व्यापार निगम की शाखाएं

†१५५६. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य व्यापार निगम के शाखा कार्यालयों की क्या संख्या है और वे कहां कहां हैं ; और

(ख) १९६३–६४ में देश में कुल कितनी शाखाएं खोलने का विचार है और किन स्थानों पर खोली जाएंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) देश में राज्य बीमा निगम के शाखा कार्यालयों की कुल संख्या ५ है। ये बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, गोआ और विशाखापटनम में हैं।

(ख) १९६३–६४ में कोई नई शाखा खोले जाने का प्रस्ताव नहीं है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, बंगलौर

†१५५७. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने कुल कितनी घड़ियां बनाई हैं।

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : पहली सितम्बर, १९६३ तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने १,०६,४५३ घड़ियां पुर्जे जोड़ कर तैयार की हैं। उनमें से ४,२५० घड़ियां ५४ प्रतिशत देशीय पुर्जों से बनाई गई हैं और बाकी सभी आयात किए पुर्जों को जोड़ कर बनाई गईं।

बीड़ी और सिगरेट

†१५५८. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में देश में बीड़ियों और सिगरेटों का कुल कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) उसी कालावधि में विभिन्न देशों को बीड़ियों और सिगरेटों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ; और

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा मिली।

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १९६२–६३ में उत्पादन

बीड़ियां	सिगरेट
१९०,२५३ लाख	४०,९४२ लाख

(ख) और (ग) १९६२-६३ में निर्यात :—

मात्रा	कीमत
बीड़ियां २७७,००० किलोग्राम	३,२९०,००० रुपये
सिगरेट १२,००० किलोग्राम . . .	१३२,००० रुपये

सूती कपड़े की मिलें

†१५५९. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सूती कपड़े की कितनी मिलें बिना काम के हैं और पिछले चार महीनों में कितनी मिलें बन्द कर दी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: इस समय आठ मिलें बन्द हैं। उन में मिलें ऐसी भी शामिल हैं जो पिछले चार महीनों से बन्द हैं।

नमक कारखानों के लिए अनदान

†१५६०. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या १९६२–६३ में देश में किसी नमक कारखाने को कर्जे या अनुदानें दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनका क्या व्यौरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : १९६२–६३ में नमक कारखानों को दिए गए ऋणों का व्यौरा नीचे दिया जाता है :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लाइसेंस लेने वाले का नाम	ऋण की राशि	जिस काम के लिए मंजूर किया गया
१	आन्ध्र प्रदेश	मैसर्स श्री कृष्णा साल्ट वर्क्स, वेडाचीपुरा पल्ली साल्ट फैक्टरी	२०,००० रु०	अक्टूबर, १९६२ में बाढ़ों द्वारा खराब हुए नमक कारखानों का पुनः संस्थापन
२	आन्ध्र प्रदेश	मैसर्ज ए० वी० सुब्बाराव ऐण्ड ब्रादर्ज, बाला चेरुवू साल्ट फैक्टरी	३०,००० रु०	
३	आन्ध्र प्रदेश	मैसर्ज़ ए० वी० सुब्बाराव एण्ड ब्रादर्स केरल साल्ट फैक्टरी	२५,००० रु०	अक्टूबर १९६२ में बाढ़ों द्वारा खराब हुए नमक कारखानों का पुनर्वास
४	मद्रास	श्रीमती मार्टिन अम्मल मचाडो, कारापड साल्ट फैक्टरी	४९,४०० रु०	नमक कारखानों के विकास के लिए।

राजस्थान में लोहा और इस्पात

†१५६१. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में राजस्थान की इस्पात की कुल कितनी आवश्यकता है ; और

(ख) उसी कालावधि में राजस्थान को यथार्थ में कितना लोहा और इस्पात दिया गया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) और (ख). कुछ किस्म अर्थात् चादरों के इस्पात की मांग है। १९६२–६३ के लिए राजस्थान राज्य की मांग/आवश्यकता १००,९८८

†मूल अंग्रेजी में

टन चादरों की है (ब्लैक प्लेन, गालवनाइज्ड प्लेन और गालवनाइज्ड कैरूगटिड) इसी अवधि में ११,७८० टन चादरें भजी गई थीं।

दूसरी प्रकार के इस्पात के ऊपर वितरण का कोई नियन्त्रण नहीं है और उपभोक्त अपनी इच्छानुसार इस्पात स्टाकिस्टों या उत्पादकों से बिना किसी कोटा सर्टिफिकेट से ले सकते हैं। १९६२–६३ में कच्चे लोहे का आवंटन कोटे की प्रणाली से नहीं होगा। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार स्टाकिस्टों या उत्पादकों से ले सकेंगे। १९६२–६३ में ७,०४५ टन कच्चा लोहा राज्य सरकार को दिया गया।

राजस्थान में अम्बर चर्खा

१५६२. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में राजस्थान में कितने अम्बर चर्खे बांटे गये ;

(ख) उसी कालावधि में कितने अम्बर चर्खे काम कर रहे थ; और

(ग) उपरोक्त कालावधि में कितने धागे का उत्पादन हुआ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १,५३४।

(ख) लगभग ६०% बांटे गए चर्खे चल रहे हैं।

(ग) ७.०६ लाख पौण्ड (३,२०,८३४ किलोग्राम)

राजस्थान में सूती कपड़े की मिलें

†१५६३. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सूती कपड़े की मिलें लगाने के लिए १९६२-६३ में कितने लाइसेंस जारी किए गए; और

(ख) मिलों के मंजूर किए गए स्पिडलों की क्या क्षमता है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १० लाइसेंस।

(ख) १,२०,३२० तकुए।

राजस्थान में हथकरघा उद्योग

†१५६४. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ में राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए राजस्थान को केन्द्र ने कोई वित्तीय सहायता दी थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†उद्योग मंत्री (श्री काननगो): (क) और (ख). वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य सरकारों को विभिन्न उद्योगों जिनमें हथकरघा भी शामिल है के विकास के लिए प्रतिवर्ष उनके द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक योजनाओं के आधार पर निधियों का आवंटन किया जाता है। किए गए आवंटन की सीमा के अन्दर यथार्थ व्यय के आधार पर वर्ष के अन्त में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मंजूर कर दी जाती है। वर्ष १९६२-६३ में हथकरघों के लिए राजस्थान सरकार को ३.३४ लाख रुपये आवंटित किए गए थे। उसी वर्ष में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय के आधार पर हाथकरघों के विकास के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी :—

अनुदान	०.२६ लाख रुपये
ऋण	०.८५ लाख रुपये

महाराष्ट्र में सीमेंट के कारखाने

†१५६५. श्री दे० शी० पाटिल : क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना की कालावधि में महाराष्ट्र राज्य में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिये जिन संस्थाओं को लाइसस दिए गए हैं उन्होंने कोई ठोस प्रगति नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार का इरादा लाइसेंस रद्द करने का है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). इस समय महाराष्ट्र में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिए तीन योजनाएं मंजूर की गई हैं। दो प्रत्येक २००,००० टन प्रति वर्ष की क्षमता के कारखाने राजपुर क्षेत्र में स्थापित करने के लिए हैं और तीसरी किनवाट तहसील में १००, ००० टन प्रति वर्ष क्षमता का कारखाना स्थापित करने के लिए है। किसी के लिए भी औपचारिक रूप से लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। यह 'प्लान्ट' और अपेक्षित सामान के लिए संतोषजनक प्रबन्धों के बाद जारी किया जायेगा।

राजपुर क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने के लिए पहली दो योजनाएं प्रारम्भिक अवस्था में हैं और कोई ठोस प्रगति नहीं की गई है। इनका सम्बन्धित दलों और राज्य सरकार की सलाह से पुनर्विलोकन किया जा रहा है। यदि यह सिद्ध हो जाये कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन की कोई यथोचित सम्भावना नहीं है तो इन की मंजूरी रद्द कर दी जायेगी। किनवाट तहसील में कारखाने के लिए तीसरी योजना एक महीने से कम समय पहले मंजूर की गई थी और इसकी प्रगति या पुनर्विलोकन करना बहुत जल्दी करना होगा।

†मूल अंग्रेजी में

लोह अयस्क की खानें

†१५६६. श्री हिम्मतसिंहका : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने मध्य प्रदेश में दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने की सम्भावनाओं की जांच के उद्देश्य से वहां लौह अयस्क खानों के सर्वेक्षण करने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को आदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) और (ख). कर्णधार दल की, जोकि सरकार को लोहा और इस्पात के लिए चौथी योजना बनाने में सरकार की सहायता के लिए स्थापित किया गया है, सिफारिश पर, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को बायलाडिला-विशाखपटनम क्षेत्र में एक नया इस्पात संयंत्र की सम्भावना के बारे में प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा गया है । इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश में बायलाडिला क्षेत्र के लौहा यस्क संसाधनों का अध्ययन किया जा रहा है । हिन्दुस्तान स्टील का अन्तिम प्रतिवेदन दिसम्बर, १९६३ तक मिलने की आशा है ।

अलवाय में डी० डी० टी० संयंत्र

†१५६७ { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलवाये में डी० डी० टी० संयंत्र के विस्तार के लिए कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना में हिंदुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लिमिटेड द्वारा लिये जाने वाले विस्तार प्रोग्राम में डी० डी० टी० फैक्टरी अलवाये में बैनज़ैने टैक्साक्लोराइड (टैक्नीकल) के ३००० टन का निर्माण शामिल है । प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

पंजाब में एयर राइफल बनाने का कारखाना

*१५६८. { श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री दलजीत सिंह :
श्री हेम राज :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब में एयर राइफल बनाने का कारखाना स्थापित करने का है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) वहां जो एयर राइफलें बनाने का विचार है उन से क्या काम होगा; और

(घ) रायफलों का कब निर्माण किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) पंजाब सरकार का पंजाब में एयर राइफल स्थापित करने का इरादा है ।

(ख) एक वर्ष में इस के स्थापित किये जाने की आशा है ।

(ग) जनता को गोली चलाने में प्रशिक्षण देने के लिए इन एयर राइफलों के प्रयोग करने का विचार है ।

(घ) कारखाने में एक वर्ष में उत्पादन की आशा है ।

प्रतिकूल व्यापारान्तर

†**१५६९. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२–६३ में भारत का किन देशों से प्रतिकूल व्यापारान्तर था और कितना था; और

(ख) उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६६९/६३**]

कुटीर उद्योग तथा पैतृक उद्योग

१५७०. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वतंत्रता से पूर्व कुटीर उद्योगों तथा अन्य पैतृक उद्योगों में लगे लोगों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि ये पैतृक उद्योग अस्तव्यस्त हो गये हैं और उन्हें पूर्ण अथवा आंशिक बरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का क्या करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां । स्वतन्त्रता से पूर्व कुछ प्रान्तों ने कुछ चुने हुए पैतृक उद्योगों का सर्वेक्षण कराया था ।

(ख) पिछले कुछ वर्षों से भारत का औद्योगिक विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है । इस काल में पैतृक व्यवसायों को कुछ अंश तक अवश्य धक्का पहुंचा है लेकिन यहां यह याद रखना चाहिए कि तीव्र गति से होने वाले इस परिवर्तन काल में ऐसा होता ही है । यह कहना कि किसी

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेष व्यवसाय में बिल्कुल बेरोजगारी हो गई है सत्य नहीं है। यह सम्भव है कि कुछ समय के लिये आंशिक बेरोज़गारी हो गई हो।

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रम का लक्ष्य इन पैतृक उद्योगों जैसे हस्तकला, हाथकरघा उद्योग, कौयर (coir), सिल्क उत्पादन उद्योग तथा ग्रामीण उद्योगों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को कम करना तथा आंशिक या पूर्णरूपेण बेरोज़गार शिल्पियों को रोज़गार के बेहतर अवसर देना है।

लम्बे रेशे वाली कपास

†१५७१. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री १६ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक मिल स्वामियों ने लम्बे रेशे वाली कपास की कुल कितनी मात्रा खरीदी है; और

(ख) उत्पादकों की सरकारी समितियों के पास साधारण और लम्बे रेशों वाली कपास अभी कितनी शेष है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु ऐसा अनुमान है कि १९६२-६३ मौसम अर्थात् २१, अगस्त, १९६३ तक देशीय लम्बे रेशे वाली कपास के लगभग ३,००,००० गट्ठे मिलों ने खरीदे थे।

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है और ऐसी कपास के स्टाक वाली किसी सरकारी समिति से कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है।

चमड़ा और चाय उद्योग

†१५७२. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **उद्योग** मंत्री २६ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने चमड़े और चाय उद्योग के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १६७०/६३]**

इस्पात कारखानों में काम के परिणाम

†१५७३. **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन तथा मांगी गई पूंजी पर ब्याज को छोड़ कर १९६२-६३ में तीन इस्पात

---

†मूल अंग्रेजी में

कारखानों में काम के परिणाम क्या हैं;

(ख) छोड़े गये अवमूल्यन तथा ब्याज की वास्तविक राशि क्या है; और

(ग) इस्पात समकरण निधि में दी गई राशि कितनी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). १९६२-६३ के लिये लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) १९६२-६३ में ६,२५,९२,९२४ रुपये।

इस्पात कारखानों में उपोत्पादों का उत्पादन

†१५७४. **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) तीन इस्पात कारखानों में विभिन्न उपोत्पादों का लक्षित उत्पादन;

(ख) १९६२–६३ में वास्तविक उत्पादन ;

(ग) १९६२–६३ में वास्तविक विक्रय तथा उससे हुई वसूली; और

(घ) लक्ष्यों को प्राप्त करने में यदि कोई कमी रही हो तो उसके कारण क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). १९६२-६३ में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में उपोत्पादों के लक्ष्य, वास्तविक उत्पादन तथा विक्रय के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

उपोत्पाद	उत्पादन		विक्रय
	लक्ष्य	वास्तविक	मात्रा
१. अशोधित तारकोल (टन)	१२७,४०७	१३९,५५९	१८,४५६
२. तारकोल उत्पाद (टन)	११८,०३१	११५,९६३	२८,८०९
३. बेनजोल उत्पाद (के० एल०)	२१,१४२	१७,२८७	११,४८१
४. सल्फरिक एसिड (टन)	३२,११५	३१,०४०	२,१०३
५. अमोनियम सल्फेट (टन)	३४,६००	३४,७६०	३४,७२२

कुल विक्रय का मूल्य २४७ लाख ७० हजार रुपये था।

(घ) लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। तारकोल उत्पादों में थोड़ी सी कमी अशोधित तारकोल को इस्पात भट्ठों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के कारण हुई है। कुछ अन्य मदों का उत्पादन टैंक वेगनों के उपलब्ध न होने तथा मांग की कमी के कारण सीमित कर दिया गया था। जहां बिक्री वास्तविक उत्पादन से बहुत ही कम है उसका कारण यह है कि या तो उत्पाद

†मूल अंग्रेजी में

को अधिकतर स्वयं संयंत्र में ही खप जाता है या संयंत्र में उसे अग्रेतर शोधित भागों में इस्तेमाल कर लिया जाता है ।

इटली को निर्यात

†१५७५. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२ में इटली को किये जाने वाले भारत के निर्यात में कमी आ गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इटली को हमारे निर्यात को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). यदि हम इटली को हमारे निर्यात के पत्री वर्ष के आंकड़े लें तो हमारे आंकड़ों के अनुसार १९६२ में हमारे निर्यात में थोड़ी सी कमी हुई थी परन्तु इटली के आंकड़ों के अनुसार वृद्धि हुई थी । तथापि, वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे जाने वाले हमारे वार्षिक विदेशी व्यापार के आंकड़े दर्शाते हैं कि वास्तव में १९६१-६२ (९१६ लाख रुपये) की तुलना में १९६२–६३ (९६१ लाख रुपये) इटली को हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है ।

इटली सहित पश्चिम यूरोप में हमारे निर्यात को सुधारने के लिये सरकार तथा व्यापा दो द्वारा लगातार विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं । ऐसे उपायों में हमारे निर्यातकर्ताओं को विदेश में अधिक सामीप्य स्थापित करने की सुविधायें, हमारे मूल्यों को अधिक प्रतियोगी बनाने के प्रयास, भारत में परिवहन तथा पत्तन की सुविधाओं में सुधार, किस्म नियंत्रण इत्यादि सम्मिलित हैं ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन

†१५७६. श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन पर सलाह देने के लिये पश्चिमी विशेषज्ञों का एक दल भारत आने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) सरकार ने प्रतिरक्षा उत्पादन के आर्थिक आयोजन तथा क्षमताओं के निर्धारण के हेतु एक सर्वेक्षण करने के लिये अमरीका से सलाहकारों के एक सार्थ, आर्थर डी० लिटल कम्पनी की सेवायें प्राप्त की हैं । सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों का सर्वेक्षण होगा । सलाहकारों के सार्थ में व्यवसायिक कर्मचारियों का एक दल सम्मिलित है जिन्हें उद्योग के इंजीनियरी, वैज्ञानिक, आर्थिक तथा प्रबन्धकीय पहलुओं का विशेष ज्ञान है और जिन्होंने पहले भी ऐसे सर्वेक्षण किये हैं । प्रतिरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में हमारे उन कार्यक्रमों का विशेष अध्ययन होगा जो उस तत्काल प्रावस्था से आगे जा पड़ते हैं जिसे पहले ही क्रियान्वित किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्ची फिल्म का निर्माण

१५७७. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कच्ची फिल्म बनाई जाती है; और

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, १९५७ से मार्च, १९६३ तक भारत में कितनी कच्ची फिल्म बनाई गई ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) अभी नहीं श्रीमन् । सरकारी क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त एक योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लघु उद्योग

१५७८. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६२–६३ में अलग-अलग लघु उद्योगों से कितना सामान खरीदा गया; और

(ख) सरकार लघु उद्योगों से माल बाजार भाव से लेती है या ज्यादा या कम दर से ?

संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क)

१९६०–६१ . .	६.४६ करोड़ रुपये ।
१९६२–६३	३०.५२ करोड़ रुपये ।

(ख) सरकार सामान को प्रतियोगी दरों पर खरीदती है जो बाजार भावों के अनुसार होती हैं । फिर भी लघु उद्योगों को ठीक और यथोचित तौर पर अधिक से अधिक १५ प्रतिशत तक का मूल्य अधिमान दिया जाता है और प्रत्येक मामले में इसकी वास्तविक प्रमात्रा उसके गुण-दोष पर ही निश्चित की जाती है । जो लघु उद्योग इकाइयां बड़े उद्योग इकाइयों से सफलता पूर्वक प्रतियोगिता कर रही हैं, उन्हें कोई मूल्य अधिमान नहीं दिया जाता है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर

†**१५७९. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२ में हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज, बंगलौर में सर्वाधिक उत्पादन हुआ;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों को किस रूप में पुरस्कृत किया गया है;

(ग) क्या कोई उत्प्रेरक योजना भी चलाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (घ). हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लिमिटेड, बंगलौर में १९६२ के पत्री वर्ष में १५३७ मशीनों का सर्वाधिक उत्पादन हुआ । श्रमिकों की बोनस आय, जो उत्पादन से सम्बन्धित है १९६२–६३ में १८.९४ लाख

---

†मूल अंग्रेजी में

रुपये थी जबकि १९६१–६२ में यह ८.१६ लाख रुपये थी। एक उत्प्रेरक बोनस योजना जनवरी १९५८ से चल रही है। योजना की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :—

(१) **वैयक्तिक उत्पादन बोनस** : प्रति मास प्रति घंटा के उनके मानक उत्पादन पर प्रत्यक्ष श्रमिकों को उनकी वैयक्तिक कार्यकुशलता देखते हुए ६ नये पैसे से १६ नये पैसे तक प्रति मानक घंटे की दर पर एक वैयक्तिक उत्पादन बोनस दिया जाता है।

(२) **सर्वधारी उत्पादन बोनस** : सभी कर्मचारियों को कारखाने के प्रति मास कुल उत्पादन पर आधारित सर्वधारी उत्पादन बोनस दिया जाता है।

(४) **उपस्थिति बोनस** : ५ रुपये प्रति मास का उपस्थिति बोनस उन सभी कर्मचारियों को दिया जाता है जो किसी निश्चित महीने में उपार्जित अवकाश, प्रतिकरात्मक छुट्टी तथा घोषित छुट्टियों के सिवाय अनुपस्थित नहीं होते।

(४) **विशेष पुरस्कार** : ऐसे विशिष्ट श्रमिकों को विशेष पुरस्कार देय हैं जो कम से कम ३ महीनों की लगातार अवधि के लिये १०० प्रतिशत और उससे अधिक कार्यदक्षता बनाये रखेंगे जिसकी औसत आयोजित काम के ७० प्रतिशत से कम न होगी। उन्हें काम करने वाली दो पोशाकें तथा एक पदक दिये जाते हैं और ऐसे पुरस्कार श्रमिक की नौकरी की अवधि में एक बार ही देय हैं।

(५) **आस्थगित वार्षिक बोनस** : उपरोक्त मद १, २ और ३ के अधीन १२ महीनों की अवधि में किसी कर्मचारी द्वारा उपार्जित कुल बोनस की आधी राशि आस्थगित वार्षिक बोनस के रूप में दिया जाता है।

हैवी इलैक्ट्रीकल भोपाल

†१५८०. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना की शेष अवधि के लिये हैवी इलैक्ट्रिकल्ज, भोपाल की कार्य अनुसूची को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्माण कार्यक्रम बनाने का काम भी पूरा कर लिया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (ग) भोपाल कारखाने में १९७०–७१ तक उत्पादन का एक अस्थायी कार्यक्रम संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखये संख्या एल० टी० १६७१/६३] नई उत्पन्न होने वाली मांगों तथा अन्य बातों को देखते हुए प्रति वर्ष इसे पुनरीक्षित किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात

†१५८१. { श्री प्र० के० देव :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में देश के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन किन मदों में और किस मात्रा में वृद्धि हुई है; और

(ग) किन देशों को होने वाला हमारा निर्यात बढ़ा है, कितना बढ़ा है तथा किन वस्तुओं में बढ़ा है ?

†अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) तीन विवरण (१, २, तथा ३) संलग्न हैं।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० १६७८/६३]

मिटटी की गुड़ियों का निर्यात

†१५८२. श्री प्र० के० देव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णनगर, पश्चिम बंगाल, की मिट्टी की गुड़ियों की बिक्री के लिये देश से बाहर कोई मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस कुटीर उद्योग के परिरक्षण तथा संवर्द्धन के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) कहा जाता है कि ये गुड़ियायें पर्यटकों में सामान्यतः लोकप्रिय हैं।

(ख) अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड पश्चिम बंगाल सरकार से विचार-विमर्श के साथ इन गड़ियों के उत्पादन स्थानीय बिक्री तथा विदेशों को इनका निर्यात बढ़ाने केलिये योजनायें तैयार कर रहा है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कारीगरों के लिये लगातार रोजगार सुनिश्चित करना, प्राविधिक सुधार करना तथा अधिक सुविधायें देना है।

विदेशी खरीदारों तथा भारतीय निर्यातकर्ताओं के लाभ के लिये इन गुड़ियों को हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, कलकत्ता, के क्षेत्रीय प्रदर्शन-कक्ष में प्रदर्शित किया जा रहा है;

इन गुड़ियों के एक प्रतिनिधि संग्रह को न्यूयार्क विश्व मेले, १९६४ में प्रदर्शित किये जाने का विचार है।

गोआ का औद्योगिक विकास

†१५८३. { श्री प्र० के० देव :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री ओंकारलाल बरवा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय व्यापारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन

---

†मूल अंग्रेजी में

के अनुसार गोआ के औद्योगिक विकास के लिये कुल सम्भाव्य विनियोजन क्या हैं; और

(ख) प्रतिवेदन में उल्लिखित औद्योगिक उपक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). जानकारी राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद के गोआ का तेल चिह्न सर्वेक्षण[1]—१९७५–७६ तक की अवधि के लिये उद्योगों पर प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदन, में उपलब्ध है जिस की एक प्रति संसदीय पुस्तकालय में प्राप्य है ।

उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय

१५८४. श्री रामेश्वरानन्द : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के अधीन कितने संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालय हैं और उनमें इस समय कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय पर उसे सदन के सम्मुख रख दिया जायगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के अधीन कार्यालय

१५८५. श्री रामेश्वरानन्द : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन के मंत्रालय के अधीन कितने संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालय हैं और उनमें इस समय कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के अन्तर्गत २५ संलग्न तथा सहायक कार्यलय कार्य कर रहे हैं। इस समय इन में काम करने वाले लोगों की संख्या ४५१६ है। ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १६७३/६३]

नया नंगल में उर्वरक कारखाना

†१५८६. श्री दलजीत सिंह : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह १० नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्वरक कारखाना, नया नंगल, द्वारा गैस के सर्वोत्तम इस्तेमाल के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : नंगल के विद्युत्-विश्लेषण[2] संयंत्र में तैयार की गई आक्सीजन गैस को शुद्ध करने के लिये कई प्रयोग किये गये थे ताकि इस का एक भाग नाइट्रिक एसिड संयंत्र में इस्तेमाल किया जा सके। अभी तक कोई भी पद्धति सफल नहीं पाई गई है। उर्वरक निगम चौथी योजनावधि में उर्वरकों की आवश्यकताओं के आयोजन की पृष्ठभूमि में उर्वरक कारखाने की क्षमता के विस्तार के लिये अतिरिक्त आक्सीजन के इस्तेमाल की सुकरता का भी अध्ययन कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Bench Mark Survey.

[2] Elec o ysis.

पत्तीदार कमानियों (लीफ़ स्प्रिंग्स) का निर्माण

†१५८७. **श्री प्र० कं० देव :**
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **स्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पत्तीदार कमानियों (लीफ स्प्रिंग्स) के निर्माण के लिये अधिष्ठापित क्षमता क्या है ।

(ख) क्या अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रयोजन के हेतु संयंत्र तथा उपकरण के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) इस समय पत्तीदार कमानियों के निर्माण के लिये अधिष्ठापित क्षमता १५,६५० टन प्रति वर्ष है ।

(ख) वर्तमान एकक अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पत्तीदार कमानी (स्प्रिंग लीफ़) उद्योग

†१५८८. **श्री बूटा सिंह :**
श्री प्र० क० देव :
श्री नर्रासिंह रेड्डी :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर गाड़ी के पत्तीदार कमानी (लीफ स्प्रिंग्स) उद्योग पर से १९६० के आरम्भ में संरक्षण इस कारण हटा लिया गया था कि वह आयात की गई कमानियों से होने वाली प्रतियोगिता का निश्चित रूप से सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकता है; और

(ख) पत्तीदार कमानी के निर्माण को सीमित करने वाली बातें कौन कौन सी हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) मोटरगाड़ियों की पत्तीदार कमानी उद्योग पर से संरक्षण इस कारण हटा दिया गया था कि विदेशी वस्तुओं से मूल्य की प्रतियोगिता दूर करन के लिये इसे प्रशुल्क संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी ।

(ख) उद्योग अपनी संस्थापित क्षमता के अनुसार निर्माण कर रहा है ।

पांचवां मशीनी औजार कारखाना

†१५८९. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पोलैंड की सहायता से हैदराबाद में पांचवा मशीनी औजार कारखाना खोलने की योजना पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस में कितनी सहायता की आवश्यकता होगी और इस मामले में पोलैंड की सरकार की क्या राय है; और

(घ) उस योजना को कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) से (घ) हैदराबाद में एक मशीन औजार कारखाना खोलने की एक योजना है। इस के लिये जरूरी सामान कई देशों से जिन में पोलैंड भी शामिल है, खरीदा जायगा। सरकार इस योजना पर सक्रिय विचार कर रही है।

बुनकर सहकारी समितियों के ऋण

†१५९०. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी औद्योगिक बैंकों को अलग से ऋण देने पर आपत्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो खासकर मैसूर राज्य में उस अस्वीकृति के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि बैंक की इस अनिश्चित नीति के कारण बुनकर सहकारी समितियों को रिजर्व बैंक से कोई ऋण नहीं मिल रहा है क्योंकि राज्य सरकार कृषि सहकारी बैंकों के जरिये ऐसे ऋण दिये जाने के लिये सिफारिश नहीं करती ?

†अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां, १९६२-६३ से।

(ख) और (ग). भारत के रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा १७(२) (खख) द्वारा रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह सहकारी समितियों को दो या उससे अधिक हस्ताक्षर प्रस्तुत करने पर जिनमें से एक राज्य सहकारी बैंक का या राज्य वित्त निगम का होगा, ऋण दे बशर्ते कि राज्य सरकार ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी की पूरी पूरी गारण्टी दे रिजर्व बैंक मैसूर राज्य सरकार की यह प्रार्थना कि वह मैसूर राज्य सहकारी बैंक के हस्ताक्षर के बिना और ऋण तथा ब्याज की चुकती के बारे में राज्य सरकार की सामान्य गारण्टी के बिना सीधे जिला औद्योगिक सहकारी बैंकों को ऋण मंजूर करे, मंजूर नहीं कर सका। नीति के तौर पर रिजर्व बैंक उद्योगों को धन देने के लिये जिला या राज्य स्तर पर नये औद्योगिक सहकारी बैंक चालू करने के लिये सहमत नहीं होती क्योंकि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में काम करने वाली सभी प्रकार की समितियों को, चाहे वे कृषि संबंधी हों या उद्योग संबंधी हों, धन दें। फिर भी रिजर्व बक ने पिछले चार वर्षों में मैसूर राज्य के जिला औद्योगिक सहकारी बैंकों तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को ऋण दिये थे।

लघु उद्योग

†१५९१. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ और १९६२-६३ में लघु उद्योगों (राज्य वार) को कितनी रकम के किराया खरीद ऋण दिये गये

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा किराया खरीद

---

†मूल अंग्रेजी में

आधार पर दी गयी मशीनों का मूल्य इस प्रकार है :—

	१९६१-६२	१९६२-६३
	रु०	रु०
मद्रास	२६,२१,८२३	४५,५२,१८८
आंध्र प्रदेश	६,११,४१७	१४,०२,६४४
केरल	७,२५,७८३	१८,५१,००८
मैसूर	१४,७६,५९७	४१,२६,१२५
महाराष्ट्र	३२,१३,४९८	५२,४९,१५८
गुजरात	४,३५,५७९	१२,७२,६१८
मध्य प्रदेश	१,५१,४२३	१३,७५,०७८
पश्चिम बंगाल	२३,२३,१५३	४४,८०,६६५
बिहार	१,१७,८६१	२,६१,०८०
आसाम	४१,४२५	२,१६,०९८
उड़ीसा	२२,९१०	१,२४,०७८
मनीपुर	—	—
त्रिपुरा	—	—
दिल्ली	२२,८०,०४३	३६,८१,०९४
उत्तर प्रदेश	२३,२१,८९१	३५,२३,४३०
पंजाब	९,९१,६१८	१५,११,३०७
जम्मू और काश्मीर	१,८६,०७७	१,७२,०११
राजस्थान	५,३९,४८८	३,०२,०५८
हिमाचल प्रदेश	—	१०,५४९
कुल	१,८०,६०,५८६	३,४१,११,१८९

संभरण तथा निबटान महानिदेशालय द्वारा कागज की खरीद

†१५९२. **श्री बूटा सिंह :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संभरण तथा निबटान महानिदेशालय ने पिछले तीन वर्षों में कुल कितना कागज खरीदा ;

(ख) उसमें से कितना अब तक इस्तेमाल हो चुका है ; और

(ग) कितना अभी बिना इस्तेमाल किये पड़ा हुआ है ?

†मूल अंग्रेजी में

संभरण विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क)

वर्ष	मेट्रिक टन
(क)१९६०–६१	६५,२२६
१९६१–६२	८३,०८५
१९६२–६३	८७,१४५

(ख) और (ग). चीफ कन्ट्रोलर ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी (निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय) तथा राज्य सरकारों के लिये आवश्यक कागज प्राप्त करने की जिम्मेदारी संभरण तथा निबटान महानिदेशालय पर होती है। कागज रखने और उसके इस्तेमाल की जिम्मेदारी चीफ कन्ट्रोलर ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तथा विभिन्न राज्य सरकारों पर होती है। ब्यौरा, जो काफी संख्या में केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन उपक्रमों के बीच फैला हुआ है, तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

संभरण तथा निबटान महानिदेशालय द्वारा कागज की मांग

†१५९३. श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में संभरण तथा निबटान महानिदेशालय ने कागज की कुल कितनी मांग की है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह कागज रखने के लिये महानिदेशालय के पास पर्याप्त जगह नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वह देश के विभिन्न भागों में प्रायवेट गोदाम और भंडार की सुविधायें किराये पर ले रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में इसके लिये कितना खर्च किया गया ?

†संभरण विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क)

वर्ष	मेट्रिक टनों में मात्रा
१९६१–६२ . . .	८३,०८५
१९६२–६३	८७,१४५

(ख) संभरण तथा निबटान महानिदेशालय का संबंध केवल चीफ कन्ट्रोलर ऑफ प्रिंटिंग एड स्टेशनरी (निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय) तथा राज्य सरकारों के लिये आवश्यक कागज प्राप्त करने से है। कागज रखने की व्यवस्था माल मंगाने वाले करते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक कि भारत सरकार के मुद्राणालय तथा भारत सरकार के स्टेशनरी आफिस द्वारा मंगाये गये कागज का संबंध है, उसे रखने के लिये पर्याप्त जगह मौजूद है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चाय की खेती और विकास के लिए ऋण

†१५९४. **श्री हेमराज :** क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय की खेती और चाय की मशीनों के विकास के लिये चाय बोर्ड की ऋण योजना की पंजाब के छोटे किसानों के बीच कोई प्रगति नहीं हो सकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी मदद के लिये किसी दूसरी योजना के बारे में सोचा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). चाय पैदा करने वाले कांगड़ा के छोटे छोटे किसान या तो अपनी हरी पत्ती की चाय कारखानों को बेच देते हैं या खुद ही हाथ से चाय तैयार करते हैं। इस प्रकार उन्हें चाय मशीनरी सुधार-खरीद योजना के अधीन सप्लाई की जाने वाली स्टैन्डर्ड चाय मशीनों और साज सामान की जरूरत नहीं है। बागान वित्त योजना जिसमें पुनः बाग लगाने, पुनःस्थापन और नये विस्तार के लिये चाय बागानों को चाय बोर्ड द्वारा ऋण दिये जाने की व्यवस्था है, २० एकड़ से कम उत्पादकों पर लागू नहीं होती। चाय उत्पादन और निर्माण में सुधार करने के लिये वित्तीय और अन्य सहायता देने के लिये छोटे किसानों को एक अलग श्रेणी में रखा गया है।

(ग) (१) पंजाब में चाय उद्योग का विकास

विशेषज्ञों का एक दल अप्रैल, १९६३ में पंजाब के चाय बागों में गया था और उसकी रिपोर्ट जिसमें सुधार के उपाय बताये गये हैं, पंजाब सरकार के विचारार्थ चाय बोर्ड द्वारा भेज दी गयी है।

(२) सहकारी चाय कारखाना

चाय बोर्ड ने बीर में एक सहकारी चाय कारखाना खोलने के लिये पंजाब सरकार को ३ लाख रुपये का ऋण दिया है। निर्माण कार्य जारी है।

(३) बागों में सुधार करने के लिए छोटे किसानों की सहकारी समितियां बनाना

इस कार्य के लिये छोटे किसानों को रुपया देने के लिये चाय बोर्ड ने राज्य सरकार को रुपया देने की योजना बनायी है। राज्य सरकार से विशिष्ट योजनायें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) सहकारी चाय बिक्री समिति का बनाया जाना

अधिक अच्छी सुविधायें सुनिश्चित करने के लिये कांगड़ा में सहकारी चाय बिक्री समिति चालू करने का विचार है ।

(५) तकनीकी सहायता

छोटे किसानों को तकनीकी सहायता देने के लिये चाय बोर्ड ने एक क्षेत्रीय परामर्श-दात्री पदाधिकारी नियुक्त किया है ।

(६) मशीनों की मरम्मत और उन के पुनःस्थापन क लिए वित्तीय सहायता की योजना

चाय मशीनों की मरम्मत और पुनस्थापन के लिये पंजाब के सीमांतिक बागों (छोटे किसानों के बागों सहित) को ऋण सहायता देने की एक योजना चाय बोर्ड चला रहा है।

भारतीय मानक संस्था

†१५९५. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बड़े :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६३ के अन्त तक भारतीय मानक संस्था ने कितने निर्माताओं को लाइसेंस दिये ;

(ख) क्या लाइसेंस प्राप्त करने के लिये कोई फीस रखी गयी है ;

(ग) क्या लाइसेंस प्राप्त करने के लिये सरकार ने कोई नियम या प्रमाप निर्धारित किये हैं ; और

(घ) जुलाई, १९६३ तक कितने निर्माताओं ने लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिये थे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जुलाई, १९६३ में के अन्त तक भारतीय मानक संस्था ने भारत में निर्माताओं को ५६७ भारतीय मानक संस्था सर्टिफिकेशन मार्क्स लाइसेंस दिये हैं ।

(ख) निर्धारित फीस इस प्रकार है :—

(१) आवेदन फीस	५० रुपये प्रति लाइसेंस
(२) वार्षिक लाइसेंस फीस	१०० रुपये ।
(३) नवीकरण लाइसेंस फीस . .	२५ रुपये ।

(ग) जी हां । नियम भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, १९५२ के अधीन बनाये गये भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियमन, १९५५ और भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) नियम, १९५५ में निर्धारित किये गये हैं ।

(घ) ११५९ आवेदन पत्र ।

सरकारी उपक्रमों के निदेशक

†१५९६. **श्री व० बा० गांधी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में एक ही आदमी एक से अधिक कम्पनियों का निदेशक (डायरेक्टर) है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें एक ही आदमी दो से अधिक कम्पनियों का निदेशक हो और सरकारी या गैर सरकारी एक ही व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी कम्पनियों का डायरेक्टर है ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) नीचे दिये गये विवरण में यह बताया गया है कि समवाय अधिनियम, १९५६ के अधीन कम्पनियों के रूप में पंजीबद्ध ५४ कम्पनियों में, जिनमें ३१-३-१९६३ को भारत सरकार के अनन्य अथवा पर्याप्त अंश थे, कितने कितने सरकारी और गैर सरकारी निदेशक कितनी कितनी कम्पनियों के निदेशक थे :—

किसी एक व्यक्ति के पास निदेशक के पदों की संख्या	निदेशकों की संख्या		
	राजकीय	गैर राजकीय	कुल
एक .	१६९	१००	२६९
दो	३१	१५	४६
तीन .	१५	—	१५
चार .	८	—	८
पांच .	२	—	२
छः . .	२	—	२

कोई एक व्यक्ति अधिक से अधिक छः कम्पनियों का निदेशक है।

सांचे बनाने का प्रशिक्षण

१५९७. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थान ने सांचे (डाई) बनाने का प्रशिक्षण देने के लिये पाठ्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को काम सिखाया जायेगा ; और

(ग) ऐसे पाठ्यक्रम कितने राज्यों में खोलने की योजना है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई सुझाव नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

तकुओं का दिया जाना

†१५९८. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष और अधिक तकुए देने का कोई निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं फिर भी यह निश्चय किया है कि वर्तमान एककों में सीमान्तिक विस्तार के लिए नियतन में वरीयता प्रदान की जाये ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

१५९९. डा० महादेव प्रसाद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२–६३ में अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को कुल कितनी धनराशि मंजूर की ;

(ख) वास्तव में उस में से कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) वर्ष १९६२-६३ में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने कौन सी परियोजनायें आरम्भ कीं ; और

(घ) विभिन्न परियोजनाओं के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १५.७३ लाख रु०

(ख) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा यथा समय उसे सदन के सन्मुख रख दिया जायगा ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

१६००. श्री कछवाय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्यों की संख्या २५ से बढ़ा कर ४७ कर दी गई है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में इन सदस्यों पर कितना व्यय हुआ ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी. हां।

(ख)

वर्ष	राशि लाख रु०
१९६०-६१	१.२३
१९६१-६२	१.४२
१९६२-६३	१.३९

†मूल अंग्रेजी में

आबू रोड में सीमेंट का कारखाना

†१६०१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में आबू रोड में सीमेंट का एक नया कारखाना खोलने के लिए जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर को मंजूरी दी गयी थी और इस फर्म को खोज पड़ताल करने का लाइसेंस भी दिया गया था ;

(ख) क्या कारखाना खोलने के लिये लाइम स्टोन की खोजबीन करने के लिए उस फर्म ने कोई व्यवस्था की थी ; और

(ग) वह मंजूरी किन कारणों से रद्द कर दी गई ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) सीमेन्ट का एक नया कारखाना खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी थी । फर्म द्वारा देश की गन्दी रिपोर्ट के मुताबिक खोज पड़ताल करने के लिए लाइसेन्स राज्य सरकार ने मंजूर किया था ।

(ख) उस फर्म ने यही बताया था ।

(ग) अब तक की प्रगति के आधार पर सरकार ने यह समझा कि वह कारखाना संभवतः जल्दी नहीं स्थापित किया जायेगा ।

पुरुलिया जिले में सीमेंट के कारखाने की स्थापना

†१६०२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक ८ अगस्त, १९६३ के पैट्रियेट में प्रकाशित इस समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक विशिष्ट फर्म को सीमेंट का कारखाना खोलने के लिये औपचारिक रूप से दिया गया लाइसेन्स रद्द किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह लाइसेंस रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी हां ।

(ख) पुरुलिया जिले में सीमेंट का एक कारखाना खोलने के लिए अभी तक कोई औपचारिक लाइसेन्स नहीं दिया गया है । केवल स्वीकृति पत्र जारी किया गया है । अब तक जो प्रगति हुई है उसे देखते हुए इस पत्र को रद्द करने के मामले की छानबीन की जा रही है ।

कपास के सम्बन्ध में निरीक्षण प्रणाली समाप्त करना

†१६०३. **श्री फिरोडिया** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास की बचत और उसकी अच्छी फसल को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार मिलों की प्रार्थना पर प्रारम्भ की गई निरीक्षण प्रणाली और अनिवार्य सर्वेक्षण प्रणाली समाप्त करने का विचार रखती है ताकि फसल की कमी से उत्पन्न कीमतों की वृद्धि रोकी जा सके; और

(ख) क्या सरकार को अखिल भारतीय वस्त्र व्यापारी सम्मेलन विदर्भ कपास व्यवसाय और दक्षिणी क्षेत्रों की मिलों से कोई प्रार्थनापत्र मिला हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं । सरकार ने यह निर्णय पहले ही घोषित कर दिया है कि कुछ रूप भेदों के साथ योजनाएं जारी रखी जायें ताकि रूई उत्पादकों और व्यवसाय को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े । चूंकि फसल संतोषजनक है . यह योजना. किस नियंत्रण और ग्रेड के बुनियादी पहलुओं को बनाये रखने के साथ साथ उत्पादकों अथवा अन्य हितों को असुविधाजनक नहीं बनायेगी ।

(ख) जी हां । सरकार को इस विषय में केवल विदर्भ कपास व्यवसाय की ओर से प्रार्थना प्राप्त हुई है ।

रूरकेला इस्पात कारखाने में तैयार इस्पात

†**१६०४. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में उद्योगों को रूरकेला इस्पात संयंत्र जिन कीमतों पर संभरित किया जाता है वे देश के अन्य इस्पात संयंत्रों (सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र) की कीमतों से अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंधमें आसाम (जोरहाट) में उद्योगों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय किया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (घ). २२ अप्रैल १९६३ तक रूरकेला इस्पात संयंत्र आसाम में सामान मंगवाने वालों से स्टाकिस्ट के अतिरिक्त समग्र रेल मार्ग और रेल व नदी मार्ग के बीच की अन्तर राशि --द्वितीय मार्ग अधिक है --वसूल कर रहा है । यह तत्कालीन समय में इस विषय से संबंधित विनियमों के अनुसार है । इस अतिरिक्त भाड़े की वसूली के विरुद्ध आसाम में औद्योगिक एककों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सरकार ने यह निर्णय किया है कि २२ अप्रैल, १९६३ से अतिरिक्त भाड़े की पूर्ति उपभोक्ताओं से वसूल न कर लोहा और इस्पात समानीकरण शोष से दी जाये ।

समवाय की प्रबन्ध व्यवस्था से निदेशक का हटाया जाना

†**१६०५. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपटपूर्ण और बेईमानी का आचरण करने के लिये उत्तरदायी किसी डाइरेक्टर को किसी समवाय के प्रबन्ध के हटाने की शक्ति प्राप्त करने के लिये क्या सरकार विधि में संशोधन करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). विवयन बोस जांच आयोग और दफ्तरी शास्त्री समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मानते हुए सरकार समवाय अधिनियम में संशोधन करने के लिये कई प्रस्तावों पर विचार कर रही है । समवाय के प्रबन्ध से किसी डायरेक्टर को हटाने की शक्ति प्राप्त करने के प्रश्न पर अन्य प्रस्तावों के साथ साथ विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली प्लास्टिक केबल निर्माता संघ

†१६०६. **श्री उमानाथ** : क्या उद्योग मंत्री ७ सितम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्लास्टिक केवल निर्माता संघ के ज्ञापन में उठाये गये विषयों पर, जो ३१ अगस्त, १९६२ के पत्र में सम्मिलित हैं, अब विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन पर क्या निर्णय किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). दिल्ली में छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को तांबा तथा नांन फैरस धातुओं के वितरण का उत्तरदायित्व दिल्ली के उद्योग निदेशक पर है । दिल्ली प्लास्टिक केवल निर्माता एसोसियेशन के ज्ञापन में उठाये गये विषय आवश्यक कार्यवाही के लिये उपर्युक्त पदाधिकारी सेवा निर्दिष्ट कर दिये गये हैं ।

दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र

†१६०८. **श्री रामपुरे** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र को लेने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). दुर्गापुर उर्वरक परियोजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के राज्य उद्योग क्षेत्र में सम्मिलित कर ली गई है । यह उस आधार पर किया गया है कि दुर्गापुर कोक ओवन परियोजना से उत्पन्न अतिरिक्त कोक ओवन गैस संभरण स्टाक का काम करेगी, और फिर, परियोजना के लिये संसाधन रुपया और विदेशी मुद्रा दोनों प्रकार से, की व्यवस्था पश्चिम बंगाल सरकार करेगी—विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध आंशिक रूप में विदेशी पूंजी विनियोग और आंशिक रूप में विदेशी ऋण द्वारा पूरा किया जायेगा । बाद में यह मालूम हुआ कि दुर्गापुर कोक ओवन संयंत्र से प्राक्त होने वाली अतिरित कोक ओवन गैस उर्वरक संयंत्र के लिये अपर्याप्त रहेगी ।चूंकि राज्य सरकार को कुछ अतिरिक्त विद्युत परियोजनाओं के लिये लगभग २३ करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन ढूंढना पड़ेगा जो राष्ट्रीय संकट से उत्पन्न अतिरिक्त खर्च की पूर्ति के लिये भी आवश्यक है, उन्होंने यह अनुभव किया कि उर्वरक परियोजना के लिये वे रुपये प्राप्त नहीं कर सकेंगे । प्रस्तावित विदेशी वित्तीय और टेक्नीकल सहयोगकारियों से अनुकूल प्रस्ताव पर स्वीकृति में भी उन्हें सफलता नहीं मिली । इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस परियोजना में आगे कोई कार्यवाही न की जाये तथा उन्होंने केन्द्र सरकार से प्रार्थना की है कि इस परियोजना को भारत के उर्वरक निगम, लिमिटेड द्वारा निष्पादित हेतु सरकारी उद्योग क्षेत्र में ले ले ।

सोलन में घड़ियों का कारखाना

१६०९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या उद्योग मंत्री १६ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न सख्या २८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोलन में घड़ियों का जो कारखाना स्थापित किया गया है, उसे किस प्राइवेट फर्म ने स्थापित किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस पर कितनी पूंजी लगी है और उसमें किस प्रकार की कितनी संख्या में घड़ियां बनाई जा रही हैं व बनाई जायेंगी ; और

(ग) उसे स्थापित करने व विकसित करने के लिये शासन ने क्या सहायता दी है व देने वाली है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) भारतीय टाइम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, दिल्ली।

(ख) यह फर्म लघु उद्योग क्षेत्र में है और किराय की इमारत में स्थित है। इसमें १५,६०० रुपये के मूल्य की मशीन, उपकरण तथा औजार लगे हुए हैं। इस फर्म को प्रति वर्ष १२,००० घड़ियां बनाने के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है। अप्रैल, १९६३ तक इसने पुर्जे जोड़कर १,००० घड़ियां तैयार की थीं।

(ग) इस कम्पनी को घड़ियां बनाने के लिये अपेक्षित मशीन, औजार, पुर्जे तथा कच्चा माल आयात करने की अनुमति दी जा चुकी है। हाल ही में लघु क्षेत्र के कारखानों द्वारा घड़ियां बनाने की सम्भावना पर पुनः विचार किया गया था। इसका परिणाम यह निकल कि ५ लाख रुपये की अधिकतम पूंजी वाले लघु क्षेत्र के कारखाने घड़ियों के केवल कुछ पुर्जे ही बना सकते हैं। इसी आधार पर घड़ियां बनाने के कार्यक्रम वाले अन्य कारखानों के साथ साथ भारतीय टाइम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को भी यही सलाह दी गई थी कि वह आवश्यकता पड़ने पर विदेशी टेक्निकल सहयोग से घड़ियों के पुर्जे बनाने के लिये संशोधित योजनायें प्रस्तुत करे।

इलैक्ट्रिक मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, डमडम

†१६१०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मोहम्मद इलियास :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रिक मेनुफैक्चरिंग कम्पनी, डमडम प्रतिरक्षा सम्बन्धी वस्तुओं की पूर्ति, उत्पादन बन्द होने अर्थात् १० जून, १९६३ के पहले करने में निमग्न थी ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कम्पनी की श्रमिक यूनियन ने प्रतिरक्षा सामग्री का उत्पादन विकास करने के लिये सरकार को अनेक सर्जनात्मक सुझाव दिये हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने का विचार रखती है कि गत्यावरोध शीघ्र समाप्त कर उत्पादन प्रारम्भ करने का विचार कर रही है ?

†**संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : (क) मैसर्स इलैक्ट्रिक मैनुफैक्चरिंग कम्पनी डमडम, अब तक मुख्यतः ए० सी० एस० और सर्व एल्युमीनियम कंडक्टर्स उत्पादन कर रही थी। दिसम्बर, १९६२ और मार्च, १९६३ के बीच उन्होंने प्रतिरक्षा सम्बन्धी तीनों वस्तुओं के संभरण के लिये आर्डनेन्स फैक्टरीज के डायरेक्टर जनरल से आर्डर बुक किये थे। जून, १९६३ में उत्पादन बंद होने के पहले उन्होंने उक्त तीन में से एक मद की सप्लाई लगभग पूरी कर दी थी।

(ख) इस यूनिट की मजदूर यूनियन से प्राप्त अभ्यावेदन में सरकार से इसकी प्रबन्ध-व्यवस्था संभालने का सुझाव दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) श्रम मंत्रालय पश्चिम बंगाल के माध्यम से इस आशय का प्रयत्न कर रहा है कि श्रमिकों और प्रबन्ध में विवाद शान्तिपूर्वक हल किया जा सके

सदस्य के त्यागपत्र के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना । श्री बूटा सिंह

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं। कल श्री यादव ने पूछा था कि क्या श्री जयपाल सिंह राज्य में मंत्री हो कर सभा में भी बैठ सकते हैं। मैं इस के बारे में आपका विनिर्णय जानता हू ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह विधान सभा और विधान परिषद् का सदस्य हुए बिना मंत्री हो सकता है । वह मंत्रिपद पर ६ महीने से अधिक समय तक नहीं रह सकते जब तक कि वह विधान मण्डल के सदस्य न चुन लिये जायें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वह यहां की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब उन्होंने मंत्री के पद की शपथ ले ली है जहां तक संविधान के उपबन्धों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में हम उन्हें मना नहीं कर सकते। अच्छा यही होगा कि वे यहां पर कार्यवाही में भाग न लें ।

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन) : चूंकि उनके पास लाभ का पद है तो क्या वे सदस्य बने रहेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** तो जो भी जुर्माने होंगे उन्हें भुगतने पड़ेंगे ।

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) : क्या आप औचित्य और प्रथा के दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जब कोई सदस्य राज्य सरकार में मंत्री बन जाता है तो क्या वह यहां बैठ सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं निश्चय ऐसा करूंगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : जब उनकी वहां आवश्यकता है तो वे यहां क्यों आए हैं ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : मंत्री यह पद की शपथ लेने के बाद उन्हें वहां से वेतन और भत्ता आदि मिलेंगे । सदस्य होने के नाते वे यहां पर भी वेतन और भत्ता ले सकते हैं। वे पटना से दिल्ली आए हैं। क्या वे अपना वेतन और भत्ता यहां से लेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस पर विचार करूंगा। मुझे समय दिया जाये। मैं इस पर विचार करवाऊंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

डा० प्रताप सिंह की लेख याचिका पर न्याय सम्बन्धी बातें

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बूटा सिंह :

†**श्री इक़बाल सिंह** (फीरोजाबाद) : मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं ।

†**श्री बूटा सिंह** (मोगा) : मैं बोल रहा हूं ।

†**श्री इक़बाल सिंह** : कल आप ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को सब्र रखना चाहिये ।

†**श्री इक़बाल सिंह** : अभी तक यह इस सभा की प्रथा रही है कि जो व्यक्ति इस सभा का सदस्य नहीं है उस पर आलोचना नहीं की जा सकती । दूसरे, यह निर्णय एक राज्य सरकार और एक व्यक्ति विशेष में झगड़े के बारे में है । यह प्रश्न राज्य सरकार और उसके कर्मचारी के बीच है । प्रश्न यह है कि जब राज्य सरकार और उस के कर्मचारी के बीच झगड़ा हो तो क्या राज्य सरकार की कार्यवाही पर चर्चा की जा सकती है । तीसरे, यह कहा जा सकता है कि आपातकालीन स्थिति में सभी शक्तियां केन्द्रीय सरकार के पास होती हैं, परन्तु मैं सादर निवेदन करता हूं कि पंजाब में विधान सभा और विधान परिषद् हैं, कार्यपालिका है, राज्यपाल हैं और सभी काम वे करते हैं । ऐसी स्थिति में मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि यह प्रस्ताव तो जोकि ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो यहां नहीं है स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** (बांदा) : तो किसी वक्तव्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कल यह नहीं कहा था कि उच्चतम न्यायालय या कोई भी निर्णय कभी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने या स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकेगा । मैंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक निर्णय ध्यान दिलाने की सूचना या विषय नहीं बन सकता और सामान्यतः हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते । परन्तु कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में ध्यान दिलाने की सूचना की आवश्यकता हो सकती है । मैंने इन सब बातों पर विचार किया था । ध्यान दिलाने कीसूचना पर प्रश्न उठाया गया है । कि..... 'केन्द्रीय सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है' । हम किसी ऐसे व्यक्ति के आचरण पर विचार नहीं कर रहे हैं जो यहां नहीं है और हम यथासंभव ऐसा नहीं करेंगे । उच्चतम न्यायालय ने जो बातें कहीं हैं और सरकार जो कदम उठा रही है उन पर ही चर्चा यहां की जा सकती है । यह सब विचार करके मैंने इस सूचना की अनुमति दी थी ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मैं औचित्य प्रश्न उठाती हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बूटा सिंह** : मैं गृहकार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे उस के बारे में वक्तव्य दें :—

"डा० प्रताप सिंह की लेखयाचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक २ सितम्बर, १९६३ के अपने निर्णय में पंजाब के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कही गई न्याय सम्बन्धी बातें और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही"।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : पंजाब सरकार के अधीन नियोजित एक सिविल सर्जन डा० एस० प्रताप सिंह ने संविधान के अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत पंजाब सरकार के इन आदेशों के विरुद्ध जिन में (१) उन को मूलत: प्रदान की गई सेवा-निवृत्ति से पूर्व की छुट्टी को रद्द करके फिर से काम पर बुलाया गया (२) कदाचार के कुछ आरोपों में जाने का परिणाम लम्बित होने तक उन को तभी से मुअतल किया गया, और (३) उन के विरुद्ध विभागीय जांच का आदेश दिया गया, पंजाब उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। पंजाब उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

इस पर डा० एस० प्रताप सिंह ने पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णनय के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की। इस अपील की सुनवाई पांच न्यायाधीशों के बेंच ने की और २ सितम्बर, १९६३ को तीन न्यायाधीशों के बहुमत निर्णनय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने अपील मन्जूर कर ली और पंजाब सरकार के कथित आदेशों को रद्द कर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत निर्णय में जजों ने कहा है :—

"अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये जिस मुख्य इरादे ने सरकार को उत्तेजना दी वह इस के विरुद्ध कदाचार के लिए अनुशासनीय कार्यवाही करना नहीं था, परन्तु मुख्य मंत्री को नाराज करने के लिये बदला लेना था और मुख्य मंत्री की उस बदनामी का बदला लेना था जो उन्होंने १५ जनवरी, १९६१ के ब्लिट्ज़ में छपे लेख में दिए गए आरोपों से की थी। इन आरोपों की पुष्टि अपीलार्थी की पत्नी के उसी समाचार को पत्र ने की। वे आरोप काफी हद तक ठीक पाए गए हैं। अत: हमारी राय है कि दोषायुक्त आदेश द्वेषपूर्ण है। क्योंकि वे अनुचित इरादे से दिये गये थे जो कि सरकार को दी गई शक्ति और विवेक से बाहर थी। अत: ये आदेश रद्द किये जायें।"

अल्पमत में दो भिन्न राय देने वाले जजों ने कहा है :—

"अत: हमारी राय में यह सिद्ध नहीं होता है कि राज्यपाल ने प्रतिवादी आदेश स्पष्टत: इस उद्देश्य से नहीं दिये थे कि अपीलार्थी के खिलाफ उस से प्राप्त हुई उन शिकायतों की उचित विभागीय जांच की जाय जिन्हें पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में ठीक पाया, परन्तु अपीलार्थी को परेशान करनेऔर उस के सम्मान को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से दिये थे, क्योंकि वह राज्य के मुख्य मंत्री को बदनाम करने के सार्वजनिक आरोपों में सहायक बने थे।"

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्बन्ध है, निःसन्देह राज्य सरकार के प्राधिकारी इनका पालन करने के लिये आवश्यक कायवाही करेंगे।

पंजाब सरकार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत निर्णय में कही गई बातों के बारे में उस सरकार की टिप्पणी प्राप्त की जा रही है। भारत सरकार इस मामले पर, न्यायिक निर्णनय और पंजाब सरकार की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए विचार करेगी।

†**श्री बूटा सिंह** : क्या पिछले चार वर्षों में पंजाब न्यायालयों से मुकद्दमे स्थानान्तरित किये जाने के लिये सभी आवेदन पत्र इस आधार पर मन्जूर कर लिए गये क्योंकि अर्जी देने वालों को ठीक डर था कि उन्हें पंजाब उच्च न्यायालय में मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप के कारण इन्साफ नहीं मिलेगा। क्या प्रधान मंत्री ने कभी इस बात पर विचार किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार पंजाब में कानून के अनुसार व्यवस्था की जानी चाहिये। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायालयों के काम में हस्तक्षेप किया जाता है, कानून का उल्लंघन किया जाता हें, संवैधानिक प्रक्रिया की बदनामी की जाती है, अतः आपातकाल के कारण मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने के लिये कहा जाये और वहां पर कानून का राज्य स्थापित किया जाये। यदि वह ऐसा न करें तो क्या सरकार का विचार संविधान के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के प्रयोग करने पर विचार कर रही है ?

†**श्री नन्दा** : सरकार के सभी कर्तव्य पूरे लिये जायेंगे। क्या मैं सभा के प्रति अत्यन्त प्रतिष्ठा की भावना से कुछ कहूं ? आपने सरकार को वक्तव्य देने के लिये कहा था और हमें कहा गया कि आज ही वक्तव्य देना है। इस समय मे जो कुछ हम कर सके हम ने किया इसीलिए हमने कहा है कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है। इस समय मैं मुख्य मंत्री के प्रश्न के बारे में और अधिक नहीं कह सकता। वह मामला नहीं उठता है।

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हम सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं और उनके निर्णनयों पर अमल किया जायेगा। उसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ बातें उस व्यक्ति के विरुद्ध कही हैं जिसका इस मुकद्दमे से सम्बन्ध नहीं, जो कि गवाह भी नहीं।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : वह इसके लिये स्वतन्त्र था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : निःसन्देह उन्हें स्वतन्त्रता थी। मैंने केवल इस बात का उल्लेख किया है कि मुकद्दमे से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों के बारे में निर्णनय के सम्बन्धों में फर्क था। हमें इस निर्णनय पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये और पालन करना चाहिए। दूसरा मामला भिन्न है। उस की ओर उचित ध्यान देना चाहिये। हम सभी पहलुओं पर संविधान के अन्तर्गत सरकार की शक्तियों पर विचार करें तो और आवश्यक कार्यवाही की सिफारिश करेंगे। परन्तु जिस व्यक्ति का मुकद्दमे से कोई सम्बन्ध नहीं था उसके बारे में भिन्न स्थिति है।

†**श्री रंगा** : उन्हें मंत्र दिया गया था। उन्हें मामले प्रस्तुत किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह ठीक है। उच्च न्यायालय से सर्जन डा० प्रताप सिंह ने आवेदन पत्र दिया था कि मुकद्दमे में उनको भी शामिल किया जाए। उच्च न्यायालय ने उन्हें मुकद्दमे के साथ न सम्बन्धित करने का निर्णनय किया और वे किसी भी स्थिति पर मुकद्दमे से सम्बन्धित नहीं थे। अतः इस पहलू पर भी ध्यान पूर्वक विचार करना है।

†**श्री नाथ पाई** : क्या आपका सुझाव है कि कार्यवाही अनुचित थी। यही मतलब है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। श्री कच्छवाय। वे प्रश्न पूछ रहे हैं या नहीं ?

श्री कच्छवाय (देवास) : क्या पंजाब के मुख्य मंत्री के आतंक के फलस्वरूप पंजाब के दो सीनियर अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली है, यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इसके सम्बन्ध में नही है।

श्री कच्छवाय : इसी से सम्बन्ध रखता है। आतंक के कारण दो अधिकारियों ने आत्महत्या की है--(**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

डा०राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य मंत्री के खिलाफ बदनीयती का आरोप लगाया है। यह कोई उसने अपनी अलग से राय नहीं बताई, इसी के आधार पर फैसला दिया है, बदनीयती पंजाब सरकार के मुख्य मंत्री की। इस बदनीयती के होते हुए क्या प्रधान मंत्री अपना जहन पंजाब के मुख्य मंत्री के बारे में बदलने को तैयार हैं ? क्योंकि उन्होंने कई बार बाप बेटे के मामले में कैरों साहब और गांधी जी को एक ही सतह पर बिठाया है -- (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। आप तकरीर नहीं दे सकते हैं। बात बताइये।

डा० राममनोहर लोहिया : तकरीर नहीं दे रहा हूं। प्रधान मंत्री से केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूं। जब तक जहन नहीं बदलेगा, कार्रवाई वह कैसे करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जब आप इस में दलीलें लायेंगे, इन्फ़ेंसिव लायेंगे, तो वह सवाल नहीं रह जायेगा--(**अन्तर्बाधायें**)

डा० राममनोहर लोहिया : उसको छोड़ देता हूं। प्रधान मंत्री जी जब तक अपना जहन नहीं बदलेंगे, तब तक कार्रवाई कैसे करेंगे--(**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे चुप रहें।

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस सवाल का जवाब दूं। ?

अध्यक्ष महोदय : आया इसकी मौजूदगी में जो प्रधान मंत्री के जहन में....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : उनका प्रश्न अंग्रेजी में भी सुनाया जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका प्रश्न यह था कि व्यक्त किये गये कथन अथवा अभिमतों के बाद क्या प्रधान मंत्री अपने दृष्टिकोण पर दुबारा विचार करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं उनके प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया । मैं हमेशा हरेक दृष्टिकोण पर दुबारा विचार करने के लिये तैयार हूं यदि इसके लिये काफी आधार हों । यह आधार पर ही निर्भर है । माननीय सदस्यों को आधार प्रस्तुत करना होगा और हम हमेशा उन पर विचार करेंगे । मैं यह कहना चाहता था, मैं दुबारा से कहूंगा —कि इस विशेष प्रश्न की बाबत, हमें इस पर सर्वोच्च न्यायालय के वास्तविक निर्णय के अतिरिक्त भी, जिससे स्वभावतः हम स्वीकार करते हैं । विचार करना होगा । क्योंकि एक व्यक्ति जिसके विषय में कुछ असम्मान-पूर्ण बातें कही गई हैं वह उस में सहयोगी नहीं था उस से गवाह के अथवा अन्य किसी रूप में संबंधित नहीं था । इसलिये वे टिप्पण किसी मामले पर सामान्य रूप से विचार करने के रूप में नहीं किये गये थे—उसके व भाग—और इस बात पर हम सावधानी पूर्वक विचार कर रहे हैं और हम इस पर विचार करेंगे । (**अन्तर्बाधाएं**) ।

†**अध्यक्ष महोदय** । श्री उटिया ।

†**श्री उटिया** (शहडोल) : क्या यह सच है कि मुख्य मंत्री कर्नाल हत्याकांड के मामले में सिविल सर्जन से गलत बयानियां और गलत रिपोर्ट्स करवाना चाहते थे और सिविल सर्जन इसके लिये तैयार नहीं थे ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये । आपका सवाल हो गया है । आप ने खत्म कर लिया हो तो बैठ जाइये . . . । यह सवाल नहीं हो सकता ।

†**श्री रंगा** : श्रीमान् गृह-कार्य मंत्री ने अल्पमत के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है उस पर मझे आपत्ति है । जहां तक सर्वोच्च न्यायालय के इस सभा का और सारे देश का, साथ ही भावी पीढ़ी का भी, संबंध केवल बहुमत के प्रतिवेदन से है । वे अल्पमत के प्रतिवेदन की आड़ में बचना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अंतिम निर्णय लेने के बाद उस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री रंगा** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कई अवसरों पर प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री से यह प्रार्थना की गई है कि पंजाब के मंत्रालय के नेतृत्व में परिवर्तन किया जाय क्या सरकार वहां के मुख्य मंत्री से त्याग पत्र देने के लिय कहने के औचित्य पर विचार करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने कहा है कि हम सारे पहलुओं पर विचार करेंगे । कई पहलू हैं, हम उन सबके विषय में सोचेंगें । संवैधानिक और कानूनी पहलू है, उस पर विचार करना है । संवैधानिक पहलू के अलावा और भी कई पहलू हैं । उन पर भी विचार किया जायेगा हालांकि वे पहलू संसद के सामने नहीं आते । केवल संवैधानिक और कानूनी पहलू ही यहां आते हैं लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हम दूसरी बातों के बारे में भी सोचेंगे । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मैं फिर इस बात को कहता हूं कि जहां तक मुख्य मंत्री का प्रश्न है हमें उस पर ऐसे व्यक्ति के रूप में विचार नहीं करना जिसने उस बात में भाग लिया था जिस पर निर्णय किया गया, और जिसको कि मानना है ; किन्तु दूसरे पहलुओं को भी देखना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): श्रीमान् मेरा एक औचित्य का प्रश्न है । प्रधान मंत्री एक ही तर्क दे रहे हैं। कि श्री कैरों इस विषय में अन्तर्गस्त नहीं थे ; किन्तु डा० प्रताप सिंह ने पंजाब सरकार के विरुद्ध अभियोग चलाया था और श्री कैरों मुख्य मंत्री के रूप में इस निर्णय से संबंधित हैं। प्रधान मंत्री के इस तर्क का यही अर्थ निकलता है कि उनका सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में विश्वास नहीं है . . . ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है । प्रधान मंत्री ने यह नहीं कहा कि उनका सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में विश्वास नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): एक केन्द्रीय मंत्री के विषय में भ्रष्टाचार के अस्पस्ट आरोप थे, उन के विषय में प्रधान मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लिया था और यद्यपि प्रधान मंत्री को और सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास नहीं था। कि वह मंत्री अपराधी है । तथापि उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा । मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने इस मामले में पंजाब के मुख्य मंत्री को त्याग पत्र देने के लिये क्यों नहीं कहा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रधान मंत्री को इस संबंध में कुछ कहने के लिये विवश नहीं कर सकता। सरकार ने यह कहा है कि वह सारी बातों पर विचार करेगी और निर्णय लेने के पहले इसके संवैधानिक राजनैतिक और दूसरे पहलुओं पर विचार करेगी ?

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर): प्रधान मंत्री ने कहा था कि मुख्य मंत्री इसमें शामिल नहीं थे। क्या मैं सर्वोच्च न्यायालय के इस अभिमत की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं :

> "हमारे सम्मुख प्रस्तुत वाद में यह सामान्य आधार है कि मुख्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग के भार साध क मंत्री थे जिसने यह कार्यवाही आरम्भ की थी . . .जिसके आदेश पर अपीलार्थी के विरुद्ध कार्य किया गया था, वे निस्संदेह मुख्य मंत्री ही थे . . . ."

क्या सरकार सारे प्रश्न पर विचार करते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रत्येक बात का ध्यान रखा जायगा। किन्तु मेरा कहना है कि इस में कुछ अन्तर है। इस में कोई सन्देह नहीं कि मुख्य मंत्री उसी विभाग के लिये नहीं बल्कि सारी सरकार के लिये जिम्मेदार हैं । किन्तु यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक लेख-याचिका का है, जहां कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, कुछ आरोप लगाय गये हैं। और वे इस में सम्मिलित नहीं हुये हैं; उन्हें इसके संबंध में कुछ कहने की स्थिति में नहीं रखा गया है और इस से कुछ अन्तर अवश्य पड़ता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : वह कैसे कह सकते हैं कि इस में शामिल नहीं थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : न्यायालय ने संभवतः अपना निर्णय कुछ साक्ष्य के आधार पर ही दिया था जो उसके सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। हरेक मामले में न्यायपालिका, न्यायालय, दूसरे पक्ष को उस मामले के संबंध में स्पष्टीकरण करने का कुछ कहना का, उसका खंडन करने का अवसर देता है । इस मामले में भी पक्षों से संबंधित वही प्रक्रिया अपनाई गई थी। मान

---

†मूल अंग्रेजी में

लीजिये एक आदमी आकर झूठा साक्ष्य देता है । अब इस कूट साक्ष्य पर यदि न्यायालय चाहे तो कार्यवाही कर सकता है । किन्तु बिना सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण किये यह उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकता और जो व्यक्ति उस में भाग नहीं लेता उसके संबंध में यह बात लागू नहीं हो सकती । जो कुछ न्यायालय कहता है उस पर ध्यान, अवश्य दिया जाना चाहिये, यह बात अलग है । किन्तु मेरा निवेदन है कि इस में अन्तर बहुत है ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी): क्या प्रधान मंत्री ऐसा कर सकते हैं कि वे सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट की नुक्ताचीनी करें ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होंशंगाबाद) : श्रीमान् ध्यान दिवलाने वाली सूचना में यह कहा गया है, "सर्वोच्च न्यायालय ने अपने २ सितम्बर, के निर्णय में . . . "। . . . श्रीमान् जब न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया जाता है तो अभिप्राय बहुमत के निर्णय से ही होता है । अब क्या हमें प्रधान मंत्री या गृह-मंत्री या सरकार इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि इस मामले पर विचार करते समय बहुमत को ही ध्यान में रखा जायगा ? संविधान के अनुच्छेद १५४ के अनुसार राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में होती है, अनुच्छेद ५३ के अनुसार केन्द्र की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में होती है । अनुच्छेद ३५३(क) में आपात काल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां बताई गई हं कि वह राज्यपाल को निदेश दे सकता है । मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद पर रह सकता है । क्या मैं पूछ सकता हूं . . . (**अन्तर्वाधायें**) ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम १९७ के अधीन इस पर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रश्न को सीधा ही पूरा कर देता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं यह पूरा नहीं किया जा सकता । इस तरह यह वाद-विवाद बन जाता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में वह अनिश्चय था और टाल मटोल करने का रुख नहीं अपनायेंगी ? यदि वह इस मामले में तत्क्षण कार्यवाही नहीं करेंगे तो मुझे विश्वास है कि उन्हें इस देश में प्रजातन्त्र की कब्र खोदने वाला ही समझा जायगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह कैसे हो सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : डा० सिंघवी

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, कि क्या सरकार स्वयं अपनी कब्र खोद रही है या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ लोगों के लिये यह प्रश्न स्पष्ट होगा, किन्तु यह मेरे लिये भी तो स्पष्ट होना चाहिए । पहली बात तो यही है कि आश्वासन दिया जा चुका हे और जहां तक टाल मटोल करने और अनिश्चय के रुख का संबंध है क्या कोई मंत्री ऐसा कह सकते हैं कि निर्णय की सभी बातों को ध्यान में नहीं रखा जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : उन्होंने अल्प मत के निर्णय का उल्लेख क्यों किया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अल्पमत का भी उल्लेख किया जा सकता है किन्तु हमेशा बहुमत का निर्णय ही न्यायालय का निर्णय नहीं माना जाता है । इसलिये न्यायालय के जिस निर्णय को मानते हुये सरकार कुछ करेगी वह बहुमत का ही निर्णय होगा । डा० सिंघवी ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : प्रधान मंत्री ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मुख्य मंत्री इस बात में शामिल नहीं हुये, यद्यपि निर्णय से हमें यह मालूम होता है कि उन्हें अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का खंडन करने का पूरा अवसर उपलब्ध था । क्या सरकार के मत में यह निर्णय एक बड़े विकार का संकेत मात्र है और क्या सरकार हमें यह आश्वासन देगी कि पंजाब में हुये कानून के उल्लंघन आदि की पूरी जांच की जायेगी ? और यदि हो तो क्या सरकार यह समझती है कि अनुच्छेद ३५३(क) के अधीन यह सरकार का दायित्व है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझ से यहां यह बचन देने की आशा नहीं की जा सकती कि यह एक बिल्कुल भिन्न बात है—मैं पंजाब की सारी स्थिति के बारे में कि वहां क्या किया गया है, कितनी उसने प्रगति की है, और कितनी अवनति हुई है, पूरी जांच करूं। यह एक बहुत बड़ा कार्य है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मुख्य मंत्री के कार्यों की जांच ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता न ही यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इसकी पूरी जांच करूंगा ।

†**श्री नाथपाई** : हम चाहते हैं कि कानून का उल्लंघन करने के ही संबंध में जांच की जाये !

डा०राममनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो सर्वोच्च न्यायालय में मुकदा हुआ उस में प्रतिवादी पंजाब सरकार थी तो क्या मुख्य मंत्री भी प्रतिवादी नहीं थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर सारे इन्तिजाम के लिये जिम्मेदार थे ।

डा० राममनोहर लोहिया : लेकिन वो तो बार बार कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट तो पार्टी थी लेकिन मुख्य मंत्री नहीं थे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा एक औचित्य का प्रश्न है । पंजाब के मुख्य मंत्री बाद में प्रतिवादी थे फिर कैसे प्रधान मंत्री कहते हैं कि वे इस में शामिल नहीं थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक तथ्य की बात है । माननीय सदस्यों के पास निर्णय की प्रति होगी, उस में यह बात देखी जा सकती है । इसके बारे में विवाद करने की क्या आवश्यकता है ।

†**श्री लहरी सिंह** (रोहतक) : एक औचित्य का प्रश्न है श्रीमान् । मुख्य मंत्री इस में शामिल थे । मैं निर्णय का संबंधित अंश पढ़ कर सुनाता हूं :

"प्रस्तुत मामले में मुख्य मंत्री के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये थे और कई बातें ऐसी थीं जिन के विषय में केवल उन्हें ही व्यक्तिगत जानकारी हो सकती थी

---

†मूल अंग्रेजी में

और केवल वही उनका खंडन कर सकते थे ... इन परिस्थितियों में हम यह उचित नहीं समझते कि अपीलार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों को अस्वीकार कर दें....."

†**अध्यक्ष महोदय :** आखिर यह तर्क इसी बात को बताते हैं कि यह सारे आरोप उनके विरुद्ध थे, यह नहीं कि वे नियमित रूप से इस में शामिल थे .. **(अन्तर्बाधाएं)**

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** मेरा एक औचित्य का प्रश्न है । प्रधान मंत्री ने कहा था कि यह बहुत बड़ा कार्य है । क्या बड़ा कार्य होने से संविधान के दायित्व से बचा जा सकता है, उसकी उपेक्षा की जा सकती है, उसकी काट-छांट की जा सकती है ? हम जानते हैं कि यह बड़ा कार्य है । हमें यह बताया जाये कि वे अनुच्छेद ३५३ (क) में उल्लिखित अपने दायित्व को समझते हैं । क्या वे संविधान की आवश्यकताओं के अनुसार काम करने को तैयार हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं संविधान के अधीन सरकार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह जानता हूं और मुझे आशा है कि मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा और सरकार भी करेगी किन्तु केवल इस बात से कि श्री सिंघवी यह कहते हैं कि यह किया जाना चाहिये मैं यह नहीं समझ पाता कि मुझे ऐसा करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री त्यागी !

†**श्री त्यागी :** मैं आप से पथप्रदर्शन चाहता हूं । मैं प्रधान मंत्री से पूरी तरह सहमत नहीं हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा था कि यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

†**श्री त्यागी :** यदि प्रधान मंत्री के कथन का अर्थ यह था कि श्री प्रताप सिंह कैरों किसी ऐसे कार्य के लिये उत्तरदायी नहीं हैं, जो सरकार की ओर से किया गया है, तो मैं सहमत नहीं हूं । किन्तु मैं एक भेद करना चाहता हूं । यदि मुख्य मंत्री या सरकार के विरुद्ध कोई निर्णय हो, तो मुख्य मंत्री उत्तरदायी हैं । किन्तु यदि कोई चीज़ उन के व्यक्तिगत के सम्बन्ध है तो मुख्यमंत्री उत्तरदायी नहीं हो सकते । फिर प्रताप सिंह उत्तरदायी होंगे यदि प्रधान मंत्री यही भेद कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं । अतः उन के व्यक्तित्व के बारे में जो आलोचना की गई है, उन की जांच होनी चाहिये और यह देखा जाना चाहिये कि उन्होंने क्या गलती या अपराध किया है । क्या उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपराध किया है । केवल इसी प्रश्न का स्पष्टीकरण किया जाय ।

श्री रामसेवक यादव : प्रधान मंत्री जी ने कहा कि पंजाब उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों को शहादत के लिय नहीं बुलाया, मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पंजाब उच्च न्यायालय के कई फैसले जो कि राज्य से सम्बिन्धित थे, एक यह भी जो मौजूदा बहस तलब है, वह सर्वोच्च न्यायालय ने सब को रद्द किया उस के ख़िलाफ तो क्या प्रधान मंत्री पंजाब के मुख्य मंत्री के खिलाफ़ जो वहां की स्थिति है, उस पर कार्यवाही करते समय वह जो पहली बात कही उस के साथ इस बात का भी ध्यान रक्खेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री त्यागी** : आप ने मेरे औचित्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सब कुछ अध्ययन किये गये बिना उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्री राम सेवक यादव ने जो कहा उस के मानी यह हैं कि और बातें जो हुई हैं, उन पर भी विचार किया जायगा कि नहीं उस के साथ, और बातें मालूम नहीं किस किस . . .

श्री राम सेवक यादव : यह मेरा सवाल नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि आप ने प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि उच्च न्यायालय पंजाब ने उन को शहादत के लिये नहीं बुलाया, मैं जानना चाहता हूं कि पंजाब सरकार के ख़िलाफ़ और भी उच्च न्यायालय ने उन के सामने जो मुकद्दमे थे, उन की अपील सर्वोच्च न्यायालय में आई. सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ़ फैसला दिया और इस में भी दिया, तो वहां पंजाब के मुख्य मंत्री के ख़िलाफ़ कार्यवाही करते समय इस तथ्य को भी दिमाग में रक्खा जायगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने यह नहीं कहा कि पंजाब हाईकोर्ट ने उनको बुलाया नहीं बल्कि पंजाब के हाईकोर्ट के सामने दरख्वास्त गुजरी थी दूसरे फरीक की, एक सरजन की कि उन्हें एक फरीक बनाया जाय, पार्टी बनाया जाय इस मुकदमे में । उन्होंने इस से इंकार कर दिया और पार्टी बनाने से इंकार कर दिया । उनको बुलाने का सवाल नहीं था और चुनांचे वह यहां भी पार्टी नहीं थे । अब जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वह सिर आंखों पर है लेकिन जो कुछ वह कहें उस फैसले के अलावा, उसमें यह गौर तलब बात है कि जिसकी निस्बत कहते हैं उसको मौका दिया गया कि नहीं कि वह चाहे शहादत पेश करता या कुछ और करता। यह गौरतलब बात है उसका कहां तक असर होता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : औचित्य प्रश्न के हेतु

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप कसे इस तरह खड़े हो सकते हैं ?

श्री राम सेवक यादव का सवाल जहां तक मैं समझा हूं यह था कि आया यह फैसला करते समय सिर्फ इस सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट के जो रिमार्कस हैं वही ध्यान में रखे जायेंगे या और कोई बातें जोकि पहले कई और जजमैंट्स में और जगह हुई हैं उनका भी ध्यान रक्खा जायगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक यह सवाल है उस पर गौर किया जायगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उसके आगे पीछे क्या बातें हैं। जहां तक और सवालों का ताल्लुक है जिसका कि उन्होंने जिक्र किया तो वह एक अलग चीज है । यानी उस पर गौर किया जाय दूसरी शक्ल में। लेकिन इसका कानूनी थोड़ा सा विधान के रूप से क्या करना है, क्या हमें करने का अधिकार है, वह तो इतना ही देखा जायगा लेकिन और भी देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिये ।

डा० राममनोहर लोहिया : पंजाब उच्च न्यायालय को नहीं देखा जाना चाहिये जबकि सर्वोच्च न्यायालय की बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत में पंजाब एक ऐसा अभागा राज्य है जिसकी कि राज्य सरकार और उसके वर्त्तमान मुख्य मंत्री के खिलाफ यह पहली बार नहीं इससे पहले भी चार बार सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रकार के स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता कि ग्रेवाल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या स्ट्रिक्चर्स पास किये, कपूर केस में क्या स्ट्रिक्चर्स पास किये, मक्खन सिंह त्रिसिखा एम० एल० ए० के केस में क्या स्ट्रिक्चर्स पास किये और पी० सी० बधवा एस० पी० के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ क्या स्ट्रिक्चर्स पास किये.....

अध्यक्ष महोदय : आप कहते तो हैं कि मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता लेकिन आप जा उन्हीं में रहे हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जैसे गृह मंत्री जी ने कहा कि डा० प्रताप सिंह का जो निर्णय सर्वोच्च अदालत ने दिया है उसमें तीन जजों में से दो जज इस बात से सहमत थे और बहुमत से यह निर्णय हुआ तो क्या मैं जान सकता हूं कि तीनों जज जो एक बात पर सहमत थे कि मुख्य मंत्री और उनके परिवार ने, जो छोटी छोटी रिश्वतें लेने और अस्पताल की दवाओं को हटाने और अपने यहां लाने की बातें कही हैं, उन पर तीनों सहमत थे, यदि हां तो जब श्री दास की सैमी रिपोर्ट पर अपने एक सहयोगी मंत्री श्री केशव देव मालवीय का त्यागपत्र प्रधान मंत्री द्वारा ले लिया जाता है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के इतने स्पष्ट निर्णय के बाद क्या प्रधान मंत्री अपना कोई मस्तिष्क बनाने को तैयार नहीं हैं। (इंटरप्शंस)

श्री जवाहरलाल नेहरू: बार बार सवाल उठाते हैं आखिर किस चीज को मांगते हैं, और क्या नहीं मांगते, कुछ पता नहीं चलता है। रिश्वत का सवाल, मुख्य मंत्री क निस्बत तो कोई मैंने सुना नहीं.....

एक माननीय सदस्य : रिपोर्ट पढ़ लीजिये।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुख्य मंत्री के सिलसिले में कुछ नहीं था। (इंटरप्शंस)।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर, अब आप बैठ जायें।

(अंतर्बाधा)

श्री जवाहरलाल नेहरू : सीधी सी बात है। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके मैंने दो हिस्से किये हैं। एक पर तो, जो कि उनका फैसला है, फौरन अमल होगा और जो उनकी राय है कुछ और बातों पर—उनमें और फैसलों में कुछ फर्क होता है—, उस पर भी गौर होगा, लेकिन दूसरे ढंग से गौर होगा। मेरे इल्म में नहीं आया—मैं नहीं जानता, शायद हो— कि मुख्य मंत्री के खिलाफ रिश्वत के चार्ज का कोई इशारा भी हुआ है। और बातें हो सकती हैं कि उन्होंने जा या बेजा काम किया है। वे और बातें हैं, जो कि गौरतलब हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि पंजाब में क्या हुआ और उन्होंने दो तीन मुकदमों का जिक्र किया, जिनके फैसले हो गये हैं। मैं उन की निस्बत क्या कहूं ? लेकिन पंजाब में और भी बातें हुई हैं, जिन में पंजाब सब से आगे रहा है। इस लड़ाई में . . . (अन्तर्बाधा)।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न नहीं आ सकता है । उनका फिक्रा पूरा नहीं हुआ है और व्यवस्था का प्रश्न पहले आ गया । इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं आ सकता है ।

श्री रामसेवक यादव : फिक्रा पूरा हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं हुआ है । माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें और जवाब सुन लें ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : औचित्य प्रश्न के हेतु ?

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय,.....

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह अर्ज कर रहा था कि उन्होंने जिक्र किया दो तीन मुकदमों का और कहा कि उन पर गौर होना चाहिये । जाहिर है कि जो कुछ उन में हो, लेकिन गौर करने में यह भी देखना है कि पंजाब में क्या क्या हुआ है । इस वक्त, इस इमरजेंसी के वक्त, जो पंजाब ने किया है, वह हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं हुआ है—बड़ा काम उस ने किया है । (**अन्तर्बाधा**) ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वे मुख्य मंत्री का समर्थन कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : उन्होंने मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया किन्तु वे पंजाब के उन्नति के बारे में कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । (**अन्तर्बाधा**) । क्या इतने माननीय सदस्य एक वक्त पर खड़े हो कर बोलना चाहते हैं ? सब माननीय सदस्य बैठ जायें, तब मैं बुला सकता हू । क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने खत्म कर लिया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं ।

श्री ब्रजराज सिंह (बरेली) : प्रधान मंत्री ने कहा है कि कुछ हुआ है । क्या वह व्याख्या करेंगे कि क्या हुआ है ?

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब बैठ जायें । श्री हेम बरूआ ।

श्री रामसेवक यादव : मैंने पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । उसका जवाब नहीं आया ।

श्री कछवाय : सवाल शास्त्री जी ने किया था ।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य सवाल नहीं कर सकते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसेवक यादव : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हेम बरुआ : प्रधान मंत्री ने अभी पंजाब की सफलताओं के बारे में वक्तव्य दिया है। क्या यह संगत है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : माननीय सदन के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा निवेदन सुन लें। अगर आप उसके बाद व्यवस्था दें, तो अच्छा होगा।

इस समय पंजाब के मुख्य मंत्री के बारे में जो प्रश्न चल रहा है, वह सर्वोच्च न्यायालय के फसले के संबंध में है। मुख्य मंत्री उस संबंध में कहां तक संबंधित हैं और उस विषय में भारत सरकार क्या करने जा रही है, आज यह प्रश्न है—यह नहीं कि वहां के मुख्य मंत्री ने कौन सा बढ़िया काम किया और कौन सा अच्छा काम किया। अगर यह मान लिया जाये कि उन्होंने कोई बढ़िया काम किया है, तो जो बढ़िया काम करे और आज रिश्वत ले, तो क्या उसको माफ कर दिया जाये, क्योंकि उस ने पहले बढ़िया काम किया है, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय : पहले उन का जवाब सुन लें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं अपनी बात पहले इस लिये कहना चाहता हूं, ताकि आप मेरा जवाब भी दे सकें।

जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्टर्ज के संबंध में चार नाम आप के सामने कहने चाहे थे कि मिलखा सिंह त्रिसिखा, एम० एल० ए० और प्रतापचन्द्र वधवा, एस० पी० के केसिज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या विचार प्रकट किया है, तो आपने "आर्डर, आर्डर" कह कर यह कहा कि यह इससे संबंधित नहीं है और इस आधार पर आपने मुझे उन नामों को पढ़ने की भी आज्ञा नहीं दी। जब इस समय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में यह चर्चा चल रही है और उसके अतिरिक्त कोई प्रश्न यहां पर विचाराधीन नहीं है, तो क्या प्रधान मंत्री जी को इस बात की आज्ञा है कि वह पंजाब के मुख्य मंत्री को प्रमाण पत्र देकर उनके दोषों पर धूल डालने की कोशिश करें ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है—और खुशी भी है— कि इस बात का एतराज आपोजीशन की तरफ से ही आया है कि इस वक्त जो बहस हम कर रहे हैं, वह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बारे में है। माननीय सदस्य, श्री शास्त्री, ने कहा है कि जब वह कुछ नाम पढ़ने लगे, तो मैंने "आर्डर, आर्डर" कहा, लेकिन यह लिखा हुआ है कि मेरे "आर्डर, आडर" कहने के बावजूद वह सब कुछ कह गये।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : उन्होंने चार बार इसका उल्लेख किया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैंने सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर्ज नहीं पढ़े।

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ कहा गया है। हर एक मेम्बर से, जिसने सवाल किया है, जजमेंट से बाहर जाता रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : दोनों ओर । हर एक ने नहीं, बहुत से माननीय सदस्यों ने ऐसा किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने आपको दुरुस्त करता हूं । हर एक ने नहीं, बहुत से माननीय सदस्यों ने ऐसा किया है और जब उन्होंने कोई भी सवाल किया, तो वे इस सवाल की हद में नहीं रहे, बल्कि उससे बाहर जाते रहे ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : यह प्रधान मंत्री ने किया है ।

श्री कछवाय : प्रधान मंत्री जी बाहर गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर प्रधान मंत्री जी भी बाहर गये हैं, तो फिर दोषी कोई भी नहीं, वर्ना दोनों दोषी हैं । (**अन्तर्बाधा**)

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । जब श्री रामसेवक यादव ने यह प्रश्न पूछा कि :

> "क्या शहादत ली गई थी और शहादत देने से उन्होंने इन्कार किया था", तो प्रधान मंत्री जी ने उसके जवाब में कहा कि शहादत की बात नहीं थी, बल्कि वहां पर उनको तलब नहीं किया गया, उनको एसोशिएट नहीं किया, उनको पार्टी नहीं बनाया गया । जजमेंट में कहा गया है :—
>
> "अगला आरोप उस प्रार्थना के बारे में है"

अध्यक्ष महोदय : प्वायंट आफ आर्डर क्या है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रधान मंत्री ने या तो निर्णय नहीं पढ़ा या कुछ ऐसी चीज कही है जिसका निर्णय से संबंध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि उनका वक्तव्य ठीक नहीं है तो इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : मेरा सवाल यह है कि जब गवर्नमेंट ने यह तसल्ली दिला दी है कि वह चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एन्क्वायरी करेगी और मालूम करेगी कि क्या एक्शन लिया जाये, तो क्या वह इसके साथ ही ग्रेवाल के केस और आर० पी० कपूर के केस, जो कि बड़े इम्पार्टेंट केसिज हैं, पर भी गौर करने के लिये तैयार है या नहीं ?

श्री स० मो० बनर्जी : ग्रेवाल का केस आलरेडी सेंटर में है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे अफसोस है कि मैंने कुछ कहा था और मैं इस मामले के बाहर चला गया था । लेकिन जब और लोगों ने इतना कहा, तो मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा सा कह दूं, क्योंकि अगर यह और वह सवाल देखा जायेगा, तो पूरे सवाल देखे जायेंगे । कुछ साहबान चाहते हैं पंजाब के सिलसिले में एन्क्वायर करना कि वहां पर कैसी गवर्नमेंट चली । तो पूरा देखना होगा कि उसने कितना फायदा किया, कितना नुकसान किया, अगर जरूरत हो, तो । (**अन्तर्बाधा**)

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और प्रधान मंत्री ने फिर वही बात दोहराई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : आपने जो सवाल किया, उसका उन्होंने जवाब दिया ।

श्री लहरी सिंह : मेरा सवाल वेग नहीं है । मेरा सवाल यह है कि जहां इस बात का ख्याल किया जायेगा, तो क्या ग्रेवाल और कपूर के इम्पार्टेंट केसिज का भी ख्याल किया जायेगा या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दिया है कि सब बातों का ख्याल किया जायेगा ।

श्री रामसेवक यादव : एक तो मेरी शिकायत यह है कि आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । दूसरे, चूंकि आपने व्यवस्था नहीं दी, इसलिये प्रधान मंत्री ने फिर वही फिक्रा दोहरा दिया । प्रश्न यह है कि अगर किसी जुल्मी के खिलाफ या किसी अभियुक्त के खिलाफ कोई चार्जिज हैं, तो उसका फैसला करने में, वह कभी भविष्य में अच्छा काम करे, या उस ने भूत में कोई अच्छा काम किया है, उसको भी दृष्टि में रखा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं होना चाहिये । मैं माननीय सदस्य से इत्तिफाक करता हूं । अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पटसन (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) संशोधन आदेश, जोखिम बीमा निगम लेखा परीक्षित लेखों सहित और उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १० अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०२६ में प्रकाशित पटसन (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० १६५९/६३]

(२) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत निर्यात जोखिम बीमा निगम लिमिटेड, बम्बई की वर्ष १९६२ की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१६६०/६३]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का प्रमाणीकृत लेखा, उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित और उन्हें सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

†**श्री मनुभाई शाह :** श्री कानूनगो की ओर से मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २३ की उपधारा

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) के अन्तर्गत, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ का प्रमाणीकृत लेखा, उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित ।

(२) उपरोक्त (१) में उल्लिखित पत्र को टेबल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १६६१/६३]

पर्यटन सम्बन्धी तदर्थ समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षों तथा सिफारिशों का सारांश

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं पर्यटन संबंधी तदर्थ समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षों तथा सिफारिशों के सारांश बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६६२/६३]

उन मामलों का विवरण जिन में निम्नतम टेण्डर स्वीकार नहीं किये गये

†**सम्भरण मंत्री (श्री हाथी)** : मैं उन मामलों का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं जिन में ३० जून, १९६३ को समाप्त होने वाली छमाही में इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा निम्नतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६६३/६३]

परिसीमान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आदेश संख्या २

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, १९६२ की धारा १० की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २६ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४४३ में प्रकाशित जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर निर्धारित स्थानों में से प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिये नियत किये जाने वाले स्थानों की संख्या के बारे में परिसीमन आयोग के आदेश संख्या २ की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १६६४/६३]

सभा का कार्य

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : आपकी अनुमति से मैं ९ सितम्बर, १९६३ को आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :

(१) खाद्यान्नों के मुल्यों में असाधारण वृद्धि और भारत सरकार की खाद्य नीति सम्बन्धी प्रस्तावों पर आगे विचार ।

(२) गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर संघ लोक सेवा आयोग के बारहवें वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा ।

(३) शिक्षा मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष १९६१–६२ के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा ।

(५) भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक, १९६३ को संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के प्रस्ताव पर चर्चा ।

(६) बुधवार, ११ सितम्बर, १९६३ को ३.०० म० प० बजे खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा चीनी की स्थिति और उसका मुकाबला करने के लिये किये जाने वाले उपायों और चीनी (नियंत्रण) आदेश, १९६३ के बारे में दिये गये वक्तव्य पर जो १७ अप्रैल, १९७३ को सभा पटल पर रखा गया था । श्री काशी नाथ पाण्डे तथा अन्य सदस्यों द्वारा नियम १९३ के अधीन उठाई जाने वाली चर्चा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : गणपूर्ति विधेयक के सम्बन्ध में बताया गया था कि विधि मंत्रालय ने विधेयक तैयार कर लिया है और इसे संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक में सम्मिलित किया गया है । किन्तु उस विधेयक में गणपूर्ति के बारे में कुछ नहीं है । यह मामला ८ वर्षों से चल रहा है, किन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया । मैं आशा करता हूं कि आप सरकार से कहेंगे कि यह विधेयक इस सत्र में लाया जाये ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : संसद् कार्य मंत्री ने कहा है कि संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक अगले सप्ताह लिया जायेगा । क्या यह इसलिये किया जा रहा है कि साम्यवादी दल के नेता ने पिछले सत्र के अन्तिम सप्ताह में कहा था कि यह विधेयक लाया जाये ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : हम यह जानना चाहेंगे कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति स्थापित करने के बारे में क्या स्थिति है । इस मामले को बहुत देर से स्थगित किया जाता रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : संसदीय मामलों के मंत्री से मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेफा रिपोर्ट पर प्रतिरक्षा मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था उसके सम्बन्ध में चर्चा के लिए आपने, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और रक्षा मंत्री ने भी उस चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं की है । लेकिन अगले सप्ताह का जो कार्यक्रम उन्होंने अभी घोषित किया है, इस में उसका कोई उल्लेख नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी कामत साहब से कहा है कि इसका उत्तर आ रहा है ।

श्री बागड़ी : कालिंग स्टेशन था सुनारों के बारे में उसको भी अगर बिजिनेस में ले लिया जाये तो बहुत अच्छी बात होगी । सौ सुनार मर गये हैं और सत्याग्रह चल रहा है ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (कोप्पल) : मैंने कई बार यह मांग की है कि गुलहाटी आयोग के प्रतिवेदन पर यहां चर्चा की जाये । यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिये समय निकाला जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिये समय निकालना सरकार का काम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सत्य नारायण सिंह : सबसे पहले मैं शास्त्री जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। उनके मोशन को आपने एडमिट भी किया है और गवर्नमेंट उसके लिये तैयार भी है। उस पर अढ़ाई घंटे की जो बहस है, नो डेट येट नेम्ड मोशन जो है, उसको यह देने के लिये तैयार . . .

अध्यक्ष महोदय : झगड़ा करना चाहते हैं . . .

श्री सत्य नारायण सिंह : अढ़ाई घंटे, समय है, आपको अखत्यार है, हाउस को अखत्यार है, चाहें तो समय को बढ़ा भी सकते हैं।

चूंकि हमने शूगर वाला डिसकशन कबूल कर लिया था, इस वास्ते यह नेफा रिपोर्ट नहीं आ सकी है इस विजिनेस में जो मैंने अभी एनाउंस किया है। इसके बाद के वीक में वह आ जायेगी। उस वीक में हम इसको रखना चाहते हैं। जिस दिन शूगर पर डिसकशन है, उस दिन अगर नेफा को रख दिया जाए और शूगर की डिसकशन आखिरी सप्ताह के लिये पोस्टपोन कर दी जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर शास्त्री जी इन दोस्तों को राज़ी कर लें, तो गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है। शूगर के बारे में चूंकि हम पहले वादा कर चुके हैं, इस वास्ते इसको रखा है।

श्री बागड़ी : शूगर के मामले को भी ले लें और नेफा की रिपोर्ट को भी ले लें।

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** श्री रंगा ने कहा है कि संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक लाने में साम्यवादियों ने हम पर दबाव डाला है। किन्तु मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यह विधेयक किसी साम्यवादी सदस्य के कुछ कहने से बहुत पहले लाया गया था और इस पर सरकार तथा योजना आयोग ने बड़ा गम्भीरता के साथ विचार किया था।

श्री रंगा और कुछ अन्य सदस्यों ने मुझे इसके विरोध में लिखा है। किन्तु हम अन्त में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये। भूमि कानूनों के सम्बन्ध में श्री रंगा और हमारे विचारों में भेद हैं ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** आप को ज्ञात है कि प्रस्ताव लगभग तैयार है और इसे अगले सप्ताह सदन के सामने रख दिया जायेगा।

गणपूर्ति के बारे में, श्री म० ला० द्विवेदी का एक विधेयक सदन में अस्वीकृत हो चुका है और सदन यह निर्णय कर चुका है कि कोई नया उपबन्ध न किया जाये।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यदि यह स्थिति है तो १ से २.३० तक गणपूर्ति का प्रश्न न उठाने की प्रथा बिल्कुल गैर-कानूनी होगी और सदन में लागू नहीं की जा सकती।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रथा सदन की सहमति से चलाई गई थी किन्तु यदि सदस्य गणपूर्ति पर आग्रह करे, तो कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** मैंने केवल इतना निवेदन करना है कि चूंकि सदन ने गणपूर्ति विधेयक का समर्थन नहीं किया था, इस लिये हम ने इसे जारी नहीं रखा। फिर भी आप की आलोचना के बाद हम इस पर विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मेरा निवेदन है कि नेफा सम्बन्धी प्रतिवेदन के लिये कम से कम एक पूरा दिन दिया जाये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरे विचार में इस के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वयं प्रतिरक्षा मंत्री को रखना चाहिये और इसके लिये समय दो दिन से कम नहीं होना चाहिये ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैं पहले कह चुका हूं कि सरकार श्री प्रकाशवीर शास्त्री के नाम में एक अनियत दिन का प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है और इसके लिये २।। घंटे होते हैं किन्तु यदि देखा गया कि इसके लिये अधिक समय चाहिये, तो समय बढ़ाया जा सकता है ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मैं समझता हूं कि २।। घंटे काफ़ी नहीं होंगे । इस लिये मेरा निवेदन है कि हमें पहले से बताया जाये कि कितना समय दिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं देखूंगा कि वादविवाद कैसे चलता है और उसके बाद देखा जायेगा कि कितना समय चाहिये ।

कार्य मंत्रणा समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से जो ५ सितम्बर, १९६३ को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है" ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से जो ५ सितम्बर, १९६३ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समिति के लिये निर्वाचन

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रौद्योगिक संस्थायें एक्ट, १९६१ की धारा ३१ (२) (ट) और ३२ (४) तथा (५) के उपबन्धों के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, डा० के० एल० राव के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, १५ मई, १९६५ को समाप्त होने वाले तीन वर्ष की शेष अवधि में उक्त एक्ट की धारा ३१ (१) के अन्तर्गत स्थापित की गई परिषद् के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि प्रौद्योगिकीय संस्थायें एक्ट, १९६१ की धारा ३१ (२) (ट) और ३२ (४) तथा (५) के उपबन्धों के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, डा० के० एल० राव के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, १५ मई, १९६५ को समाप्त होने वाले तीन वर्ष की शेष अविध में उक्त ऐक्ट की धारा ३१ (१) के अन्तर्गत स्थापित की गई परिषद् के सदस्य के रुप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम नियम १९३ के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करेंगे।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय अभी तक इस बहस का नतीजा इतना निकला है कि मैं ने २७ करोड़ हिन्दुस्तानियों के लिए तीन आने रोज की आमदनी कही, प्रधान मंत्री ने १५ आने रोज की और योजना मंत्री ने साढ़े सात आने रोज की। अब प्रधान मंत्री और योजना मंत्री आपस में निबट लेंगे कि दोनों में कौन सही है ।

मेरी बहस यह नहीं है कि हिन्दुस्तानियों की और खास तौर से २७ करोड़ की आमदनी तीन आने या साढ़े तीन आने या ढाई आने है। बल्कि यह देश इतना गरीब है जिसका अन्दाजा इस सरकार को नहीं है, और इस गरीबी को दूर करने के लिए जब तक इस सरकार में भावना नहीं आएगी, तब तक कोई अच्छा नुस्खा तैयार नहीं हो सकता ।

पहली बात तो मुझे कहनी है, जो आंकड़े योजना मंत्री ने यहां रखे उनके बारे में, कि वह कर जांच कमेटी के लिये तैयार किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने पूछा था कि किस तरह से हिन्दुस्तान के लोगों की आमदनी है और खपत है ताकि वह कर अच्छा और ज्यादा लगा सकें। इसलिए इस जांच समिति के आंकड़े पहले से ही सन्देहात्मक थे क्योंकि उनका तात्पर्या ही कुछ और था...

श्री त्यागी (देहरादून) : वह खर्च के आंकड़े थे, आमदनी के नहीं थे ।

डा० राम मनोहर लोहिया : ठीक है, लेकिन वह दिखाना चाहते थे कि हिन्दुस्तानी ज्यादा खर्च करते हैं, इसलिए उन के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओ। बिल्कुल साफ बात है, छपा हुआ है किताब में। जो सेंट्रल सर्वे छापता है । उस में लिखा है कि वह टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी की तरफ से कहा गया है ताकि फाइनेन्स मिनिस्ट्री उस से अपना काम काज चला सके। यह सब लिखा हुआ है । इस पर आप बहस न करिए नहीं तो प्रधान मंत्री की तरह आप भी फंस जाएंगे ।

तो पहली बात तो मुझे यह कहनी है ।

और दूसरी बात यह है कि सन् १९४८–४९ की जो आधार कीमतें हैं उनको छोड़ कर अक्सर चालू कीमतें ले ली जाया करती हैं। और इस तरह की एक रुकावट मेरे सामने और आ जाती है कि ये अंक शास्त्री लोग कौन हैं। जिस वक्त बंगाल में पचास लाख आदमी भूख से मरे थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उस वक्त इन अंक शास्त्रियों ने साबित किया था कि खाली पांच लाख मरे हैं। तो इसलिए मंत्रियों ने को बड़ा सावधान रहना चाहिये, और उन्हें कोई दिशा देनी चाहिये । म कोशिश करूंगा कि इन अंकों, को, जहां तक हो सके, अपने दिमाग को लगा कर के भी इस्तेमाल करूं । तो पहली बात मुझे यह कहना है। और दूसरे योजना मंत्री ने जो आंकड़े दिये उस के अनुसार देहाती खपत ८७ अरब रुपये की हो जाती है । ८७ अरब । और जो हमारी राष्ट्रीय आमदनी खेती से है जिस में कि मैं पशुधन को शामिल किए लेता हूं वह कुल ६६ अरब या ६६०० करोड़ रुपये की है । तो ६६०० करोड़ रुपये की देहाती आमदनी और ८७०० करोड़ रुपये का खर्चा यह योजना मंत्री के आंकड़े से बिल्कुल साफ़ साबित होता है । वैसे मुझे चाहिए कि खेती की आमदनी में से पशुधन की रक़म अलग कर लूं लेकिन उस को बिना अलग किए हुए ही २००० करोड़ रुपय का फर्क पड़ता है । एक माने में ३०००–३५०० करोड़ रुपये का फर्क पड़ जाता है, जो कि दो हिसाब दिये हैं उन में। हो सकता है, कि सरकार की तरफ़ से यह कहा जाय कि आमदनी में और खर्चे में फर्क है क्योंकि खर्चे में दान भी जोड़ लिये जाते हैं, कर्जा भी जोड़ लिया जाता है । अब इस के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि लगातार कर्जा नहीं चल सकता है । कर्जा तो २, ४, ५ या १० वर्ष की चीज़ होती है । आख़िर क़र्जा और खर्चा यह किसी न किसी तरीक़े से एक होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत फ़र्क चाहे रहे ।

एक बहुत बड़ी ग़लती इन उपभोक्ता आंकड़ों में होती है और वह यह कि इन में मूल्य फर्क जोड़ लिया जाता है । मिसाल के लिए मैं आपको बतलाऊं कि ईन्धन और रोशनी पर १३वें चक्र के आंकड़े हैं जो छप चुके हैं। और योजना मंत्री ने १७वें चक्र के बताये, उन के लिए हमारे पास कोई आधार नहीं है। १३वें चक्र के मैं बतला रहा हूं कि ईंधन और रोशनी पर नक़द खर्चा सब से नीचे के लोगों पर २० पैसे रक्खा गया है और खर्चा रक्खा गया है ९१ पैसे । २० पैसे और ९१ पैसे । इसी तरीक़े से एक और समूह का रक्खा है नक़द खर्चा २८ पैसे और दूसरा कुल खर्चा एक रुपये २ पैसे । चीनी के लिए १५ पैसे नक़द खर्चा है और दूसरा खर्चा १९ पैसे रख दिया गया है । इस तरीक़े से कुल खर्चे को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कितना भी बढ़ायें ६६०० से ८७०० तक बढ़ा देंगे, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अनुचित काम है ।

मैं एक दूसरा तरीक़ा बतलाऊंगा उस हिसाब को लगाने के लिए और वह यह है कि सन् १९६०–६१ में हिन्दुस्तान के ३२ करोड़ खेतिहरों को जो देहात में रहते हैं, ४५ पैसे रोज़ की आमदनी पड़ती थी। आज ६१–६२ में ३५ करोड़ खेतिहरों को ४३ नये पैसे रोज़ के हिसाब से हो गयी । अब यह हिसाब मैं ने कैसे लगाया है, वह तो एक लम्बा किस्सा होगा, ख़ाली इतना ही बतला दूं कि यह सरकार के आंकड़ों से ही हिसाब लगाया गया है, ४५ पैसे रोज़ और ४३ नये पैसे का । यह साधारण तौर से मान लिया जाता है कि जो ऊपर के १० सैकड़ा लोग हैं वहां की पूरी आमदनी का ५० सैकड़ा ले लिया करते हैं जिसका कि नतीजा यह होता है कि ६०–६१ में हम खेतिहरों को २५ पैसे रोज़ की आमदनी थी और ६१–६२ में २३ पैसे रोज़ की आमदनी थी, यह सरकार के आंकड़ों से सिद्ध होता है । अगर मान लीजिये इन में पशुधन की आमदनी जोड़ भी ली जाय तो २७ पैसे रोज़ की आमदनी यानी साढ़े ४ आने की आमदनी पड़ती है । लेकिन पशुधन जोड़ना नहीं चाहिये क्योंकि जिन लोगों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं वह इस हैसियत में नहीं हैं कि पशु बगरह रख कर अपनी आमदनी को बढ़ा लिया करें । इसलिये जो सरकार के अपने आंकड़े हैं उन से यह सिद्ध होता है कि २७ करोड़ से ज्यादा आदमी ४ आने रोज़

के ऊपर जिन्दा रहते हैं । यह जो राष्ट्रीय आमदनी के आंकड़े सरकार की तरफ से छपे हैं, उन के बारे में मैं कह रहा हूं ।

इस सिलसिले में मैं एक थोड़ी सी जानकारी जो मैं ने हासिल की वह बतलाना चाहूंगा । अब वह कहां तक सही है या ग़लत है यह मैं नहीं कह सकता । बहरहाल मैं आपको बतलाता हूं कि जब से यह राष्ट्रीय आमदनी का सिलसिला सरकार ने चलाया है तब से शुरू से ही २० सैकड़े की बढ़ती कर दी गई है चाहे जिस इरादे से की गई हो । बढ़ती इसलिए भी की जा सकती है कि हिन्दुस्तान को ज्यादा अमीर दिखाना है जितना कि वह है । दूसरे इसलिये भी हो सकती है कि सरकार को यह टैक्स कर लगाने की सुविधा हासिल करनी है और यह सब को मालूम है कि जो भी आंकड़े हमारे असली हैं उन में २० सैकड़े की बढ़ती कर के यह सारे आंकड़े छापे जाते हैं।

अब मैं आप से एक और बात बतलाता हूं और वह है ग़रीब प्रदेशों की दर, जिन आंकड़ों को कि योजना मंत्री ने रक्खा था और वह दूसरे सैंशस जनगणना वाले आंकड़े थे । उस में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश यह ६ हिन्दुस्तान के सब से गरीब इलाक़ हैं। इनकी कुल देहाती जन संख्या २० करोड़ होती है वैसे तो कुल २३ करोड़ है । मुझे उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा मालूम है । सरकार ने वह आंकड़े हर साल छापे हैं। एक बार तो १८२ रुपया फ़ी आदमी हर साल देहात की आमदनी थी और वही अगर तर्क लगाया जाये कि ऊपर का दस सैकड़ा ५० सैकड़ा आमदनी हज़्म कर लेता है या एक दूसरा तर्क जो कि मैं जरीये से लगाता हूं कि उपभोक्ता लेकर ऊपर का २० सैकड़ा खा लेता है ६० सैकड़ा और नीचे के ८० सैकड़े के लिए केवल ४० सैकड़ा बच जाता है । है । यह आंकड़े मैं ने खुद सरकार की किताब से लिये हैं। यह बात दूसरी है कि आंकड़े दूसरे के हैं, अलबता जो कुछ मैं ने हिसाब लगाया है वह मेरा अपना है। मैं सरकार को सलाह दूंगा कि विशेषज्ञों के आंकड़ों को वह इस तरीक़े से इस्तेमाल न करे बल्कि किसी दिशा के साथ करें। बिना दिशा के इस्तेमाल करने का नतीजा ख़राब हो सकता है । इसलिये यह जो १८२ करोड़ रुपये फ़ी आदमी की हर साल के उत्तर प्रदेश के देहात की आमदनी है । वह अगर ५० सैकड़े वाला घटा दिया जाता है तो १०१ रुपये हो जाती है और अगर ८० सकड़ा ले लिया जाता है तो ९१ रुपये हो जाती है । इसके मानी यह हुए कि वह चार आने के नीचे रहता है । ४ आने के नीचे खुद सरकार के आंकड़े से २७ करोड़ से ज्यादा लोगों की आमदनी रह जाती है यह तो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है फिर उसके बाद १९३ रुपये की भी रक़म दी गई है फ़ी आदमी पीछे और वह थोड़ी सी बढ़ सके तो वह चार आने रहेगी या साढ़े तीन आने या सवा चार आने होगी । इस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा । यह मैं ने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा है कि हालांकि यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मुझ जैसा निकम्मा आदमी और प्रधान मंत्री जैसा अज्ञानी आदमी इस सूबेका प्रतिनिधित्व इस जगह पर करते हैं जो कि इतना गरीब सूबा है । उस के साथ साथ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान यह सब भी उसी हालत में पड़े हुए हैं, और करोड़ों लोग, मैं ने आप से बतलाया, २० करोड़ देहाती, उनमें से या तो आप घटा दीजिये दस सैंकड़े के हिसाब से २ करोड़ और २० सैंकड़े के हिसाब से ४ करोड़ हुए, तो यह १८ करोड़ या १६ करोड लोग सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक चार आने या साढ़े तीन आने रोज़ पर अपनी जिंदगी चला रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आप को याद दिलाऊं कि प्रधान मंत्री ने २२ अगस्त सन् १९६० को कहा था कि राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में २० प्रतिशत की

की वृद्धि हुई । फिर उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि यह बढ़ती चली कहां गई ? तो सच पूछो एक माने में वह पहले ही इसे मान चुके हैं कि उन्हें पता नहीं कि कहां चली गई यह बढ़ती । तब उन्होंने यह १४ अक्तूबर सन् १९६० को आय वितरण समिति बनाई थी । अब मेरा सवाल यह है कि वह समिति कहां चली गई ? इस सवाल पर कुछ थोड़ी सी तफ़सील की बात मैं आगे बतलाऊंगा लेकिन पहले एक और तो चीज़ के ऊपर मैं आप का ध्यान खींच दूं कि हिन्दुस्तान में एक एकड़ से कम खेती करने वाले ३४ सैकड़ा कुटम्ब हैं और २४ सैकड़ा जमीन एक सैंकड़ा कुटम्ब के पास चली जाती है । इस आंकड़े से कुछ ख़तरनाक़ नतीजा निकलता है । मैं ने तो २० करोड़ के लिए ३ आने वाली बात कही थी । अब मैं यहां कहना चाहता हूं कि १० से १५ करोड़ हिन्दुस्तानी सिर्फ़ २ आने की आय पर रहते हैं । मेरे पास ख़त आये हैं । बहुतेरे ख़त आये हैं कि यह तुमने तीन आने कह कर कैसा अन्याय कर दिया ? अगर इस तरह के आंकड़े को दूसरे ढंग से भी साबित करना चाहें तो खेतिहर मज़दूरों की संख्या क़रीब ७ करोड़ है । इन में १ या आधा करोड़ घटा दीजिये जो शायद ऊंची अवस्था में हों फिर छोटे किसान की संख्या मालूम है, ढाई एकड़ तक के किसानों की संख्या कम से कम १५–१६ करोड़ होगी । फिर कारीगरों की संख्या मालूम है वह भी २, ३ करोड़ होगी । फिर शहर के अन्दर २० से २५ सैकड़ा लोग ऐसे हैं जो कि बड़ी मुश्किल से जिंदगी बसर करते हैं । मुश्किल से क्या, वह कैसे जिंदा रहते हैं, मुझे नहीं मालूम । वे पगपथ पर रहते हैं। वे बेचारे झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं और शहर के कुड़ेदानों पर जाकर उसमें से दाने बीन बीन कर किसी तरह से अपनी जिंदगी बसर करते हैं और जो लोग देहात से आ कर यहां आमदनी करते भी हैं, वे खुद बहुत कम ख़र्च करते हैं, क्योंकि अपने देहाती आदमियों को उन्हें पालना होता है । फिर आदिवासी हैं, विधवायें हैं, और अगर मैं कहूं कि, तो फक्कड़ साधू हैं — सरकारी साधू नहीं । इन सब को मिला कर कोई २७–३० करोड़ आदमी आ जाते हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अगर इन आंकड़ों के अलावा मैं आंखों देखी हालत बताऊं, जो कि प्रधान मंत्री, योजना मंत्री और सरकार को अपने सामने रखनी चाहिये, तो वह यह है । मैंने बनारस में गाय को मुर्दे का मांस खाते देखा है इस सरकार में। मैंने उड़ीसा में, जहां मछलियां बिल्कुल रह नहीं गई थीं, बहुत मामूली थीं, सैकड़ों लोगों को जाल फैंक कर मछली पकड़ते देखा है । मैंने तामिलनाड में सेलम में लाखों कारीगरों को दस आने रोज बारह आने, चौदह आने रोज़ कमाते देखा है और सुना है और अगर वह हिसाब भी लगाया जाये, तो तीन आने से कम पड़ता जाता है । इसी तरह से जो भी हमारी जनसंख्या के छोटे वर्ग हैं, अगर उनकी तरफ ध्यान देंगे, तो आमदनी उतनी ही आ जायेगी ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : गोबर में से दाने बीन कर खाते हुए मैंने राजस्थान में देखा है।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने भी देखा है कूड़े में से चीज़ें निकालते हुए, गोबर में से अनाज निकालते हुये । मैंने बहुत कम बताया था । मैं ने सोचा था कि कहीं कोई नाजुक दिल टूट न जाये, इसलिए मैंने दो आने वाली बात नहीं कही थी ।

ये खुद सरकार के ही आंकड़े हैं । इन सरकारी अंक शास्त्रियों में कुछ होड़ चला करती है । एक संस्था यहां दिल्ली में ही काम करती है, जिसको कहते हैं आर्थिक जांच की राष्ट्रीय कौंसिल । उसने २९ ज़िलों के नाम दिये हैं, जिनमें कुछ ज़िले हैं—बहुत सम्भल कर बोलना पड़ता

है--जो १०० रुपये के नीचे जाते हैं। दरभंगा ९६ रुपये फ़ी आदमी, सारन, छपरा : ९६ रुपये फ़ी आदमी, देवरिया : ९८ रुपये फी आदमी, टेहरीगढ़वाल : ८४ रुपये फी आदमी । अगर वही तरीका यहां भी लागू किया जाये जो मैंने पहले दिया था कि ऊपर के १० सैंकड़ा के लिए ५० सैकड़ा निकाल दो और अगर इस खपत जरीब के ज़रिये २० सैंकड़ा के लिये ८० सैकड़ा निकाल दो, तो फिर इन ज़िलों की आमदनी तीन आने फ़ी आदमी रोज़ से भी कम पड़ती है । मैं ने चार के ही नाम गिनाये हैं। और इस तरह के चालीस के करीब हैं, जोकि ११०, १२० और और १२५ रुपये की आमदनी वाले हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा सवाल है और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका ध्यान रूल १९५ की तरफ़ खींचना चाहता हूं जिसमें लिखा हैं :

> "सभा के सामने न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो उसे चर्चा में भाग लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी । "

मुझे १४ सदस्यों ने ऐसी सूचना दी है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या आप कुछ समय बढ़ा सकते हैं ? क्योंकि सभी माननीय सदस्य चाहेंगे कि वह बहस में भाग लें ।

श्री बागड़ी : यह देश की किस्मत का सवाल है । इस का समय बढ़ा दिया जाये। **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने बीस मिनट ले लिये हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं समझता हूं कि कांग्रेस के माननीय सदस्य भी चाहेंगे कि समय बढ़ाया जाये । **(अन्तर्बाधा)**

कुछ माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जाये । **(अन्तर्बाधा)**

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : चर्चा का समय बढ़ा दिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह नहीं होता है ।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य स्थिति के बारे में ढ़ाई घंटे का समय दिया गया था और उसमें ढ़ाई घंटे और बढ़ा दिया गया। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिये भी समय और बढ़ा दिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आप पांच मिनट का समय और लेकर अपनी बात समाप्त करें ।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष जी, यह तो इस सदन और आपका अधिकार है कि समय बढ़ा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे पांच मिनट और ले लें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जीवन-स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है, यह इस तेरहवें, चक्र से साबित होता है कि करीब ३० सैंकड़ा आबादी का खर्चा १९५२ में पड़ता था १० रुपये, २८ नये पैसे —यह मैं सरकार वाले आंकड़े दे रहा हूं—और १९५७-५८ में वह घट कर १० रुपये १४ नये पैसे हो गया । प्रधान मंत्री जी अपनी किताबों को खुद पढ़ लिया करें, तो उन को पता चल जाये कि चीजें घटती जा रहती हैं । १५ रुपये, ७० नये पैसे था और तीस सैंकड़ा घरों के लिए, जो घट कर १४ रुपये ५० नये पैसे हो गया । सिर्फ़ २ सैंकड़ा घरों का खर्चा ४५ रुपये से बढ़कर के ४८ रुपये हुआ है । यह जीवन-स्तर घटता चला जा रहा है ।

जहां तक राष्ट्रीय आमदनी का सवाल है, वह पहले ७ रुपये फ़ी आदमी हर साल बढ़ा करती थी । वह अब बन्द हो गई है, ऐसा मेरा हिसाब बताता है, जो दो नये पैसे प्रति-व्यक्ति होता है—दो नये पैसे फ़ी आदमी फ़ी साल, अगर इस रफ़्तार से हम लोग चलते गये, तो न जाने हम को किस किस के शिकार होना पड़ेगा, सिर्फ़ चीन का ही नहीं । दूसरे देशों में घाना और चीन की बात मैं खास तौर से कहूंगा, रूस और अमरीका की नहीं । घाना में करीब ३०—४० रुपये फ़ी साल फ़ी आदमी के हिसाब से बढ़ रहा है और चीन ५०—६० रुपये फी आदमी फ़ी साल । हम क्यों बंध गये ? इसका कारण यह है कि खपत का आधुनिकीकरण हमारे यहां हुआ है और पैदावार के आधुनिकीकरण को किये बग़ैर हम ने यूरोप और अमरीका की नक्ल करना शुरू कर दिया । नेताओं, नगर-सेठों और नौकरशाहों का जीवन-स्तर तो उठता चला गया, ताकि वे यूरोप और अमरीका के बराबर आ जायें, लेकिन साधारण जनता का जीवन-स्तर नहीं उठ पाया ।

दो तीन लाख हर साल साहब बनते हैं, यह इस योजना का परिणाम जरूर होता है और वहां बहुत काफ़ी हिस्सा बढ़ती हुई आमदनी का चला जाता है । मेरे हिसाब से इस वक्त पचास लाख बड़े लोग हैं हर साल तीन लाख साहब या लोग बनते हैं । पिछले बारह पंद्रह बरस से तीन लाख साहब से बड़े साहब हो गये हैं । एक मानी में कहा जाये, तो अंग्रेजों की सरकार तो तीन लाख लोगों की सरकार थी । और यह सरकार पचास लाख लोगों की सरकार है ।

अगर आमदनी के आंकड़े, आय-कर को भी आप देखें, तो पता चलता है कि ९,५२,००० आदमी कर देते हैं, जिस के ऊपर दो अरब का कर है और बारह अरब आमदनी है । लेकिन हर एक जानता है कि कम से कम उतनी ही रकम और है मुनाफ़े की या दूसरी तरह से सुविधा वग़ैरह की, जो कि मंत्रियों वगैरह को मिलती है । तो सब मिला कर करीब २५ अरब रुपया है । यह २५ अरब रुपया केवल एक सैंकड़ा आदमी ले लेते हैं, यह सरकारी आंकड़ों से सिद्ध होता है । मेरे आंकड़े तो खैर और ज्यादा आगे जाते हैं ।

मैं समझता हूं कि आसानी से १० -१२ अरब रुपया एक हिसाब से और १५—२० अरब रुपया दूसरे हिसाब से बचाया जा सकता है इस खपत के आधुनिकीकरण से, जिससे सरकार का भी ठीक काम चल सकता है, लोगों के ऊपर करों का बोझा कम हो सकता है और खेती, कारख़ानों का पूंजीकरण भी ज्यादा अच्छा हो सकता है । लेकिन यह वही कर सकता है, जो इस दर्द को जाने ।

यह विशेषज्ञों की सरकार हो गई है और दिशाहीन विशेषज्ञों की । कोई भी पुर्जा मंत्री को बढ़ा देता है और मंत्री बगैर सोचे समझे उस को पढ़ देता है क्योंकि मंत्री बेचारों को कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या खेती है, क्या कारख़ाने हैं, क्या राष्ट्रीय आमदनी है । मंत्रियों

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० राममनोहर लोहिया]

को खुद अपना दिमाग़ लगाना चाहिये । इन बातों के ऊपर सोच-विचार कर उन्हें दिशा बतानी चाहिए, क्योंकि अंक -शास्त्री और अर्थ शास्त्री तो विषधर की तरह हैं और बीन जिस तरह की बजाओगे, उसी तरह से वह नाचने लग जायेगा और अगर बीन बजाना ही, नहीं जानते हो, तो फिर नतीजा क्या निकल सकता है ?

मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान की आमदनी के बंटवारे को ठीक किया गया, तो बीस रुपया हर साल की वृद्धि की जा सकती है और कोई मामूली अक्ल के आदमी भी इस काम को कर सकते हैं, लेकिन तब जब बढ़ती के सब हिस्सेदार हों ।

मैं आप से अर्ज़ करूंगा कि मेरे ख़िलाफ़ यहां पर काफ़ी ज़हर उगला गया पच्चीस हजार रूपये रोज़ के ख़र्च के मामले में। लोगों ने कहा कि मैं उकसाता हूं कि प्रधान मंत्री को कत्ल कर दिया जाये । लोगों ने नहीं सोचा कि वे उकसा रहे हैं कि मुझ को कत्ल कर दिया जाये। इस तरह का ज़हर मेरे ख़िलाफ़ उगला जाता है । मैं ने तो खाली एक सिद्धान्त की बात उठाई थी, वर्ना मुझे क्या मतलब पड़ा हुआ है। अगर एक आदमी पच्चीस हज़ार रुपया रोज़ खर्च कर देता है, तो मैं उस को माफ़ भी कर देता, लेकिन मेरे लिए सवाल ये है कि उस की नक्ल कर के ये एक सैकड़ा बड़े लोग २५ अरब रुपये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से—और ५० अरब रुपया मेरे आंकड़ों के हिसाब से—ले जाया करते हैं । यहां कई माननीय माननीय सदस्यों ने कहा कि पच्चीस हजार क्या चीज़ है, करोड़ों खर्च करेंगे । मैं उनको खाली याद दिलाना चाहता हूं वह किस्सा जो १९१६ में गांधी जी ने बड़े लाट वाइसराय के बारे में कहा था । वाइसराय बहुत ज्यादा खर्च करता था अपने ऊपर, लेकिन इतना नहीं जितना ये हज़रत करते हैं । व इसका छठा भाग ही था । तब महात्मा गांधी ने कहा था, यह बड़ा भूखा देश है, गरीब देश है, खाने को नहीं मिलता है अगर बड़े लाट इतना रुपया खर्च करने से ही अपनी जिन्दगी बचाते हैं तो इससे ज्यादा अच्छा है कि वह मर जायें । ये गांधी जी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं ।

आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत ज़बर्दस्त धधकती आग है भूख की और गरीबी की। तबियत तो मेरी यही कहती है कहने को कि धधकती आग में यह सरकार जल कर के खाक हो जाए और मेरे जैसे निकम्मे आदमी जो इस सरकार को न हटा पाये, शायद उन के लिए भी खत्म होना अच्छा ही होगा ।

†श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : गरीबी का प्रश्न हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । यदि हमारी सरकार इसका कोई उपचार न कर सकी तो देश का भविष्य अन्धकार-मय है । आंकड़े की बातें तो सब बनावटी हैं । एक बात स्पष्ट है और इस में किसी का भी कोई मतभेद नहीं कि हमारी ६० प्रतिशत से अधिक जनता केवल २५ रुपये प्रति मास प्रति व्यक्ति आय से कम आय पर गुजारा करती है । हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया गया था । उस सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश के ६ करोड़ लोग प्रतिदिन ५ आने अथवा इस से भी कम आय पर गुजारा करते हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि ४ करोड़ लोग चार चार आने अथवा कम पर और २ करोड़ लोग २ आने अथवा कम आय पर गुजारा करते हैं । १९६१ में एक गोष्ठी हुई थी । उस के कार्यकारी दल ने भी इसी प्रकार के ही निष्कर्ष निकाले हैं । श्री ढेबर ने 'खादी ग्रामोद्योग' में एक लेख अप्रैल १९६३ में लिखा कि ६०

†मूल अंग्रजी में

प्रतिशत परिवार के मुखियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं मिल पाता। उन्हें अपने बच्चों के लिए खाने, पहिनने, रहने तथा शिक्षा की व्यवस्था करने में ही पिस जाना पड़ता है। बहुत उद्धरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं, परन्तु समय का अभाव है।

कुछ वर्षों की बात है कि संयुक्त राष्ट्र वालों ने भी अपने खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उस प्रतिवेदन में लिखा था कि भारत में सब से कम कलरियां खाद्य होती है। उन की सूचि में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया था कि सब देशों से हमारी खुराक कमजोर है। १५ जून, १९६३ के 'आर्थिक साप्ताहिक' में एक लेख प्रकाशित हुआ है कि १९५६-५७ में भारत की ग्रामीण आय की चर्चा थी। उस में लिखा था कि कृषि के लिए काम करने वाले लोगों की औसतन आय ११३.२७ रुपये हैं। यह प्रति व्यक्ति की आय है। द्वितीय कृषि जांच समिति के अनुसार भूमिहीन किसान १९५६–५६ में ५७ प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं जब कि १९५०-५१ में वे ५० प्रतिशत थे। भारत सरकार के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार गांवों में बहुत से लोगों की आय ५०० रुपये प्रतिवर्ष से भी कम है। ८० प्रतिशत लोगों की आय १,००० रुपये वार्षिक से कम है। ऐसे भी लोग हैं जिन की औसतन आय १९६०-६१ में लगभग २३० रुपये है। मैं बहुत से आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं परन्तु यह अब अनावश्यक ही होगा परन्तु यह खेद का विषय है कि ऐसी स्थिति देश में इतने वर्षों की स्वतंत्रता के पश्चात् भी जारी है। गांवों में लोगों की हालत बहुत खराब हो रही है। पश्चिमी बंगाल में लोगों को काफी समृद्ध समझाजाता है, परन्तु आय का अन्तर बहुत ही अधिक है। महात्मा गांधी भी प्रायः अपने प्रवचनों में भारत की नंगी गरीबी का उल्लेख किया करते थे और कहा करते थे कि गरीबों का भगवान तो केवल अन्न ही है।

अभी कल ही राज्य सभा में माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि देश में आठ ऐसे बड़े लोग हैं जिन से कम से कम एक करोड़ रुपया आयकर का बकाया है। देश में ऐसे लोग हैं जो करोड़ों में खलते हैं। ८० हजार रूपये की कार खरीदते हैं। ऐसे फिल्म अभिनेता हैं जिन के यहां २२०,००० रुपये की चोरी हो जाती है तो अन्तर नहीं आता। और एक ओर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दाने दाने को मोहताज हैं। किसी भी सरकार के लिए ऐसी परिस्थितियां शोभा की बात नहीं हैं। स्पष्ट है कि सरकार लोगों के लिए न्यूनतम निर्वाह स्तर की व्यवस्था करने में असफल रही है। वह विविध वर्गों के व्यापक और स्थायी अन्तर को भी दूर नहीं कर सकी। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस परिस्थिति को बदलना है। यदि हालात न सुधरे और समय पर कार्यवाही न हुई तो परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं।

†**श्री मुरारका (झुनझुनू)** : आज की चर्चा का मुख्य कारण डा० लोहिया का यह तर्क है कि देश के २७ करोड़ लोगों की आय ३ आने प्रति व्यक्ति है, परन्तु डा० लोहिया ने यह नहीं बताया कि उन की इस जानकारी का आधार क्या है। मेरी समझ में उन की बात नहीं आई। इस बात को तो स्वीकार करना ही होगा कि हमारी अधिकांश जनता की प्रति व्यक्ति आय अभी भी बहुत कम है। लोगों के जीवन निर्वाह के व्यय स्तर में अभी अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। फिर भी मैं इसे स्वीकार नहीं करता कि हमारे देश की सत्ताईस करोड़ जनता की आय तीन आना प्रतिदिन से कम है।

सब से प्रथम मेरा निवेदन है कि द्वितीय कृषि श्रम जांच १९५६-५७ में हुई थी। उस के अनुसार जिस ने भूमिहीन श्रमिकों की आय की जांच की थी, प्रत्येक कृषि श्रमिक परिवार की औसत आय ४३७ रुपये प्रतिवर्ष है। अर्थात प्रति व्यक्ति यह आय औसतन १०० रुपये प्रतिवर्ष फैलती है। यह लगभग ७ करोड़ भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति है। ये लोग हमारे समाज का निम्नतम वर्ग है। एक स्वतंत्र विदेशी सांख्यकीय अधिकारी, श्री लाईडील के अनुसार हमारी ६५ प्रतिशत जनसंख्या की

†मूल अंग्रेजी में

मासिक आय ११.६ रुपये प्रति मास है। योजना आयोग के अनुसार भी ६० प्रतिशत लोगों की औसतन आय प्रति व्यक्ति १३ रुपये प्रति मास है अभी हाल ही में योजना मंत्री ने सरकार की ओर से बताया गया था कि ग्रामीणों का व्यय ७० नये पैसे प्रतिदिन है। और इस तरह गांवों में रहने वालों की संख्या ३६ करोड़ है। एक ऐसा वर्ग है, जहां आय बहुत थोड़ी है, और इस परिस्थिति में आय और व्यय में अधिक अन्तर नहीं हो सकता।

राष्ट्रीय आय की दृष्टि से इस आय की तुलना अन्य देशों की राष्ट्रीय आय से नहीं हो सकती। वह बड़ा कठिन कार्य है। प्रत्येक देश के अपने अपने हालात हैं। प्रत्येक देश की हालात एक जैसी नहीं है और प्रत्येक का निर्वाचन भी स्वेच्छापूर्ण नहीं है। इसके व्यवहारिक प्रमाण भी है। हम देखते हैं कि विभिन्न वस्तुओं जैसे कपड़ा, मिट्टी का तेल, चाय, काफी चीनी, बनस्पति, जूते, साइकल इत्यादि की खपत प्रति व्यक्ति बहुत बढ़ी है। इसका कारण इतना ही है कि जो लोग इन चीजों से आज से पूर्व वंचित थे वे ही इनको अब अधिक खरीद रहे हैं। सम्पन्न व्यक्ति तो इसे पहिले भी खरीदते थे और आज भी खरीदते हैं। वृद्धि का कारण गरीब व्यक्तियों की खरीद है। कपड़े की खपत ११.३ से १५.७ मीटर हो गयी है। मिट्टी का तेल ३.३ लिटर से ६.७ लिटर हो गया है, चाय २१५ ग्राम से २८० ग्राम हो गया है। काफी वृद्धि ५२ से १०५ ग्राम है। चीनी ३.२ किलोग्राम से ५.८ किलोग्राम हो गयी है। बनस्पति ४७२ से ८०२ ग्राम हो गयी। इसी तरह जूतों और साइकिलों में भी वृद्धि हुई है।

मेरा अन्त में यह कहना है कि यदि इस देश में लोग ३ आने प्रतिदिन के खर्च से जीवन चला रहे हैं तो यहां बहुत सस्ता है और मूल्यों के बढ़ने की बात गलत है। २७ करोड़ लोग भूखे रह करके तो जीवित नहीं रह सकते। मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े अधिक ठीक हैं और प्रति व्यक्ति आय ७ आना प्रतिदिन से अधिक है। बल्कि ७.५ आना प्रतिदिन है और श्री लोहिया का आंकड़ा गलत है।

†श्री रंगा (चित्तूर) : डा० लोहिया ने इस प्रश्न पर बिचार करने का अवसर पैदा कर दिया है। मेरा कहना है कि जिस मुख्य पर बिचार किया जाना है, वह यह है कि क्या सरकार की नीतियों और योजनाओं के फलस्वरूप देश की आम जनता की स्थिति वास्तव में सुधरी है अथवा नहीं। १५ वर्षों से कांग्रेस पदारूढ़ है, योजनायें भी बन चुकी हैं, परन्तु हालात कुछ सुधरे नहीं।

अभी हाल ही उस दिन प्रधान मंत्री कह रहे हैं, कि अब आगे से कुछ अधिक ही खाने को मिलेगा, परन्तु सरकारी तौर पर जो आंकड़े बताये जाते हैं और जो सरकार का रिकार्ड है उस से भी प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई है और ऐसा लगता है कि पंच वर्षीय योजनाओं की कार्यान्विति के फलस्वरूप अब प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की सभी सम्भावनाएं समाप्त हो गयी हैं। दूसरी ओर हमारे लोगों के खपत स्तर में भी बहुत कमी हुई है। जिसकी आय १९५१-५२ में २५० थी वह १९६१-६२ में गिर कर १९३ रुपये हो गयी। योजनाओं से आय बंढ़ी नहीं निराशा ही हुई है। हमारे देश में करोड़ों श्रमिकों को कम से कम २० औंस अनाज प्रतिदिन चाहिए परन्तु मिलता उसे केवल १३.६ औंस है। इसी तरह दालों और कपड़े इत्यादि की खपत में काफी वृद्धि हुई है। लोगों का जीवन स्तर नीचे को आ रहा है और यह बात तो स्वयं प्रधान मंत्री जी ने भी कई बार कही है कि गरीब और गरीब और अमीर और अमीर होता जा रहा है। महलानोबिस समिति का प्रतिवेदन सरकार ने प्रकाशित नहीं किया, पता नहीं उस में भय की क्या बात थी, परन्तु प्रोफसर महलानोबिस ने स्वयं यह बात कही है

कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय पांच आना से अधिक नहीं है। यदि करों और अन्य सभी खर्चों को ध्यान में रखा जाय तो यह आय और भी कम हो जाती है।

डा० लोहिया का समर्थन किया जाय अथवा प्रतिवाद यह बात साफ है कि देश के जन साधारण बहुत गरीब हैं। इस अवस्था में भी उन पर भारी कर लगाये जा रहे हैं। और इन करों के बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार को वास्तविक स्थिति का सामना करना चाहिए। यह कह कर सन्तुष्ट हो जाना कि ठीक नहीं कि प्रति व्यक्ति आय तीन आना नहीं सात आना है। मैं तो यह अनुरोध करूंगा कि उच्च श्रेणी के लोगों को सादा जीवन व्यतीत करने का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। सर्व साधारण यह महसूस करे कि हमारे शासक हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चर्चा बाद में निर्धारित किये जाने वाले किसी अन्य दिन जारी रहेगी।

चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री चीनी सम्बधी नीति के बारे में वक्तव्य देंगे।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : यह लम्बा वक्तव्य है, मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १६६५/६३**]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : श्रीमान जी मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से, जो ४ सितम्बर, १९६३ को सभा में प्रस्तुत की गयी थी, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से, जो ४ सितम्बर, १९६३ को सभा में प्रस्तुत की गयी थी, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन में श्री सुभद्रा जोशी द्वारा २९ मार्च, १९६३ को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा होगी :—

"चीनी आक्रमण से उतपन्न आपातकालीन स्थिति को देखते हुए इस सभा की यह राय है कि राष्ट्रीय संसाधनों को जुटाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: मुझे इस बात का खेद है कि इस संकल्प पर मैं माननीय सदस्यों के भाषण नहीं सुन सका। परन्तु जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसको मैंने गम्भीरता पूर्वक पढ़ा है सब बातों पर विचार करने के बाद, मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जो कुछ भी माननीय सदस्यों ने कहा है उसे १० भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात् ३५ करोड़ रुपये के लगभग का लाभ सरकार को चला जायेगा, उपभोक्ता माल की कमी समाप्त हो जायेगी। ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहन मिलेगा। विदेशी विनिमय की कठिनाइयां कम होंगी। निर्यात और आयात को प्रोत्साहन मिलेगा। काले बाजार में जाने पर धन सामने आ जायेगा। कुछ थोड़े लोगों के हाथ में सारी पूंजी नहीं जायेगी। अच्छे परिमाप से सेवायें प्राप्त होंगी और वेतन कम किये जा सकेंगे।

सब बातों पर विचार करने के बाद मैं इसी परिणाम पर पहुंचा हूं कि यह संकल्प समय से पूर्व प्रस्तुत किया गया है। हमें एक बात बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि आज देश की सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि देश की अर्थ व्यवस्था की उन्नति की ओर जाती हुई गति को सुधारा जा सके। आज हम जिस गति से चल रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है। हमारी अर्थ व्यवस्था की प्रगति में पूरे सुधार हों इस उद्देश्य के लिये सभी दिशाओं में उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी से ही हम विकास और प्रतिरक्षा के कार्यों को पूरा कर सके। वर्तमान समय में इस बात की आवश्यकता है कि ऐसे साधन ढूंढ निकाले जाय जिनसे हमारी ऋण संस्थायें अर्थ व्यवस्था और विकास की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर सके।

हमारी अर्थ व्यवस्था की बहुत सी प्रगति का आधार गैर-सरकारी क्षेत्र का विकास है। परन्तु मुझे खेद है कि कई एक कारणों से गैर सरकारी क्षेत्रों का कार्य सन्तोषजनक ढंग से नहीं चल रहा। कृषि क्षेत्र में भी कार्य दो वर्षों से कुछ ठीक नहीं है।

संस्थायें और बैंक आज हमारे सारे वित्तीय क्षेत्र को अपने अन्तर्गत नहीं ला पा रहे। सरकार को सभी साधनों को जुटा कर संगठित क्षेत्र के बाहर खुली मंडी से पूंजी प्राप्त करनी है। जो भी साधन उपलब्ध हो सका और अधिक नियंत्रण करना है और ठीक ढंग से उपयोग करना है। मैं स्वीकार करता हूं कि कहने के मुकाबले में करना तनिक कठिन है। जिसे हमने संसदीय भाषा में खुली मंडी कहा है, उसे और भी कई एक नाम दिए जा सकते हैं। और इस दिशा में आंकड़े प्रस्तुत करना बहुत ही साहस का काम है। आज की मंडी की दशा से हमने रोग का उपचार निकालना ही है। इस बात की चर्चा हम कीमतों के बढ़ने के संदर्भ में कल और आज इससे पूर्व भी कर चुके हैं।

ऐसी स्थिति में हमारे लिये यह सोच लेना क्या ठीक है कि मुद्रा बाज़ार के अधिक अच्छे नियंत्रण या गैर-सरकारी स्वामित्व से उन लाभों की पूर्ति हो जायेगी जिनका उल्लेख माननीय सदस्यों ने दस शीर्षकों के अन्तर्गत किया है। मुद्रा के क्षेत्र में हम ने जो अनेक विशिष्ट अभिकरण स्थापित किये हैं वे अच्छा लाभदायक काम कर रहे हैं। पुनर्वित्त निगम मध्य दर्जे के उद्योगों का विकास करने और उन्हें ऋण देने के लिए है। इसने ऋण दिये हैं और २३ करोड़ रुपये तक के लिए वचनबद्ध है। उसे अब और धन देने के बारे में विचार किया जा रहा है।

हम औद्योगिक वित्त निगम का कार्य क्षेत्र काफी हद तक बढ़ाने के बारे में भी विचार कर रहे हैं इसने १५ वर्ष से लाभदायक काम किया है किन्तु अब हमें उससे बड़े काम के बारे में सोचना चाहिये। सरकार इस समय निगम को काफी पूंजी के आधार से विकास बैंक में परिणत करने का

---

†मूल अंग्रेजी में

विचार कर रही है । गत बजट अधिवेशन में मेरे पूर्वाधिकारी ने एकक न्यास की स्थापना के प्रस्ताव का उल्लेख किया था जो मध्य और निम्न आय वर्ग के लोगों की बचत के धन को लगायेगा और मूल पूंजी के मूल्य में कमी होने का खतरा नहीं रहेगा । मुझे आशा है कि यह वांछनीय उपक्रमों में भी पूंजी लगा सकेगा । इस प्रयोजन के लिए सभा में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्त उपायों से सरकार गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में काफी अधिक पूंजी को उपयोग में ला सकेगी । सरकारी क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था की कार्यवहन निधि के भी है जो सभी बैंकिंग व्यवस्था ३० प्रतिशत पर नियंत्रण रखती है। स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों में लगभग ७०० किरोड़ रुपया जमा है जिसका अधिकांश भाग सरकारी प्रतिभूतियों में लगा हुआ है और इस प्रकार सरकार को प्रत्यक्षतः उपलब्ध है । शेष धन छोटे तथा मध्य पैमाने के उद्योगों के विकास, सहकारी क्षेत्र को सहायता देने और उन क्षेत्रों में मूलभूत सेवायें और सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है जहां बैंक सेवा उपलब्ध नहीं है । राष्ट्रीय कृत बैंकों की १५७५ शाखाएं हैं और इन बैंकों का कार्य क्षेत्र बढ़ाना उपयोगी होगा जो कि पहले ही सरकारी उद्योग क्षेत्र में है । इसके लिए लोगों को इनमें पैसा जमा करवाने इनकी सेवा में सुधार करने और उन बढ़ते हुए संसाधनों को उपयोग में लाने की आवश्यकता है जो इन बैंकों को भविष्य में छोटे और मध्य पैमाने के तथा अन्य उद्योगों की सहायता के लिए इन्हें उपलब्ध होंगे ।

जिस प्रकार के भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है मुझे उनका बहुत समय से पता है और उनका मुकाबला करने के लिए शक्तिशाली साधन हाथ में रखने के हेतु इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीय-करण किया गया था । यह धारणा है कि गैर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं किन्तु कुछ बैंक अपवाद भी हैं । १९६२ को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प हले चार मुख्य बैंकों में बैंकों के निदेशकों और अधिकारियों तथा उन समवायों को जिनमें उनके हित हों ऋण देने के मामले १३ प्रतिशत थे । चाहे ऐसे मामले विभिन्न बैंकों में भिन्न भिन्न हों किन्तु स्टट बैंक आफ इंडिया के २७ प्रतिशत की औसत की तुलना में यह कम है । किन्तु इसके लिए हम स्टेट बैंक पर आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि उसे तो मुनाफा कमाना है । हमारे पास इन भ्रष्टाचारों को रोकने के और उपाय हैं जो अधिक प्रभावी होंगे और जिनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ।

हम बैंकिंग समवाय अधिनियम में भी संशोधन कर रहे हैं जिससे बकों पर कुछ लोगों द्वारा अवांछनीय नियंत्रण को रोका जा सकेगा ।

सभा के समक्ष प्रस्ताव की वित्त सम्बन्धी बातों के बारे में मुझे यह कहना है कि क्षति पूर्ति की मात्रा और ढंग के बारे में विभिन्न धारणाओं के आधार पर कुछ आंकड़ों और तथ्यों का उल्लेख किया गया है । मुझे उन तर्कों पर चर्चा नहीं करनी किन्तु मुझे प्रतीत होता है कि सरकार को आय के रूप में इससे प्रत्यक्ष लाभ अधिक नहीं होगा क्योंकि मुनाफा तो केवल यह होता है जो सारे खर्च और ब्याज को निकालने के उपरान्त बचता है । इस आधार पर गैर सरकारी बैंकों को राष्ट्रीय-कृत करने का तर्क सशक्त नहीं है ।

अब मुझे संक्षप में इस बात को लेना है कि बहुत हद तक माननीय सदस्यों का यह कहना ठीक है कि धन और आर्थिक राशि के केन्द्रीयकरण को रोकना वांछनीय है । और बड़े धनिकों द्वारा बैंकों के नियंत्रण से धन का केन्द्रीयकरण होता है । किन्तु इसका उपचार और उपाय में है । लोकतंत्रात्मक भारत धन के केन्द्रीयकरण को रोके बिना सफल नहीं हो सकता । हमें इसके राजनैतिक प्रभाव के बारे में भली प्रकार बताया गया है और हम इसके दूसरे अर्थात् आर्थिक पक्ष की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं । हमें धन के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए वैधानिक और प्रशासनिक उपायों

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

को अपनाना होगा। सरकारी उद्योग क्षेत्र का निरन्तर विकास करने और समाज के विशेषाधिकार विहीन लोगों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बनाई गई हमारी योजनायें भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं।

†**श्री रंगा** : सरकारी क्षेत्र में भी एकाधिकार के कारण बुराइयां आ गई हैं।

†**श्री कृष्णमाचारी** : एकाधिकार की फिर से व्याख्या करनी होगी। सरकार का एकाधिकार परस्पर विरोधी वाक्यांश है क्योंकि सरकार सरकार लोकतंत्रात्मक है।

†**श्री रंगा** : सरकार तानाशाही है।

†**श्री कृष्णमाचारी** : जैसा मैंने पहले कहा मैं प्रस्तावक से अनुरोध करता हूं कि अर्थ-व्यवस्था की प्रगति धीमी हो गई है। संभवतः इसका कारण यह है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र की प्रगति इतनी तेज़ नहीं जितनी हम चाहते थे किन्तु मुख्य कारण यह है कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र प्रगति नहीं कर सका। भले ही इसका स्पष्टीकरण और तर्क दिये जा सकते हैं किन्तु हमें इसकी बहुत चिन्ता है। तीसरी योजना की महत्वाकांक्षाओं और अभी बनाई जा रही चौथी योजना की महत्वाकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए अर्थ-व्यवस्था को गतिशील करना बहुत आवश्यक है और साथ ही यह देखना है कि इसे गतिशील बनाने से समाज का ढांचा न अव्यवस्थित हो जाए। मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं कि सरकारी उद्योग क्षेत्र के तेज़ विकास से हम अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकेंगे किन्तु वह उस अर्थ व्यवस्था को विनष्ट करके नहीं किया जा सकता जो पहले ही कठिन परिस्थितियों में से गुजर रही है।

मैं प्रस्तावक को आश्वासन देता हूं कि सरकार स्थिति का ध्यान रखेगी और न केवल प्रतिरक्षा के लिए बल्कि औद्योगिक शक्ति को जिस पर प्रतिरक्षा निर्भर करती है, सुदृढ़ बनाने के लिए भी संसाधन जुटायेगी।

सरकार गैर सरकारी बैंकों पर दृष्टि रखेगी किन्तु अभी वह प्रस्तावक के सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि हम समझते हैं कि जिन कठिनाइयों का उन्होंने उल्लेख किया है उन्हें दूर करने के लिए और प्रभावी उपाय हैं। हमें इन कठिनाइयों को यथाशीघ्र दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि अर्थ व्यवस्था प्रगति कर सके।

आशा है प्रस्तावक को मेरा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक प्रतीत होगा और उनसे मेरा निवेदन है कि वे संकल्प को वापिस ले ले।

†**श्री प्रभात कार** : भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा था बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ६ करोड़ का लाभ होगा और १०० करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ेगा। क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि बैंकिंग उद्योग से कितना लाभ होगा।

†**श्री० कृष्णमाचारी** : मैंने कहा है कि किसी संस्था के वास्तविक मुनाफे की गणना करते समय अन्य तथ्यों को भी लेना चाहिये। जो बात अच्छी है उसे करने से मैं क्षतिपूर्ति के कारण नहीं रुकूंगा। इस समय जो प्रसंग है अर्थात देश को प्रतिरक्षा उसमें तो इस से लाभ नहीं होगा।

†**श्री नाथ पाई** : माननीय मंत्री ने बड़े साहस के साथ स्वीकार किया है कि हमारी अर्थ व्यवस्था सफल नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब तीसरी योजना के २ ½ वर्ष शेष है। वे इस अवधि में अर्थ-व्यवस्था में पैदा हुई गतिशीलता को कैसे दूर करेंग ।

†श्री कृष्णमाचारी : मैं स्वीकार करता हूं कि पांच वर्ष का २५ प्रतिशत का लक्ष्य पूरा करना कठिन होगा किन्तु दूसरी योजना के अनुभव से पता चलता है कि उस के इस्पात उद्योग की स्थापना से अब लाभ प्राप्त होने लगा है। हमारे औद्योगिक आंकड़े कम होंग क्योंकि इस प्रगति की गति धीमी है। बहुत संभव है कि पहले दो वर्षों की तुलना में योजना के अन्त में अधिक अच्छा परिणाम निकले और लक्ष्य की पूर्ति हो जाय। हमें कठिन श्रम करना होगा और मिल कर काम करना होगा। यदि देश के सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो तो हम २५ प्रतिशत के लक्ष्य की उपलब्धि के लिये अच्छा प्रयत्न कर सकत हैं ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है इस लिये जो आर्गूमेंट्स मैंने दिये थे उन को दोहरा कर मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहती हूं। पर एक जरूरी बात जो मैंने अर्ज की थी वह यह है कि बैंक्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वह मेरे ख्याल से गलत तरीके से करते हैं और हमारी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलते हैं उन को कन्ट्रोल करने के लिये भी मुनासिब तरीके होने चाहिये ।

जैसा रिजर्व बैंक के एक पहले गवर्नर बयान दे चुके हैं, उस को मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि काफी कंट्रोल नहीं है। जैसा मैं बतला चुकी हूं, १४२० करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस में से ९५ करोड़ के करीब उन्होंने फूड आर्टिकल्स पर इन्वेस्ट किया। ३६७ करोड़, यानी २५ परसेंट, रुपया स्टाक एक्सचेंज और बुलियन एक्सचेंज के खिलाफ इन्वेस्ट किया। कन्जूमर्स गुड्स के खिलाफ भी बड़ी-बड़ी रकम हैं। जब हम प्राइस लाइन होल्ड करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट होल्ड करना चाहती है तो अचानक यह बैंक न जाने कहां कहां इन्वेस्ट कर के प्राइसेज को बढ़ाने में मदद करते हैं। मैं यहां पर उन आर्गूमेंट्स को दोहराना नहीं चाहती हूं।

आज मंत्री महोदय ने कहा है कि उन को इस बात का एहसास है कि नशनेला इजेशन इस वक्त करना ठीक नहीं है। फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने उन सारे सवालों पर, जो मैंने और दूसरे माननीय सदस्यों ने उठाये, बहुत हमदर्दी के साथ गौर किया। इस बात की भी खुशी है कि उसूलन वह इस बात के खिलाफ नहीं हैं और ओपन मांइड रखेंगे। बड़ी सख्ती के साथ इस पर निगरानी रखेंगे कि बक्स किस तरह से बिहैव करते हैं। साथ ही वे जो नय कदम उठा रहे हैं उन को भी उठाते रहेंगे। हम सब लोग बड़ी उम्मीद के साथ देखेंगे कि जो चीज उन के दिमाग में है वह उसे एचीव कर पायेंगे या नहीं। चाहे वे इस कदम को उठायें या नहीं या वह इस चीज को एचीव कर पायें या नहीं, लेकिन जाहिर है कि उन का ओपन माइन्ड है और वे इस क्वेश्चन को हमेशा ओपन रखेंगे। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो वे बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर देंगे ।

मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि जितनी तवज्जह इस रेजोल्यूशन पर दूसरे सदस्यों ने और देश के दूसरे लोगों ने दी, और जितनी दिलचस्पी लोगों ने ली, उस सब से मालूम होता है कि बहुत कम, नाम मात्र का ही विरोध हुआ हो तो हुआ हो, जिन्होंने विरोध भी किया, उन के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मामूलन ही विरोध हुआ। इस लिये मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इस सभा के अन्दर और बाहर देश में भी इस नेशनलाइजेशन को सपोर्ट मिला, उसको मंत्री महोदय ध्यान में रखेंगे और इस बात को समझगे कि जब जरूरत पड़ेगी तब अगर वह इस नैशनलाइजेशन को करगे तो सारा देश उन के साथ होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

इतना कहने के बाद, जैसा उन्होंने कहा, अपनी राय प्रकट की, मैं इस रेजोल्यूशन को वापस लेती हूं और मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय बहुत जल्दी उचित कदम उठायेंगे। क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि जिस तरीके से मैं इस प्रस्ताव को लाई और जिस तरीके से इस को अनुमोदन मिला तथा जिस तरीके से मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में वादा किया, वह सब का सब हम देखते ही रह जायें और जरूरी कदम जल्दी न उठायें जायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या उन्हें संकल्प वापस लेने के लिये अनुमति है ?

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी हां।

†**श्री राम सेवक यादव :** जी नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री राम सेवक यादव इस पर आपत्ति उठाते हैं अतः मैं संकल्प को मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प मतदान के लिये रखा गया।

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ।

पक्ष में २७; विपक्ष में ११९;

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री अ० क० गोपालन भाषण जारी रख।

†**श्री अ० क० गोपालन :** मेरा संकल्प निम्न प्रकार है :

> "इस सभा की यह राय है कि साम्यवादी दल और अनेक मजदूर संघों तथा अन्य संगठनों पर प्रहार करने की दृष्टि से भारत प्रतिरक्षा एक्ट के अधीन प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है और यह सरकार से अनुरोध करती है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन निरुद्ध किये गये सब राजनैतिक तथा जनता के नेताओं को रिहा कर दिया जाय।"

मेरे संकल्प का अभिप्राय है कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तितों का दुरुपयोग किया गया है और साम्यवादियों पर आघात किया गया है अतः सभी राजनैतिक कैदियों को रिहा किया जाय।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं]

संसद ने गत नवम्बर में सरकार को आपातकाल के लिये पूरा अधिकार दे दिये थ और देश भर के लोगों ने एक होकर सरकार का समर्थन किया था किन्तु सरकार ने उन अधिकारों को समाज-विरोधी तत्वों के सशक्त बनाने के लिये प्रयोग किया है। सरकार गर सरकारी मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का नैतिक साहस कैसे रख सकती है जब कि सरकारी उपक्रम ही मजदूर संघों के प्रतिनिधियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जो श्रम पक्षी संधि की गई थी उसकी तनिक भी परवाह

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं की गई। अम्बाला के एम० ई० एस० रक्षा विभाग के चार मजदूर नेताओं को अकारण तबदील कर दिया गया और जब इस पर २१ अगस्त से हड़ताल की सूचना दी गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ।

प्रधान मंत्री ने कहा था कि मूल्यों को बढ़ने नहीं दिया जायेगा और कि मुनाफाखोरी समाज विरोधी कार्य है। श्रम और योजना मंत्री ने प्रेस-सम्मेलन में कहा था कि मुनाफाखोरों को प्रतिरक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किया जाय। किन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। औद्योगिक संधि संकल्प के प्रवर्तन के सम्बन्ध में सरकारी समीक्षा में कहा गया है कि संधि के अन्तर्गत श्रमिकों द्वारा अतिरिक्त समय काम करने से उत्पादन में निश्चित वृद्धि हुई है, किन्तु साथ ही यह कहा गया है कि राज्य सरकारों के प्रतिवेदन अनुसार मिल मालिकों ने छंटनी, तालाबंदी आदि के बारे में अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया। आपातकाल में मूल्यों में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है क्योंकि सरकार ने संधि के अनुसार उपभोक्ता सहकारी समितियां स्थापित नहीं कीं। इससे पूंजीपतियों को लाभ हुआ है। क्या सरकार की यह नीति है कि इन प्रतिरक्षा नियमों की सहायता से दरिद्रों को और अधिक दरिद्र बनाया जाए और अमीर को अधिक अमीर। गुजरात के कृषि श्रमिकों की हड़ताल पर श्रमिकों को ही दबाया गया है और बम्बई में वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के आकार पर कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की अपेक्षा कर्मचारियों को ही दबाया जा रहा है। हजारों श्रमिकों और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब प्रतिरक्षा मंत्री के हस्तक्षेप करने पर उस मामले का निबटारा हुआ है। बम्बई की हड़ताल प्रतिरक्षा नियमों के दुरुपयोग का प्रत्यक्ष उदाहरण है। गोआ में मारमा गोआ पत्तन के गोदी श्रमिकों द्वारा पूना योजना का विरोध करने पर ऐसा ही हुआ है और मालिकों के विरुद्ध प्रतिरक्षा नियम प्रयोग करने को बजाय श्रमिकों के विरुद्ध प्रयोग किये गये हैं ।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं ये किन्तु समय के अभाव के कारण में उन सब का उल्लेख नहीं कर सकता ।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि के आरम्भ होते ही श्रमिकों, किसानों तथा मध्यवित्त के लोगों में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई। तथापि राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में जनता से बलात चन्दा लिया। मैं आपको इस प्रकार के कई दृष्टांतों को दे चुका हूं। कई मामलों में राशियां निश्चित की गयीं। तथा यह कहा गया कि यदि निश्चित राशियां जमा नहीं हुईं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

मैंने इस सम्बन्ध में एक शिकायत १ अप्रैल को प्रधान मंत्री से की थी उन्होंने आश्वासन दिया कि वे मामले की जांच करेंगे तथापि मुझे अभी तक उस शिकायत का कोई उत्तर नहीं मिला। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि यद्यपि ऐसी बातों का साक्ष्य मिलना बहुत कठिन होता है तथापि यदि किसी स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायिक व्यक्ति द्वारा जांच करवायी जायगी तो देश में ऐसे कई मामलों का पता लगेगा ।

भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन लगभग ६०० साम्यवादी कार्मिक संघों के नेता और जनता के प्रतिनिधि गिरफ्तार किये गये हैं। उनमें से किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का दोषी नहीं पाया गया कि उन्होंने देश की प्रतिरक्षा को कमजोर करने का प्रयत्न किया गया हो निःसंदेह उन्होंने देश के किसानों और मजदूरों की उचित मांगों का समर्थन किया ।

भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये लोगों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत तथा अल्पमत निर्णयों में यह बात स्वीकार की गयी है कि ये नियम जनता के मूलभूत अधि

[श्री अ० क० गोपालन]

कारों का उल्लंघन करते हैं। नियमों के उपयोग सम्बन्धी मामलों के बारे में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार कम नहीं किया गया है ।

नियमों में संशोधन किया जाना चाहिये वे हमारे संविधान के अनुसार हो सकें सभी नजरबन्द लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिये ।

यह स्थिति जिसके कारण आपातकाल घोषित करने की आवश्यकता थी अब नहीं रही है अतः आपात की उद्घोषणा को हटा दिया जायगा । मूलशः अधिकारों को निलम्बित रखने का अब कोई कारण प्रतीत नहीं होता ।

†**सभापति महोदया** : उक्त प्रस्ताव पर श्री स० मो० बनर्जी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायें "इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मतों को देखते हुए" मैं संकल्प का संशोधन करता हूं । मैं इसमें उच्चतम न्यायालय के कई न्यायाधीशों के मतों को उद्धृत कर सकता हूं । वस्तुतः भारत प्रतिरक्षा नियम संविधान के अनुकूल नहीं है । महान्यायवादी ने भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष वकालत करते हुए स्वीकार किया है कि नियम ३० संवैधानिक नहीं है । भारत प्रतिरक्षा नियमों के पारित होते समय सरकार द्वारा दिया गया यह आश्वासन कि इनसे जनता की स्वतन्त्रता पर आघात नहीं होगा, पूरा नहीं किया जायेगा ।

सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि क्या उसने उच्चतम न्यायालय के अल्पमत पर भी विचार किया है। इस निर्णय में कहा गया है कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम शून्य परस्तात अधिनियम है। इसे संविधि संहिता में स्थान देने से केवल अराजकता को स्थान मिलेगा ।

यह दुःख की बात है कि सरकार ने भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग कर्मचारी संघों के नेताओं तथा सरकार विरोधी लोगों को गिरफ्तार करने में किया । इस प्रकार सरकार अपने वायदे से हट गई। मेरा विचार है कि यह व्यवस्थाहीन विधि है इसे तत्काल समाप्त कर दिया जाये । नजरबन्द लोगों को तत्काल रिहा कर दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस चर्चा में कई माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं तथापि चर्चा ४.३५ बजे तक समाप्त हो जानी चाहिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि संकल्प पर चर्चा का समय १ $^{1}/_{2}$ घंटे बढ़ा दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव यह है :

'कि संकल्प पर चर्चा का समय १$^{1}/_{2}$ घंटे बढ़ा दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मणियंगाडन** : मैंने प्रस्तावक महोदय का भाषण बहुत ध्यान से सुना है तथापि मैं उनके द्वारा रखे गये तर्कों से सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने बम्बई में हुए उपद्रवों का उल्लेख किया तथा यह भी बताया कि कई अन्य मामलों में सरकार भारत प्रतिरक्षा नियमों को उपयोग में लाने में असमर्थ रही है। तथापि मेरे विचार से भारत प्रतिरक्षा नियमों को हटाने का औचित्य सिद्ध करने तथा उनके अन्तर्गत नजरबन्द लोगों की मुक्ति के लिये संकल्प में प्रभावशाली तर्क मौजूद नहीं हैं।

इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि साम्यवादी दल के कुछ सदस्य इस नीति के विरुद्ध हैं। और हमारे देश पर हुए चीनी आक्रमण के प्रति उनका रवैया राष्ट्र विरोधी है। ऐसे लोगों की स्वतन्त्रता को कायम रखने से देश में खतरा पैदा हो सकता है। उन लोगों को जेलों में डालने के पूर्व उनके राष्ट्र विरोधी कार्यों की प्रतीक्षा करना खतरनाक है।

वस्तुतः आपात को देखते हुए यह अनिवार्य है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर आंशिक रूप से प्रतिबन्ध लगाये जायें तथा स्थिति को देखते हुए आपातकाल भी अभी जारी रखना होगा।

भारत प्रतिरक्षा नियम, यदि वे मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, तो भी संवैधानिक हैं। नजरबन्द लोगों के मामलों पर लगातार पुनर्विचार किया जाता है। उनमें से बहुत से लोग छोड़ दिये गये हैं।

अतः मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। चीन ने १९५४ से भारत की भूमि पर अतिक्रमण करना आरम्भ किया था और १९५७-५८ में उन्होंने हमारे देश पर धावा बोल दिया। किन्तु तब भी साम्यवादी मित्रों ने इसे धावा न कह कर केवल सीमा विवाद ही कहा। तदन्तर जब जनमत ने बहुत अधिक जोर डाला तो अपनी सुरक्षा के ही विचार से उन्होंने उसे 'धावा' कहा।

पश्चिम बंगाल की विधान सभा में वहां के जेल मंत्री ने यह बताया था कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि वे यह सिद्ध कर सकते हैं कि कई साम्यवादियों ने गुप्त रूप से चीन के लिये कार्य किया। यदि आप पश्चिम बंगाल की विधान सभा की कार्यवाही पढ़ें तो आप देखेंगे कि वहां कई साम्यवादी नेताओं के नाम मौजूद हैं।

यह बात मानने वाली है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तभी दी जा सकती है जब देश खतरे में न हो। जब देश की स्वतन्त्रता खतरे में हो तब स्वतन्त्रता में कमी करनी ही होती है। प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो देश के हितों के प्रतिकूल काम करते हैं।

यह दुःख की बात है कि साम्यवादी लोग ऐसे समय भी जब देश को एक आक्रमणकारी शत्रु का सामना करना है, हड़तालों और प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रहे हैं।

सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि भारत प्रतिरक्षा नियम अभी जारी रखे जायें। अतः मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री कछवाय (देवास) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य, श्री गोपालन, ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका बड़े जोरदार शब्दों में विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले १४ नवम्बर को यह कानून इस सदन में पास किया गया था। इस कानून से हमको जो आशा थी, वह पूरी नहीं हुई। इस कानून से जो लाभ उठाना चाहिए था, वह नहीं उठाया गया और जिस प्रकार से इसको

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कछवाय]

अमल में लाना चाहिए था, उस प्रकार से वह अमल में नहीं लाया गया। इसके बजाय देश में अनेक स्थानों पर उसका ग़लत फ़ायदा उठाया गया, उस शक्ति का ग़लत उपयोग किया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि यद्यपि कम्यूनिस्टों के द्वारा खुले रूप से और अन्दर से चीनियों का काफ़ी समर्थन किया जाता है, लेकिन फिर भी जिस मात्रा में गिरफ्तारियां होनी चाहिए थीं और जिस मात्रा में कम्यूनिस्टों पर दंड लगाना चाहिए था, उस मात्रा में न तो गिरफ्तारियां की गईं और न ही दंड लगाया गया। मुझे इस का बड़ा खेद है। लेकिन मैं शासन से बड़ी नम्रतापूर्वक यह विनती करना चाहता हूं कि सारे देश में आज भी कम्यूनिस्टों की वही आपत्तिजनक गतिविधियां चल रही हैं। अभी अभी इस १३ अगस्त को जब शासन के ख़िलाफ अविश्वास-प्रस्ताव लाया गया था, तो उसमें कम्यूनिस्टों के द्वारा भी एक प्रस्ताव लाया गया था। सब बातें कहते हुए उन्होंने इस बात को छोड़ दिया कि चीन का आक्रमण हमारे ऊपर हुआ है और अभी भी कायम है और हमें उसका मुकाबला करना है। उन्होंने इस तरह की बात क्यों नहीं कही, यह बिल्कुल साफ है। आज भी इनके द्वारा चीन का खले रूप से समर्थन हो रहा है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सुरक्षा एक्ट का कुछ स्थानों पर गलत प्रयोग भी हुआ है और कुछ गलत बातें भी की गई हैं। ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जिनकी देश-भक्ति के अन्दर बिल्कुल सन्देह या शक नहीं था। अजमेर के अन्दर नानक राम विश्राणी जो कि जन संघ के मंत्री हैं, उनको पकड़ा गया। असम के अन्दर एक कार्यकर्ता को पकड़ा गया। हमारे समाजवादी दल के भाई श्री किशन पटनायक को पकड़ा गया। इन लोगों के प्रति इस प्रकार की नीति क्यों अपनाई गई यह मेरी समझ में नहीं आया है। इसका मतलब साफ है कि व्यक्तिगत झगड़े या व्यक्तिगत रंजिश की वजह से यह काम किया गया। जब इस तरह की घटनायें होती हैं तो इसका साफ अर्थ यह निकलता है कि सत्ताधारी दल के द्वारा जो शक्ति उनके हाथ में सौंपी गयी है, उसका दुरुपयोग हुआ है।

आपको यह भी देखना चाहिये कि कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों, उसका कार्यक्रम, क्या जिस तरह से चलना चाहिये, उस तरह से चल रहा है? इसके जासूस सभी जगहों पर मौजूद हैं। हमारे गोपालन साहब को बहुत दुःख हुआ कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गये जिसकी वजह से उनकी पार्टी को धक्का लगा। उन लोगों के पकड़े जाने पर इनको बहुत चिन्ता हुई है। इसी चिन्ता के कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को इस सदन के सामने रखा है। मैं साफ शब्दों में मांग करूंगा कि इस सदन में १४ नवम्बर १९६२ को जो कुछ हमने पास किया था, उस पर पूरी सख्ती से अमल होना चाहिये लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि इस पर भी आपको जरूर विचार करना चाहिये कि किस के खिलाफ़ इस ऐक्ट को इस्तेमाल करना चाहिये और किसके खिलाफ नहीं करना चाहिये।

पिछले साल हमारे डांगे साहब जो कि कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता हैं, भोपाल गये थे और वहां पर कुछ भारतीयों ने, कुछ देशभक्तों ने उनके विरुद्ध प्रदर्शन किया था और उनको काले झंडे दिखाये थे। डांगे साहब ने अपने भाषण में वहां पर यह कहा था कि ऐसा विरोध जो भारत में हमारे विरुद्ध किया जाता है, भोजन में चटनी के समान है। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि था कि हमारा दुनिया के तीन हिस्सों में शासन है। जो व्यक्ति इस प्रकार की भाषा बोले इस देश में और कहे कि इस दुनिया में तीन हिस्सों में उनका शासन है, तीन हिस्सों में उनका राज है और ऐसा विरोध भोजन में चटनी के समान है, तो कितनी लज्जा की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई? आप यह भी देखें कि नम्बूदरीपादजी जो कि कम्यूनिस्ट पार्टी के उच्च नेताओं में से एक हैं, उनको पकड़ा गया था लेकिन पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया,

उस के पीछे क्या रहस्य था, इसको आप देखें । मैं समझता हूं कि इस सदन में शासकीय वर्ग के बैंचों पर बैठने वाले कुछ कांग्रेसी ऐसे हैं जो यहां पर तो कांग्रेसी बन कर बैठते हैं लेकिन घर जाकर साम्यवादी हो जाते हैं, दिन में तो कांग्रेसी बनते हैं और रात को कम्यूनिस्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं इन पर शासन द्वारा कड़ी निगाह रखी जानी चाहिये। हमारे देश में अनेक प्रान्तों में, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, असम आदि प्रान्तों में जो इन लोगों की गतिविधियां हैं, जो इनके काम करने का ढंग है, वह उसी प्रकार से चल रहा है जिस प्रकार से पहले चल रहा था। त्रिपुरा के अंदर इनके द्वारा इस प्रकार का प्रचार किया जाता है कि हमारी जो लाल सेना है वह बिल्कुल तैयार है और वह हमारी रक्षा करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस लाल सेना की शक्ति क्या इतनी बढ़ गई है कि वह हमारी रक्षा करने के काबिल हो गई है । इस प्रकार का जो प्रचार किया जाता है क्या इससे यह साबित नहीं होता है कि सरकार की ढीली नीति के कारण उनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। क्या यह प्रकट नहीं करता है कि शासन को जिस प्रकार से जागरूक होना चाहिये, नहीं हुआ है, जिस प्रकार से इस ऐक्ट को लागू करना चाहिये, जितनी ताकत से करना चाहिये, नहीं किया है ।

हमारे कम्युनिस्ट मित्र मजदूरों की बात करते हैं और जब उनके बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि वे ही उनके सब से बड़े मित्र हैं, सबसे बड़े हमदर्द हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप यह भी देखें कि इनका दिल और दिमाग किधर है? इनका दिल और दिमाग चीन और रूस की तरफ है। अगर वर्षा चीन या रूस में हो रही होती है तो वे छाता यहां तान कर बैठ जाते हैं, हिन्दुस्तान में तान लेते हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो गुप्तचर विभाग है, उसको सक्रिय होना चाहिये, उसको जागरूक बनना चाहिये । उस विभाग पर आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं । क्या हमारा गुप्तचर विभाग इतना कमजोर है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि इनकी जो गतिविधियां चल रही हैं, उनका वह पता ही न लगा सके, यह पता न लगा सके कि इनमें कितने चीनी भाषा बोलने वाले या जानने वाले लोग हैं, कितने चीन समर्थक लोग हैं, किस प्रकार से भारत के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की न्यूज़ बना कर रूस और चीन को पहुंचाते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री की कोठी में भी ऐसे जासूस लोग हैं जो चीन के समर्थक हैं और ये लोग जो बात हमें मालूम नहीं होती है, संसद् को मालूम नहीं होती है, चीन तक पहुंचा देते हैं । चीन को बात पहले मालूम हो जाती है और संसद् को पीछे मालूम होती है ।

समाचारपत्रों में पीछे यह छपा था और हमने पढ़ा भी था कि श्री मुरारजी देसाई और पाटिल साहब जो चले गये हैं, वह बहुत खुशी की बात है और हमारे मन की बात हो गई है। इन खबरों में यह कहा गया था कि रूस के प्रधान मंत्री हमारे प्रधान मंत्री से इसलिये नाराज़ थे कि उनकी विचारधारा के समर्थक, साम्यवादी विचारधारा के समर्थक, मेनन साहब और मालवीय जी, दोनों चले गये थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिये थे । उनके द्वारा त्याग पत्र देना बहुत बुरा था। हमारे प्रधान मंत्री को रूस के प्रधान मंत्री ने पत्र लिखा जिसमें नाराजगी प्रकट की गई और कहा गया कि हम अपनी नीति में परिवर्तन करें। बहुत बुरी बात है कि उसके बाद कामराज प्रस्ताव को लाकर हमारे मंजे मंजाये लोग, जिन्होंने देश की बहुत सेवा की थी और जिनकी देश भक्ति में जरा भी सन्देह नहीं था, जिन्होंने बहुत बलिदान और त्याग किये थे, उनको केवल इसलिये हटाया गया कि वे व्यक्ति रूसी विचारधारा के, साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ थे । इनके पत्रों को आप पढ़िये, कितना वे रूस और चीन का समर्थन करते हैं। रूस और चीन दोनों की इच्छा है कि किसी प्रकार से हमारे इस देश को लाल किया जाए। चीन की इच्छा है कि मार काट कर, जोर जबरदस्ती से, खून खराबे से, फौजी ताकत से इस कार्य को सम्पन्न किया जाए जब कि रूस की इच्छा है कि शान्तिप्रिय

[श्री कछवाय]

बन कर, भारत को लाल किया जाना चाहिये। विचारधारा दोनों की एक ही है और दोनों ही भारत को लाल करना चाहते हैं।

मैं चाहता हूं कि सरकार गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करे कि किस प्रकार से जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाए और कितनी सख्ती के साथ इस काम को किया जाए। यदि शासन इस काम को कर ने में असमर्थ है तो मैं चाहता हूं कि वह भारतीय जनता को छूट दे दे और भारतीय जनता ऐसे तत्वों से स्वयं निपट लेगी। भारत में लोग हैं, भारत में ऐसी पार्टियां हैं जो इनसे निपट सकती हैं और आप घर बैठे रह सकते हैं।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सभानेत्री महोदया, हमारे गोपालन साहब ने जो प्रस्ताव रखा है उसके द्वारा उन्होंने सदन को इस बात का मौका दिया है कि सदन विचार करे कि भारत रक्षा कानून जो बना है, उसकी आवश्यकता है या नहीं। दूसरी बात यह है कि उसका सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर इन दोनों बातों पर गौर किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

इस सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले मैं पटेल साहब ने जो बात कही है, उसका जिक्र करना चाहता हूं। उनको मैं दोनों हैसियतों से जानता हूं, विरोधी की हैसियत से और सहयोगी की हैसियत से भी। उन्होंने कहा कि अनिवार्य बचत योजना को ले कर या लोगों के दुखों से दुखी हो कर अगर कोई चीज यहां लाई जाती है तो उसका मतलब यह है कि चीन के खिलाफ न लड़ कर हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात हमारे मित्र पटेल साहब भूल जाते हैं .....

श्री पु० र० पटेल : आपकी बात को नहीं भूलते हैं, जो कुछ, आपने बम्बई में किया है, वह याद है।

श्री राम सेवक यादव : वह भूल जाते हैं कि १४ तारीख को जहां एक तरफ जनता का मोर्चा लगा था वहां उसी तरह कुछ आपके दल का भी एक मोर्चा आया था, पता नहीं वह किससे लड़ने आया। यह जो बात आपकी तरफ से की गई, यह हमारी समझ में तो आई नहीं। ऐसे सवाल उठाते समय उनको सभी पहलुओं पर गौर कर लेना चाहिये।

दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे कम्यूनिस्ट मित्र सरकार में फूट डालते हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हम कम्यूनिस्टों की बहुत सी नीतियों से सहमत नहीं हैं। जब उन्होंने यह फूट वाली बात कही तो हमें दुख हुआ। क्या हमारे मित्र पटेल साहब और उनके दल के मंत्री लोग इतने मासूम हैं कि उनके हाथ में पड़ करके बिल्कुल खिलौने हो जाते हैं ?

अब मैं इस प्रस्ताव पर आता हूं। जनतंत्र में मूल अधिकारों का हनन सब से बड़ी भयंकर और भारी घटना होती है। लेकिन कभी कभी राष्ट्र के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि मूल अधिकारों को भी त्यागना पड़ता है और वह ऐसा अवसर होता है जब कि राष्ट्र के ऊपर कोई ऐसा बड़ा संकट आता है जब कि उसकी स्वतन्त्रता ही खतरे में पड़ जाती है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो कि स्वतन्त्रता के लिए घातक बन जाती हैं। ऐसे अवसरों पर सारे देश की जनता को अपने मूल अधिकारों को भी छोड़ना पड़ जाता है। इसी उद्देश्य से प्रेरित हो कर गत वर्ष जब इस सदन में चीन के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति को लेकर चर्चा चली थी और उसके बाद जब इस भारत रक्षा कानून का प्रस्ताव आया तो चाहे सदन के सरकारी पक्ष के लोग हों या विरोधी पक्ष के हों, सभी लोगों ने एक मत से बड़े दुःख के साथ जनतन्त्र के बुनियादी अधिकारों को छोड़ने के लिये अपनी रजामन्दी

दी थी । लेकिन अगर हम उसके बाद देखें तो स्थिति क्या थी ? क्या वास्तव में भारत रक्षा कानून जैसे कानून को बनाये रखने की स्थिति उस समय थी ? थी या अब है ? तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि चीन से न हमारा युद्ध तब कानूनी तौर पर घोषित किया गया था और न आज है । स्थिति यह है कि हमारे और चीन के बीच में आज राजनीतिक और कूटनीतिक सम्बन्ध हैं, चीन का वकील हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान का वकील चीन में मौजूद है । और शायद इस मामले में हम ज्यादा नुकसान में हैं क्योंकि चीन की जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है उसमें हमारे राजदूत को ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकती लेकिन जो चीन का राजदूत हमारे यहां है वह हमारी सारी गतिविधियों से अपने देश को आगाह करता रहता है । आज भी हमारे कूटनीतिक सम्बन्ध मौजूद हैं और फिर भी हम कहते हैं कि चीन से हमारा युद्ध है । जब इस तरह की सारी चीजें चलती हैं तो क्या यह युद्ध की स्थिति है ? अगर हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आज भारत और चीन के बीच में कोई युद्ध नहीं है और इसलिये इस रक्षा कानून की कोई आवश्यकता नहीं है ।

इसके बाद दूसरा प्रश्न उठता है । मान लिया जाय एक क्षण के लिये कि रक्षा कानून की आवश्यकता है । तब जबर्दस्त प्रश्न यह है कि इस के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है या सदुपयोग हुआ है । वैसे तो नेता नेता होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कम्यूनिस्टों में देशद्रोही लोग हैं । होंगे । हो सकते हैं । और अगर हम सरकार की बात मान भी लें कि उनमें दो तरह के लोग हैं, एक राष्ट्र भक्त और और दूसरे राष्ट्र विरोधी कम्यूनिस्ट, तो वह खुद उनमें फर्क नहीं कर पाती । फिर भी अगर इस बात को मान ही लिया जाय कि कम्यूनिस्ट पार्टी में देशद्रोही लोग हैं तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाजवादियों में कौन से देशद्रोही लोग हैं ? मैं कइयों को गिना सकता हूं कि भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत समाजवादियों को भी पकड़ा गया । इसी सदन के माननीय सदस्य श्री किशन पटनायक जो कि उड़ीसा के सदस्य हैं, उनको भी आज बिजू पटनायक साहब के जेलखाने की चहारदीवारी के अन्दर बन्द कर दिया गया है । क्या दोष था उनका ? उनका दोष यह था कि वह सरकार की नुक्ताचीनी इसलिये करते हैं कि जब चीनी आक्रमण हुआ तब पहले से आगाह होते हुए भी, क्योंकि सन् १९५० से लेकर अब तक बराबर घटनायें घटती रहीं, सरकार उसका सामना करने के लिये तैयार नहीं हो सकी, अपने को वह तैयार नहीं कर सकी ताकि वह चीन का आक्रमण होने पर उसका मुकाबला कर सके । साथ ही उनका कहना यह होता है कि अगर हिन्दुस्तान की सरकार तिब्बत के ऊपर चीन की सत्ता को न मानती और उसको आजाद कराने की बात करती तो शायद तिब्बत आज आजाद रहता और कभी भी हिन्दुस्तान और चीन की सीमा का कोई सवाल नहीं उठता । यह सब से बड़ी अदूरदर्शिता सरकार की थी । उनकी नीति होनी चाहिये थी कि तिब्बत स्वतन्त्र है, वह कभी चीन का अंग नहीं है । किन्तु इस प्रकार की आलोचना का, सरकार के ऊपर कटु नुक्ताचीनी करने का परिणाम यह होता है कि श्री पटनायक जैसा देश भक्त और जनता का सेवक इस भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत जेल में बन्द किया गया । यहीं अन्त नहीं होता इस मामले का । इसी तरह से बिहार के वकील अहमद हैं । उनका क्या कसूर था ? सरकार के जो आदमी ठेके देते हैं, उसके बाद दूसरे लोगों को वे ठेके देते हैं, तीसरे को ठेका देते हैं, उन ठेकों के दौरान बिचौलियों के जरिये मजदूरों का जबर्दस्त नुकसान होता है, मजदूरों का शोषण होता है, और उस शोषण के खिलाफ वकील अहमद जैसे लोग लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत जेल भेज दिया जाता है । यही उदाहरण नहीं है । बम्बई की तरफ जब हम जाते हैं तो जार्ज फर्नेन्डीज जैसा आदमी, जिसकी राष्ट्रभक्ति में, देशभक्ति में जनता के अन्दर भी कोई शक व शुबहा नहीं किया जा सकता, उस को जेल भेज दिया जाता है । इस सिलसिले में मैं रक्षा मंत्री श्री चव्हाण को सबूत के तौर पर पेश करूंगा

[श्री राम सेवक यादव]

कि जिन जार्ज फर्नान्डीज के द्वारा, उनकी मदद के द्वारा मजदूरों से पैसा इकट्ठा होता था और रक्षा कोष में दिया जाता था, उसको बन्द कर दिया गया भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत । उस रक्षा कोष को खत्म कर दिया गया । जार्ज फर्नान्डीज को जेल में रक्खा हुआ है, इसी तरह से उपाध्याय को रक्खा हुआ है । जब बम्बई में मजदूरों की जायज हड़ताल चली थी तब उस हड़ताल के सम्बन्ध में उनको भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । आज जब सब लोग जेल में पड़े हुए हैं उस समय क्या हम कहें कि भारत रक्षा कानून का सदुपयोग हो रहा है ? अगर हम दूर दृष्टिपात करें तो कहना पड़ेगा कि यह सरकार भारत रक्षा कानून का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रही है । इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । हम समझते कि भारत रक्षा कानून का सदुपयोग हो रहा है अगर सरकार के खर्चों में कमी होती, फजूलखर्ची दूर होती, ठाट बाट में कमी होती और साथ साथ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसमें कमी होती । अगर हम इस हिसाब से देखें तो उनमें कहीं कमी नहीं हुई है । भ्रष्टाचार बराबर बढ़ता जा रहा है, फजूलखर्ची चलती है । आज किसी मन्त्रालय में आप जायें, किसी कारखाने में जायें, किसी अदालत में जायें और वहां जानकारी हासिल करने की कोशिश करें तो कहीं से भी गन्ध नहीं आती कि इस देश में आपातकाल की कोई स्थिति है और हर जगह लोग अपने काम में जुटे हुए हैं । आज ऐसी कोई चीज नहीं, आज माहोल में किसी तरह का कोई जोश नहीं, किसी तरह का कोई होश नहीं और ज्यादा गड़बड़ हालत में मामले चल रहे हैं ।

आज मौजूदा स्थिति यह है कि कामराज योजना के अन्तर्गत चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकारें हों, सब कहीं सारे काम ठंडे पड़े हैं । कहीं कोई काम नहीं चल रहा है । मालूम होता है कि कोई सरकार है ही नहीं । आज हम देखते हैं कि जो मजदूरों के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं उनको भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत जेल में भरा जाता है, लेकिन जब सीधा सीधा प्रमाण इस बात का मिलता है कि अमुक मंत्री भ्रष्टाचार करता है, अमुक मंत्री मुख्य मंत्री के खिलाफ प्रचार करता है उस पर भारत रक्षा कानून लागू करके जेल की हवा खिलाना तो दूर, उसे हटाने की बात भी नहीं होती । आज सुबह यहां कैरों साहब का प्रश्न उठा था । प्रधान मंत्री के सामने जो विचारणीय प्रश्न था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में वे क्या कार्रवाई करेंगे , उससे वे बार बार हट कर वकालत सी करते थे और कहते थे कि उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किये हैं । कौन अच्छे काम करता है ? मौजूदा सदस्यगण जो सत्तारूढ़ दल के हैं और कुछ मंत्री भी उन में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने जेलें काटी हैं इस देश के लिये, यह ठीक है, लेकिन क्या हम पुराने कामों के बदले में आज के भ्रष्टाचार, आज के अन्याय और आज की गड़बड़ी को बर्दाश्त करेंगे ? कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे इस लिये आज जो इस तरह की दलीलें दी जाती हैं उनकी आवश्यकता नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : उनका मतलब था कि वे अब भी अच्छे काम कर रहे हैं ।

श्री राम सेवक यादव : उनका मतलब उन्होंने मुझ से ज्यादा अच्छा नहीं समझा है । अगर वे न समझे हों तो मेरे घर पर आयें, मैं समझा दूंगा ।

आज इन चीजों के खिलाफ भारत रक्षा कानून का उपयोग नहीं हो रहा है । हम कह सकते हैं कि आज चीनी के अन्तर्गत भ्रष्टाचार है, आज सीमेंट के वितरण में भ्रष्टाचार है, उन को अच्छाई का प्रमाण देने में भ्रष्टाचार है । इसमें कुछ विरोधी दल के लोग भी हो सकते हैं, यह मैं नहीं कहता कि वे नहीं हो सकते, लेकिन सरकार आज इस भारत रक्षा कानून की हिमायत में बहुत बड़ी दलीलें देती है और बाहर बैठ कर जो उस दल के जिम्मेदार लोग इन कामों में जुटे हुए हैं ।

उस का सबूत उसी दल के आदमी एक दूसरे के खिलाफ देते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा कर देश के सामने और दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन भारत रक्षा कानून का उपयोग इस सम्बन्ध में नहीं हो रहा है।

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा सदन से कि आज जो मौजूदा स्थिति देश की है वह कोई संकटकालीन स्थिति नहीं है, दूसरी बात यह है कि संकटकालीन स्थिति के योग्य यह सरकार अपने को नहीं बना सकी और उसने अपने राजनीतिक हित में अपने विरोधियों को दबाने के लिये मौजूदा कानून का इस्तेमाल किया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विचार किया जाय और जिन जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई हो उन्हें तत्काल रिहा किया जाय। वे साथ ही एक दिन जरूर इस सदन में इस चीज पर बहस हो और इस कानून को समाप्त किया जाय। जिस तरह से पुराने कानून थे उसी तरह से चलें क्योंकि उन में भी हमारे पास काफी ताकत है। जिस वक्त कोई आदमी अराष्ट्रीय कार्य करता है, देश हित में काम नहीं करता है, उसके खिलाफ साधारण कानून का भी उपयोग हो सकता है और उससे हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस कानून पर विचार हो, और उसके अन्तर्गत जो आदमी पकड़े गये हैं, जो मासूम लोग पकड़े गये हैं, उन्हें तत्काल रिहा किया जाय।

श्री राम सहाय पांडेय (गुना): श्री सभानेत्री जी, यह जो प्रस्ताव श्री गोपालन जी ने सदन के सामने उपस्थित किया है और डी० आई० आर० के सम्बन्ध में जो उन्हों ने कहा है, मैं उस से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सहमत न होने के जहां अनेक कारण हो सकते हैं, वहां मैं कुछ प्रधान कारण आप की सेवा में निवदन करना चाहता हूं।

चीन ने जिस समय हमारे देश पर आक्रमण किया उस समय हमारे देश में शान्तिपूर्वक क्रांति द्वारा आगे बढ़ने की भावना थी लेकिन जब सीमा की रक्षा का प्रश्न आया तो उस के लिए तमाम साधनों का समन्वय का प्रश्न भी सामने आया तो सारा देश एक हो कर खड़ा हुआ देश की रक्षा के लिए। लेकिन उस समय भी कम्युनिस्ट पार्टी में दो विचारधाराएं थीं, कुछ लोग तो चीन के साथ थे और कुछ रूस के साथ थे। इस बात से श्री गोपालन जी भी इन्कार नहीं कर सकते। उन के बीच विचारों का एक कनफ्लिक्ट था। जो चीन के साथ थे उन का कहना था कि हमारा यह पोलीटिकल डाक्ट्रिन है कि साम्यवाद को सारे संसार में छा जाना चाहिए और वे लोग मार्क्स से प्रेरणा लेते थे। जिस का कहना था कि सारा संसार साम्यवाद से आच्छादित हो जाना चाहिये। उन का कहना था कि संसार में कोई सीमायें नहीं हैं, सारा संसार एक है, चीन कोई दूसरा नहीं है और भारत कोई दूसरा नहीं है और रूस कोई तीसरा नहीं है उन का विचार है कि सारा संसार एक लाल झंडे के नीचे आना चाहिये। यह प्रेरणा मार्क्स से चली और स्टालिन तक आयी ; और इसी प्रेरणा को भारतीय साम्यवादी पार्टी के कुछ लोगों ने अपनाया।

लेकिन जो रूस के साथ थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिये। जिस से कि हम एक्सपोज हो जायें जैसे कि हम सन् १९४२ में एक्सपोज हो गए थे। अगर इस बार भी वैसा ही हुआ तो सारा देश हमारे खिलाफ हो जायगा। उन लोगों को खयाल था कि अगर वे एक्सपोज हो गये तो देश में जब नेशनल फीलिंग पैदा होगा तो कहा जाएगा कि हम ने देश का साथ नहीं दिया और उन्हों ने सोचा कि अगर हम ने इस समय बेमौके की शहनाई बजायी तो हमारा अहित होगा। उन्हों ने सोचा कि यदि हम ने चीन का साथ दिया तो सम्भव है कि हमारा संगठन देश में न चल सके। डी० आई० आर० की घोषणा के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने बन्द कमरे में सभा की और एक प्रस्ताव पास किया, लेकिन हम को पता नहीं चला कि कम्युनिस्ट पार्टी के कौन लोग चीन के साथ थे और कौन रूस के साथ थे। आखिर हमारी मैशिनरी ने पता चलाया कि अमुक लोग चीन के साथ हैं और जाहिर था कि उस वक्त का तकाजा था कि हम उन लोगों से कहते कि देश की सुरक्षा को दृष्टि में रखते

[श्री राम सहाय पांडेय]

हुए यह जरूरी है कि आप लोग थोड़ा समय के लिए जेल के मेहमान हो जाएं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने और विशेष कर गृह मंत्रालय ने यह बड़ा अच्छा काम किया, और इसके लिए श्री गोपालन को उनको मुबारकबाद देना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि मुबारकबाद किसलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तो जेल में बन्द कर दिए गए थे। तो मैं कहूंगा कि उस समय देश में एक क्रान्तिकारी भावना पैदा हो गई थी। उस समय वे लोग जोकि चीन का साथ देना चाहते थे अगर जेलों में बन्द न किए गए होते तो जनता इस बात का निर्णय करती कि उन के साथ कैसा सलूक किया जाय। मैं समझता हूं कि उन को जो जेल में रखा गया इस से वे सुरक्षित रहे और फिर यह तो प्रजातंत्र है, जैसे ही वातावरण जरा हलका हो जायगा हम उन को रिहा कर देंगे। शुरू में एक हजार आदमी गिरफ्तार किए गए थे जिन के बारे में सन्देह था कि उन्हों ने सीमा पर चीन का प्रोपेगेंडा किया था और जा कर लोगों को भड़काया था। लेकिन स्क्रूटीनी करने के बाद पांच सौ आदमियों को छोड़ दिया गया और पांच सौ जेल में हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है कि उन को अनावश्यक रूप से जेल में रखें और उन पर अपना पैसा खर्च करें। हम को उन से इतनी मुहब्बत नहीं है। लेकिन जब देश की सुरक्षा का प्रश्न सामने है तब तक हमें उन को बन्द रखना होगा। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उस समय हमारा साथ दिया, और इस के लिए मैं उन को मुबारकबाद देता हूं। उस समय सारे दल एक हो गए, सब में राष्ट्रीयता की भावना थी क्योंकि उस समय भारत मां के सम्मान की रक्षा करने का प्रश्न सब के सामने था। लेकिन जो लोग चीन के साथ थे उन्हों ने सोचा कि चलो इस समय अच्छा मौका है मुमकिन है कि उन्हों ने खबर भी भिजवाई हो कि आज इस देश में झगड़े हैं, फूट है। तमाम पार्टीज़ के अलग अलग झंडे हैं। यह ऐसा मौका है कि जब हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है। उन लोगों ने सोचा कि यह समय है जबकि इस देश पर लाल झंडा फहराया जा सकता है, और हिमालय के नीचे असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश का रास्ता साफ है। उनका खयाल था कि एक तरफ से चीन हमला करेगा और दूसरी तरफ से पाकिस्तान हमला करेगा और हम उन का साथ देंगे, सारी यूनियनें हमारी हैं, हम भी धावा बोल देंगे, उत्पादन बन्द हो जायगा और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायगी कि इस देश पर लाल झंडा फहराया जा सकेगा। लेकिन उन को यह पता नहीं था कि यह राष्ट्र एक अद्भुत राष्ट्र है, इस में आपस में चाहे जितनी फूट हो, लेकिन देश की रक्षा के लिए सारा राष्ट्र एक है। जहां प्रजातंत्र होता है वहां पर मतभेद भी हो सकते हैं, फूट भी हो सकती है और फूट और मतभेद के बड़े बड़े चार्ज भी हैं, लेकिन जब राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न सामने आवेगा तो सारा देश एक हो जायगा और सारा देश एक होगा, और इस सर्वसत्ता सम्पन्न सदन के कक्ष में सारे लोगों ने हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व में इस बात की शपथ ली कि हम सब मिल कर देश की रक्षा करेंगे। उस के बाद भी कुछ लोगों ने ऐंटी नेशनल काम किए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक अजीब माहौल है कम्युनिस्ट पार्टी में। उस समय हमारे इस सदन में एक बजट आया। उस समय एक किसान से लेकर—जिसे हम लास्ट मैन आफ सोसाइटी कहते हैं—बड़े से बड़े आदमियों से कहा गया देश की रक्षा के लिए आवश्यकता है पैसे की, इसलिए रक्षा कोष में दो। लोगों से कहा गया कि भावनात्मक एकता के साथ दुश्मन से लड़ने के लिए तमाम साधनों का समन्वय करो। इस कारण वह बजट काफी बड़ा था और काफी रुपयों का था उस बजट के पेश होने के बाद सदन से निकलने पर जब प्रेस मैन ने श्री गोपालन से उनकी बजट के बारे में प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्हों ने कहा कि यह देश पर बहुत बड़ा बरडन लादा गया है जिस का नतीजा यह हो सकता है कि इस देश का नागरिक बगावत कर देगा और हम उस की बगावत के लिए झंडा उठायेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारे देश की रक्षा के लिए एक एक पैसे की आवश्यकता हो तो क्या ऐसी बात कहनी चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट की आलोचना कर सकते हैं कि उस ने ठीक काम नहीं किया और इस बारे में गवर्नमेंट हमारी भावना का आदर करेगी और अविश्वास प्रस्ताव ला कर

विरोधी दलों ने सरकार की आलोचना की। लेकिन बहुमत हमारे साथ है, नागरिक हमारे साथ हैं और मतदाता हमारे साथ हैं। विरोधी दल वाले जो बाते कहते हैं उन में से कछ अच्छी भी हो सकती हैं। हम उन का समर्थन करते हैं। और विरोधी दलों का यह कर्तव्य है कि जो चीज हम न सोच सके हों उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करें और हमारा मार्ग दर्शन करें। लेकिन जब सारे देश के नेता एक हो गए थे उस वक्त श्री गोपालन जी, जो आज डी०आई० आर० की खिलाफत करते हैं, कहते थे कि देश बगावत कर देगा ।

एक उनकी खास प्रैक्टिस है। कल के डिबेट में श्री एस० एम० बनर्जी ने बड़ी बड़ी बातें कही थीं। ये कम्युनिस्ट किसान के पास जाकर कहते हैं कि तुम को अपनी पैदावार का ज्यादा से ज्यादा दाम मिलना चाहिए। तुम्हारी पैदावार का बहुत सस्ते भाव पर प्रोक्योरमेंट हो रहा है, एक सीलिंग बनानी चाहिए आदि और इस प्रकार किसान को भड़काते हैं। मजदूरों में जा कर कहते हैं कि तुम को ज्यादा डियरनैस बोनस मिलना चाहिए, तुम्हारी वेजेज़ बढ़नी चाहिए, तुम कंज्यूमर हो और महंगाई बढ़ गयी है इसलिए तुम्हारी वेजेज़ बढ़नी चाहिए। इस प्रकार मजदूरों को भड़काया जाता है।

बम्बई में सेल्स टैक्स का आंदोलन चला, उसमें भी कम्यूनिस्ट पार्टी साथ है उससे इन का क्या सम्बन्ध है, पर फिर भी उसमें शामिल हैं और कहते हैं कि सरकार जो मल्टीपिल प्वाइंट सेल्स टैक्स लगाती है यह बड़ी गलत बात है, और उन का जो प्रोसेशन निकलता है उस के साथ कम्युनिस्ट पार्टी आगे आगे निकलती है ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शायद कम्युनिस्ट पार्टी यह समझती है कि हमारे देश के लोग बेवकूफ हैं, उन की कोई पोलीटिकल जहनियत नहीं है, इसीलिए वे सब तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, किसानों को भड़काते हैं, मजदूरों से कहते हैं तुम को अधिक वेतन और भत्ता मिलना चाहिए, और सेल्स टैक्स के आन्दोलन में भी आगे हैं। ट्रेड यूनियन का काम हमारा दल भी करता है और दल भी करते हैं, लेकिन इस प्रकार मजदूरों को नहीं भड़काते। आज आवश्यकता इस बात की है कि मजदूर को कहा जाय कि तुम को उत्पादन बढ़ाना है, किसान को कहने की आवश्यकता है कि तुम को भी उत्पादन बढ़ाना है। क्योंकि देश की दो प्रकार से रक्षा होती है, एक तो किसान बंदूक लेकर दुश्मन से लड़ता है और दूसरी तरह उसके दूसरे भाई खेत में अधिक काम करके अनाज का उत्पादन बढ़ाते हैं। तो आज स्लोगन यह होना चाहिए था कि देश का उत्पादन बढ़ाया जाय, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी किसानों को भड़काती है कि तुम्हारा अनाज सस्ते में जा रहा है, मजदूर को कहते हैं कि तुम को ज्यादा वेतन मिलना चाहिए। वैसे मुझे इस में ऐतराज नहीं है, लेकिन बगावत की बात करना गलत है। अगर आज किसान बगावत करे और कहे कि सरकार बड़े गलत काम कर रही है, बड़े बड़े टैक्स लगा रही है, तो मुझे विश्वास है कि कम्युनिस्ट पार्टी जा कर अपना झंडा लगा देगी और कहेगी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ ।

श्रीमन्, विरोधी दलों और कम्युनिस्टों की इस तरह की टैकटिक्स चलती है। श्री राम सेवक यादव ने श्री किशन पटनायक की भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तारी का उल्लेख किया और कहा कि चूंकि उन्हों ने सरकार की आलोचना की इसलिए उन्हें जेल में पकड़ कर बंद कर दिया गया। मैं यह चीज़ बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार, जनतंत्र में आस्था रखती है और वह बगैर ख़ास कारण के किसी को भी गिरफ्तार कर ने के लिए उत्सुक नहीं है। लेकिन श्री पटनायक ने एक बात कही थी कि प्रधान मंत्री को फौरन गरदन पकड़ कर निकाल देना चाहिए। अब इस तरह के शब्द देश के प्रधान मंत्री के लिए कहना क्या यह कोई सभ्यता है ? इस तरह के कटु वचन कहना यह क्या कोई शिष्टता है? वे यह क्यों भूल जाते हैं कि प्रधान मंत्री को आम तौर से देश का विश्वास प्राप्त है, देश में सर्वत्र उन का मान व आदर है। देश का बहुमत निश्चित रूप से उन के साथ है। आम चुनाव ने यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी है। इसलिए प्रधान मंत्री के लिए ऐसे अशिष्ट

[श्री रामसहाय पाण्डे]

और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना कि उन की गरदन पकड़ कर फौरन बाहर निकाल दिया जाय . . . . .

†**श्री राम सेवक यादव** : क्या श्री किशन पटनायक को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री को निकाल दिया जाय ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मैं गृह-कार्य मंत्रालय की ओर से नहीं बोल रहा हूं ।

मैं अपने विचार बतलाता हूं कि जहां आप ने दो बातें बताईं वहां यह अच्छा होता अगर आप ने यह भी बता दिया होता कि उन्हों ने किस तरह के अभद्र और अशिष्टतापूर्ण शब्दों का प्रयोग इस देश के प्रधान मंत्री के लिए किया था कि प्रधान मंत्री को गरदन पकड़ कर बाहर निकाल देना चाहिए । मैं नहीं समझता कि ऐसी हालत में उन को गिरफ्तार किये जाने के विरुद्ध माननीय सदस्य को शिकायत करना कहां तक उचित व न्यायसंगत है ? उन को तो गिरफ्तार करना ही चाहिए था । यह ठीक है कि देश में हर एक को एक क़ायदे और मर्यादा के अन्दर रहते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना करने का हक़ है लेकिन इस का यह मतलब तो नहीं होता कि वे ऐसे प्रधान मंत्री के लिए जिस के कि पीछे देश का विशाल बहुमत है, उस के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का व्यवहार किया जाय कि उन को गरदन पकड़ कर बाहर निकाल दिया जाय ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र श्री गोपालन को बधाई देता हूं कि भारत रक्षा क़ानून जो लागू किया गया है उस का सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, आया अब वह आगे चलाया जाय या नहीं, इन सब पहलुओं पर गौर करने का यह एक अवसर मिला है ।

श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी होती वास्तव में अगर जिस ईमानदारी के साथ डी० आई० आर० इनफोर्स किये गये थे उसी सिंसिअरटी के साथ बर्त्ते जाते । मुझे इस विषय में यह कहना है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन की गतिविधियां देश के हित में नहीं हैं और सरकार को उन पर निगरानी और आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही करने में हिचकना नहीं चाहिए । मिसाल के तौर पर अभी पीस मार्टियर्स का जो दल पेकिंग जा रहा है, उन का मैं ने फतेहपुर में स्वयं व्याख्यान सुना । अलीगढ़ में भी उन्हों ने जो व्याख्यान दिया उसे भी सुना । अब साफ़ तौर पर उन का यह कहना था कि जो सरकार यहां की जनता को चीनियों के प्रति असन्तोष उभारती है, वह बात उचित नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि सही तौर से वाकई अगर डी० आई० आर० का उपयोग करना था तो कोई भी व्यक्ति हों, भले ही आचार्य विनोबा भावे भी अगर ऐसी बात कहें जिस से कि हमारे रक्षा प्रयत्नों में और अपनी आज़ादी की हिफ़ाज़त की लड़ाई में शिथिलता आती है तो सरकार को उन को उस से रोकना चाहिए । जैसा मैं ने कहा पीस मार्टियर्स ने बराबर यह बात कही । मगर मुझे खेद है कि उन के विरुद्ध इस डी० आई० आर० का उपयोग नहीं किया गया । क्या इस से मैं यह समझूं, जैसाकि मेरे मित्र पांडे जी ने व्याख्यान दिया कि जो प्रधान मंत्री जी की आलोचना करते हैं उन्हीं के लिए यह भारत रक्षा कानून बनाया गया है ? क्या उन्हीं के लिए इस डी० आई० आर० का प्रयोग होता है । अगर ऐसी बात है तो मैं नम्र निवेदन करूंगा कि यह प्रजातंत्री शासन और एक डेमोक्रेटिक सैट अप के बिलकुल खिलाफ चीज़ है ।

मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं । जिस समय डी० आई० आर० का एनफोर्समेंट हुआ, जिस समय इस सदन ने खड़े हो कर देश की आज़ादी के लिए हर तरह की कुर्बानी करने का व्रत लिया और देश की आज़ादी को बरक़रार रखने की लड़ाई में प्रधान मंत्री को पूरा समर्थन व सहयोग का वचन दिया, उस समय हम लोगों का यह विश्वास था कि इस डी० आई० आर० का सही तौर

---

†मूल अंग्रेजी में

से प्रयोग किया जायगा। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस डी० आई० आर० के तहत भारतवर्ष में जो इतनी रिश्वतखोरी, ब्लैकमार्केटिंग चलती है, एक भी केस में क्या किसी अपराधी को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत दंडित किया गया ? यह देखने में आता है कि ब्लैकमार्केटिंग और रिश्वतखोरों को जब भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत पकड़ने और उन्हें कठोर दण्ड देने की हम लोगों की ओर से मांग की जाती है तो उस के बारे में एक मतभेद खड़ा हो जाता है। अभी जो यह प्रश्न उठा कि जो गल्ले में ब्लैक करते हैं या और गड़बड़ियां करते हैं उन को डी० आई० आर० के तहत सजायें मिलनी चाहिएं तो हमारे खाद्य मंत्री पाटिल साहब का बहुत बड़ा मतभेद हुआ। लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वास्तविक रूप में अगर आप इस भारत रक्षा कानून का सदुपयोग करना चाहते हैं तो उस का सदुपयोग तो इस प्रकार होता कि आप आरम्भ से ही कड़ाई के साथ जो हमारे यहां दिन-दहाड़े डाके मारते हैं, जो हमारे यहां रिश्वत व भ्रष्टाचार करते हैं, जो हमारे यहां चोरबाज़ारी करते हैं उन सब को आप इस में सजायें देते और कठोर सजायें देते।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डी० आई० आर० को एनफोर्स करने के बाद भारत सरकार को यह अवसर मिला कि प्रान्तीय सरकारों के कानूनों में वह सीधे सीधे वसूल दे सकती है। मैं पूछना चाहूंगा कि इस भारत रक्षा क़ानून के बनने के बाद क्या किसी भी प्रांतीय सरकार के द्वारा मनमाने ढंग से जैसा चाहा कानून पास कर लिया और दूसरी अनियमितताएं बर्ती गईं, तो उस में क्या केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप किया ? अगर भारत रक्षा कानून केवल इसलिए बनाया गया है कि प्रधान मंत्री की कोई आलोचना करे, अथवा सरकार की नीति की आलोचना करे तो वह डी० आई० आर० का शिकार बना दिया जाय तो मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि इस तरह का डी० आई० आर० कभी भी किसी प्रजातंत्री सैट अप के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। मैं कोई कम्युनिस्ट पार्टी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं परन्तु मुझे यह कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर देशद्रोह इस प्रकार करता है, चीनियों के खिलाफ लड़ाई में हमारे मन को शिथिल बनाता है तो उस के खिलाफ सरकार को ऐक्शन अवश्य लेना चाहिये। क्या मैं यह समझूं कि इस भारत रक्षा कानून की आड़ में हमारी केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार मिल गया है कि वह मनमाने ढंग से टैक्सेज़ लगायें और मनमाने ढंग से क़ानून बनायें जिस से कि जनता पीड़ित हो और वह व्याकुल हो जाय ? क्या भारत रक्षा कानून सरकार ने इसलिए बनाया था कि भारी करों का बोझ ग़रीब जनता पर लाद कर उन के देह की रक्त की अंतिम बूंद तक चूस ली जाय ? अगर भारत रक्षा कानून की यह मंशा थी कि जनता को बंद कर मनमाने ढंग से टैक्स लगाये, मनमाने ढंग से क़ानून बनाये, तो फिर मैं कहूंगा कि भारत रक्षा कानून का कोई भी सदुपयोग नहीं हुआ है बल्कि दुरुपयोग ही हो रहा है।

जब मैं उधर से अर्थात् सरकार द्वारा यह कहते सुनता हूं कि देश में इमरजेंसी चल रही है, तो मुझे उसे सुन कर बड़ा खेद होता है। आख़िर इमरजेंसी है कहां पर ? मुझे तो कहीं पर वाक़ई इमरजेंसी है, ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता है। जिस तरह से रोजमर्रा का ढर्रा और जिस तरह से रोजमर्रा के कार्य पहले चलते थे उसी रफ्तार और ढर्रे से आज भी चल रहे हैं। यह चीज़ मैं खुद नहीं कहता हूं, विरोधी दलों के सदस्य नहीं कहते हैं परन्तु रूलिंग पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं वे यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है और जो कांग्रेस दल में कल तक बिना सरमाये का था आज वह लखपती बन बैठा है। सरकार को उचित यह था कि वह कड़ाई के साथ इस तरह के भ्रष्टाचार, ब्लकमार्केटिंग आदि का दमन करने के हेतु भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत कदम उठाती। इस तरह का भ्रष्टाचार करने वाले चाहे कितने ही बड़े पद पर क्यों न हों, भले ही वे मंत्री क्यों न हों, यदि उन को इस भारत रक्षा कानून के तहत सज़ाएं दी जातीं तो जनता समझती कि सरकार वाकई इस अवसर पर किसी तरह भी रक्षा प्रयत्नों में ढील नहीं आने देना चाहती है। जनता ने देश की आजादी की

[श्री गौरी शंकर कक्कड]

खातिर और चीनियों के विरुद्ध मोर्चा लेने के लिए सरकार को यह अधिकार खुशी खुशी दे दिया था लेकिन जिस तरह से इस पर अमल हुआ है उस से उस को बड़ी निराशा हुई है । राम राज्य के बजाय चाहे आप इस देश में कामराज कर दें परन्तु जब तक आप सही तौर से रिश्वत लेने वालों और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं करते हैं और उन को दंड नहीं देते हैं तब तक यह तो हो सकता है कि किसी तरीक़े से राम राज्य से हट कर कामराज में आप आ जायें और काम तो किसी तरह से आप का सिद्ध हो भी जाय लेकिन वास्तविक रूप से देश का उद्धार नहीं हो सकता है । मुझे इस विषय में यह कहना है . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब पांच बज रहा है, क्या माननीय सदस्य अभी और इस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : जी हां, अभी मैं इस पर और बोलना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रखेंगे ।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, ९ सितम्बर, १९६३/१८ भाद्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

शुक्रवार, ६ सितम्बर, १९६३
१५ भाद्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२३५५–७९
तारांकित प्रश्न संख्या		
५३०	केरल में नारियल-जटा उद्योग	२३५५–५७
५३१	अलवाये में जस्ता पिघलाने का कारखाना	२३५७–५८
५३२	त्रिवेन्द्रम में टाइटेनियम कारखाना	२३५८–५९
५३३	घड़ियों का निर्माण	२३५९
५३५	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी में घड़ियों का निर्माण	२३५९–६१
५३६	मैंगनीज का निर्यात	२३६१–६४
५३७	गोआ में लौह अयस्क	२३६४–६६
५३९	अमरीका के साथ वस्तु विनिमय करार	२३६६–६७
५४३	कपड़े का उत्पादन	२३६७–७०
५४७	मोटर गाड़ियों के पुर्जे का आयात	२३७०–७२
५४९	पोजनान का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	२३७२–७३
५५०	वस्तुओं का किस्म नियंत्रण	२३७३–७४
५५१	इस्पात उत्पादन की लागत	२३७४–७७
५५२	रुरकेला इस्पात कारखाना	२३७७–७८
५५३	निर्यातकर्ताओं का पंजीयन	२३७८–७९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२३७९–२४०८
तारांकित प्रश्न संख्या		
५३४	बेल्जियम के साथ व्यापार	२३७९
५३८	इस्पात कारखानों में कोयले का उपयोग	२३७९–८०
५४०	मशीन का आयात	२३८०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
५४१	गोआ में कच्चे लोहे का कारखाना . . .	२३८०
५४२	राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन की बिक्री	२३८१
५४४	कच्ची फिल्म का कारखाना . .	२३८१
५४५	ब्रिटेन को पटसन की वस्तुओं का निर्यात . .	२३८१
५४६	चिट फण्ड कम्पनियां	२३८२
५४८	बंगलौर में मशीनी औज़ार का कारखाना .	२३८२
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५५६	राज्य व्यापार निगम की शाखाएं . .	२३८२–८३
१५५७	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, बंगलौर . . .	२३८३
१५५८	बीड़ी और सिगरेट	२३८३
१५५९	सूती कपड़े की मिलें . . .	२३८३–८४
१५६०	नमक कारखानों के लिए अनुदान	२३८४
१५६१	राजस्थान में लोहा और इस्पात	२३८४–८५
१५६२	राजस्थान में अम्बर चर्खा .	२३८५
१५६३	राजस्थान में सूती कपड़े की मिलें	२३८५
१५६४	राजस्थान में हथकरघा उद्योग . . .	२३८५–८६
१५६५	महाराष्ट्र में सीमेंट के कारखाने	२३८६
१५६६	लौह अयस्क की खानें . . .	२३८७
१५६७	अलवाय में डी० डी० डी० संयंत्र . .	२३८७
१५६८	पंजाब में एयर राइफल बनाने का काखाना . .	२३८७–८८
१५६९	प्रतिकूल व्यापारान्तर .	२३८८
१५७०	कुटीर उद्योग तथा पैतृक उद्योग	२३८८–८९
१५७१	लम्बे रेशे वाली कपास . .	२३८९
१५७२	चमड़ा और चाय उद्योग	२३८९
१५७३	इस्पात कारखानों में काम के परिणाम . .	२३८९–९०
१५७४	इस्पात कारखानों में उपोत्पादों का उत्पादन .	२३९०–९१
१५७५	इटली को निर्यात	२३९१
१५७६	गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन . . .	२३९१

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

१५७७ कच्ची फिल्म का निर्माण . . . २३९२

१५७८ लघु उद्योग . . २३९२

१५७९ हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़, बंगलौर . . २३९२—९३

१५८० हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़, भोपाल . . २३९३

१५८१ निर्यात २३९४

१५८२ मिट्टी की गुड़ियों का निर्यात २३९४

१५८३ गोआ का औद्योगिक विकास . . . . २३९४—९५

१५८४ उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय . . २३९५

१५८५ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के अधीन कार्यालय . २३९५

१५८६ नया नंगल में उर्वरक कारखाना . . . २३९५

१५८७ पत्तीदार कमानियां (लीफ स्प्रिंग्स) का निर्माण . . २३९६

१५८८ पत्तीदार कमानी (लीफ़ स्प्रिंग्ज़) उद्योग . . २३९६

१५८९ पांचवां मशीनी औजार कारखाना . . २३९६–९७

१५९० बुनकर सहकारी समितियों को ऋण . . २३९७

१५९१ लघु उद्योग २३९७–९८

१५९२ संभरण तथा निबटान महानिदेशालय द्वारा कागज की खरीद . २३९८–९९

१५९३ संभरण तथा निबटान महानिदेशालय द्वारा कागज की मांग . २३९९—२४००

१५९४ चाय की खेती और विकास के लिए ऋण . २४००–०१

१५९५ भारतीय मानक संस्था . . २४०१

१५९६ सरकारी उपक्रमों के निदेशक . . २४०१–०२

१५९७ सांचे बनाने का प्रशिक्षण . . २४०२

१५९८ तकुओं का दिया जाना २४०३

१५९९ उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड . . . २४०३

१६०० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड २४०३

१६०१ आबू रोड में सीमेन्ट का कारखाना . २४०४

१६०२ पुरुलिया जिले में सीमेन्ट के कारखाने की स्थापना . . २४०४

१६०३ कपास के सम्बन्ध में निरीक्षण प्रणाली समाप्त करना . . २४०४–०५

१६०४ रूरकेला इस्पात कारखाने में तैयार इस्पात . . २४०५

१६०५ समवाय की प्रबन्ध व्यवस्था से निदेशक का हटाया जाना . २४०५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६०६	दिल्ली प्लास्टिक-केबल निर्माता संघ .	२४०६
१६०८	दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र . . .	२४०६
१६०९	सोलन में घड़ियों का कारखाना . .	२४०६—०७
१६१०	इलेक्ट्रिक मनुफेक्चरिंग कम्पनी, डमडम .	२४०७—०८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .		२४०९—२३
सरदार बूटा सिंह ने डा० प्रताप सिंह की लेख याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक २ सितम्बर, १९६३ के अपने निर्णय में पंजाब के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कही गयी न्याय सम्बन्धी बातों और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।		
गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।		
सभापटल पर रखे गये पत्र		२४२३—२४
(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—		
(एक) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १० अगस्त, १९६३ की अधि-सूचना संख्या एस० ओ० २०२६ में प्रकाशित पटसन (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३ ।		
(दो) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निर्यात जोखिम बीमा निगम लिमिटेड, बम्बई की वर्ष १९६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।		
(ख) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।		
(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—		
(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २३ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ का प्रामाणीकृत लेखा, उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।		
(ख) उपरोक्त (१) में उल्लिखित पत्र को सभापटल पर रखने में विलंम्ब के कारण बताने वाला विवरण ।		

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(जारी)

(३) पर्यटन सम्बन्धी तदर्थ समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षों तथा सिफारिशों के सारांश बताने वाला एक विवरण ।

(४) उन मामलों का एक विवरण जिन में ३० जून, १९६३ को समाप्त होने वाली छमाही में इण्डिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा निम्नतम टेण्डर स्वीकार नहीं किये गये ।

(५) परिसीमन आयोग अधिनियम, १९६२ की धारा १० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २६ अगस्त, १९६३ की अधि-सूचना संख्या एस० ओ० २४४३ में प्रकाशित जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर निर्धारित स्थानों में से प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिये नियत किये जाने वाले स्थानों की संख्या क बारे में परिसीमन आयोग के आदेश संख्या २ की एक प्रति ।

सभा का कार्य २४२४–२७

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . २४२७

उन्नीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

समिति के लिये नर्वाचन २४२७–२८

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) ने यह प्रस्ताव लोक-सभा के सदस्य प्रोद्योगिकीय अधिनियम १९६१ की धारा (१) के अन्दर स्थापित की गई परिषद् के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में चर्चा २४२८–३७

डा० राम मनोहर लोहिया ने राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में नियम १९३ के अधीन चर्चा आरम्भ की । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य २४३७

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने वर्ष १९६३-६४ में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के उपायों के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत २४३७

पच्चीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—अस्वीकृत . . . २४३७–४३

श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा २९ मार्च, १९६३ को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा जारी रही । संकल्प २७ के विरुद्ध ११९ मतों से अस्वीकृत हुआ ।

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . . २४४२–५६

श्री अ० क० गोपालन ने २७ अप्रैल, १९६३ को स्वयं प्रस्तुत किये गये भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन निरूद्ध किये गये सब राजनैतिक तथा जनता के नेताओं को रिहा करने सम्बन्धी संकल्प पर अपना भाषण समाप्त किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, ९ सितम्बर, १९६३/१८ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

(१) खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि और भारत सरकार की खाद्य नीति सम्बन्धी प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा।

(२) नियम १९३ के अधीन राष्ट्रीय आय के वितरण पर अग्रेतर चर्चा।

GMGIPND—LS III—1229 (Ai) LSD—16-10-63—160.